राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अंक ४] द्वितीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या २

शनिवार, २५ अक्टूबर, १९५८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरा।

[श्री भंवरा (महुआ) ने शपथ ग्रहण की]

तरांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री पी० के० चौधरी।

सांभर में पानी की व्यवस्था

४५. **श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :** Will the Minister for Local Self Government be pleased to state:—

(a) is it correct that the General Manager, Salts, Sambhar under his letter NO. 221-GI/45/11800 dated 28.6. 47 addressed to the then Prime Minister, Jaipur agreed to contribute a sum of Rs. 33,000/-for the water supply scheme at Sambhar and this amount was also remitted to the Prime Minister, Jaipur on 5.8.47 by the Government of Jodhpur as its contribution towards the said scheme ?

(b) Is it also correct that an amount of Rs.2,53,000/- was sanctioned in connection with the water supply scheme at Sambhar by the former Jaipur Government out of the savings of Rs. 3, 30, 000 of the Sambhar Shamlat Administration ?

(c) Was a sum of Rs. 4,50,000 proposed in the Second Five Year Plan for water works in Sambhar ?

(d) Did the Chairman, Sambhar Municipal Board asked for a loan from the State Government during the year 1955-56 for the water supply scheme ? If so, what steps the Government took in the matter ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) Yes. In June, 1958 the Government proposed tos anction a loan of Rs. 7,00,000/-. The Survey work was started with effect from 15. 8. 58 but the surveyer left the job in the Middle leaving the work

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

incomplete and since then the work is at a standstill.

श्री पी० के० चौधरी : The Surveyor was the Government surveyor or somebody outsider ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It was on behalf of the Government.

श्री पी० के० चौधरी : When does the Government again propose to continue the survey work ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : It will be done as soon as a suitable person is available.

प्रश्न संख्या ४६

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

दुर्गापुरा में टी॰ बी॰ अस्पताल

४७. **श्री सहदेव** (आमेर) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सांगानेर तहसील के दुर्गापुरा ग्राम में कब से टी. बी. अस्पताल खुला हुआ है ?

(२) क्या उक्त अस्पताल को इस स्थान से हटाने के निमित्त डी. एम. एच. एस. ने सिफारिश की थी ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या विकास समिति, सांगानेर ने भी उक्त अस्पताल को हटाये जाने के हेतु प्रस्ताव पारित कर सरकार को प्रेषित किया है ? यदि हां, तो क्या इस अस्पताल को स्वास्थ्य की दृष्टि से हटाये जाने का विचार सरकार कर रही है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(१) सन् १९५० से ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी नहीं, यह विषय सरकार के विचाराधीन है ।

श्री सहदेव : इसको हटाने की डी. एम. एच. साहब ने सिफारिश की थी । मैं इसकी कॉपी पेश कर सकता हूँ ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपके पास ऐसी इत्तिला होगी, मेरे पास जो सूचना है वह मैंने अर्ज की है । यह विचाराधीन है ।

श्री मूलचन्द डागा : क्या डी. एम. एच. साहब से सरकार ने जानकारी हासिल की है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हां, डी. एम. एच. की रिपोर्ट आई है, उसी के अनुसार उत्तर दिया है कि विचाराधीन है ।

श्री सहदेव : सरकार कब तक विचार करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो बहुत लम्बा-चौड़ा सवाल है, बिल्डिंग वगैरह का सवाल है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता ।

प्रश्न संख्या ४८

श्री अध्यक्ष : श्री दयाकृष्ण विजय ।

(अनुपस्थित)

रावराजा श्री सरदारसिंह ।

अनाज के ऊंचे भाव

४९. **रावराजा श्री सरदारसिंह** (उनियारा) : क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि माह मई-जून,

Page No.3

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

सन् १९५८ में राजस्थान में अनाज के भाव काफी ऊंचे चढ़ गये थे ?

(२) क्या यह सही है कि जनता को अनाज नहीं मिलने के कारण बहुत सी शिकायतें सरकार के पास प्राप्त हुई ?

(३) अगर हां, तो सरकार ने तत्कालिक क्या क्या कदम उठाये ?

खाद्य एवं रसद मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) यह सही है कि राजस्थान के कई जिलों में अनाज के भावों में वृद्धि मई ५८ में आरम्भ हो गई थी, पर जून ५८ तक कोई असाधारण वृद्धि नहीं हुई, केवल भावों में वृद्धि औसतन १ रु० ८ आ० से १ रु० १२ आ० प्रति मन तक हुई। विवरण की तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत की गई है।

(२) अनाज नहीं मिलने सम्बन्धी शिकायतें तो सरकार द्वारा प्राप्त नहीं हुई पर कीमतों के बढ़ जाने से उत्पन्न कठिनाई से राहत पाने के लिए सस्ती दुकानों की व्यवस्था के लिये कुछ प्रार्थनायें अवश्य आई।

(३) ऐसी प्रार्थनाएं सम्बन्धित जिलाधीशों को तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दी गई। जहां जहां जिलाधीशों ने सस्ते गेहूँ का कोटा मांगा, वहां आवश्यक कोटा पर्याप्त मात्रा में भेजा गया।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री सरदारसिंह : मैं यह अर्ज करता हूँ कि वहां की जनता ने अनाज की कमी के लिये दरख्वास्तें दीं कि अनाज की कमी है, इसलिये कीमतें बढ़ती जा रही हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद : अनाज की कमी की शिकायत नहीं थी, कीमतों के ऊंचे जाने की शिकायत थी।

श्री मूलचन्द डागा : क्या पाली जिले का अनाज बाहर जा रहा है ? उसको रोकने के लिये वहां की जनता ने लिखा कि लाखों मन अनाज बाहर जा रहा है, उसको रोका जाए।

श्री बद्रीप्रसाद : अनाज जरूर बाहर गया। अनाज बाहर जाने पर कोई रुकावट नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : हमारे यहां से अच्छा अनाज बाहर भेजा जाता है और बाहर से खराब अनाज मंगा कर बेचा जाता है, यह क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद : यह तो भारत सरकार की नीति है। इस सम्बन्ध मे सारे हिन्दुस्तान के लिए कानून बने हुए हैं। इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि इसका जवाब दिया जा चुका है। जो रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार अनाज को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है।

श्री सरदारसिंह : ऐसा क्यों होता है कि यहां से अच्छा अनाज बाहर भेजा जाता है और बाहर का खराब अनाज यहां पर बेचा जाता है, आप इसको स्पष्ट करें तो उचित होगा।

श्री बद्रीप्रसाद : गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का कानून है। उसके अनुसार रुकावट नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को सस्ते अनाज की दुकानें दी है

(श्री मूलचन्द डागा)

जिसके आटे की चक्की है, जो अनाज पीस कर ऊंचे भाव से आटा बेचते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद : ऐसी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री सरदारसिंह : आप भारत सरकार को अनाज बाहर नहीं जाने देने के लिए प्रेस क्यों नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष : प्रेस करते तो हैं।

श्री बद्रीप्रसाद : हम उन्हें प्रेस करते हैं, लेकिन ऑल इन्डिया पोलिसी के अनुसार कार्य होता है।

श्री मूलचन्द डागा : पाली के लोगों ने इस बात की शिकायत की कि सस्ते अनाज की दुकान फ्लोर मिल वाले को दी है जिससे वह आटा पीस कर बेचता है और इस सम्बन्ध में वायर भी दिये, मगर उसका कोई असर नहीं हुआ।

श्री बद्रीप्रसाद : वैसे तो यह प्रश्न इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं रखता, मगर फिर भी मैं यह कह देना चाहता हूँ कि मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : सस्ते धान की दुकान चक्की वालों को क्यों दी गई ?

श्री श्रीभानसिंह : Is the food a Central subject or a State subject ?

श्री बद्रीप्रसाद : The law by which we are governed is that of the Government of India. But so far as the distribution is concerned it is under the State Government.

श्री श्रीभानसिंह : If the distribution of wheat is the State subject, why was the wheat imported from outside?

श्री बद्रीप्रसाद : During some period, we received it from outside.

श्री श्रीभानसिंह : What are the prevalent prices of wheat in Rajasthan?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, डॉ० चन्द्रकला।

समाज कल्याण केन्द्र

५०. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) प्रान्त भर में समाज कल्याण बोर्ड की ओर से कितने केन्द्र कहाँ कहाँ कब से चल रहे हैं; सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) यह केन्द्र किस आधार पर खोले जाते हैं ? सन् १९५८ में कहाँ कहाँ केन्द्र खोलने की योजना है ? जिसमें कितने कहाँ कहाँ पर खुल गये ?

(३) समाज कल्याण केन्द्र खोलने के अतिरिक्त बोर्ड की ओर क्या-क्या प्रवृत्तियाँ हैं ?

(४) बोर्ड को अधिक से अधिक जन सहयोग प्राप्त हो, इसके लिये सरकार क्या उपाय करती है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) राजस्थान में समाज कल्याण बोर्ड की ओर से १९ समाज कल्याण खण्ड खोले गये हैं, जिनके अन्तर्गत केन्द्र चल रहे हैं। इन केन्द्रों के स्थानों के नाम की व

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

उनके खोलने की तिथियां की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) यह केन्द्र समाज कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित आधारों पर खोले जाते है :

१. यह क्षेत्र ग्रामीण और पिछड़ा हो तथा समाज कल्याण विषयक गतिविधियां की वहां आवश्यकता हो ।

२. ग्रामीण जनता केन्द्रों के लिये स्थान आदि के रूप में आवश्यक सहयोग देने को तत्पर हो ।

३. उस क्षेत्र में ५ ऐसे गांव हों जिनकी जनसंख्या प्रत्येक समीपवर्ती ग्रामों की जनसंख्या सहित २५,००० हो अर्थात् प्रत्येक केन्द्र से लगभग ५,००० जनसंख्या लाभान्वित हो सके ।

४. उस क्षेत्र में योजना संचालन समिति के गठन के लिये उत्साही एवं समाज-सेवी महानुभाव तथा महिलायें उपलब्ध हों ।

सन् १९५८ में अजमेर जिले की योजनाओं में 'बरल' और 'बन्दनवाडा' नामक ग्रामों में दो केन्द्र खोले गये हैं । समन्वय कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित समाज कल्याण योजना झालरापाटन जिला झालावाड़ में निर्धारित समिति के अनुसार विभिन्न प्रवृत्तियों के संचालन के लिये निम्न स्थानों पर केन्द्र खोले जायेंगे :

१. दुर्गापुरा । २. सिंपानिया । ३. समराई । ४. रुद्लाओ । ५. गोदिया । ६. कदारा । ७. झमकी । ८. दीटा । ९. पीपलोद । १०. भंडारी । ११. अवतारी । १२. पसनावार । १३. डूंगरगाँव । १४. मंवरासा ।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने अप्रैल १९५८ में स्थापित ८ सामुदायिक विकास खण्डों में भी :

वैराट, थानागाजी, कन्हैड, मनोहर थाना, श्री माधोपुर, राजगढ़, जोधपुर, मावली नामक स्थानों पर भी समाज कल्याण योजनायें प्रारंभ करने की अनुमति दी है ।

३. केन्द्र खोलने के अतिरिक्त बोर्ड की अन्य प्रवृत्तियों में स्वयं सेवी संस्थाओं को उनके कार्य की प्रगति के लिये अनुदान दिया जाता है ।

४. बोर्ड एवं योजना संचालन समितियों के सदस्यगण ग्रामों के सरपंच, प्रमुख व्यक्तियों तथा स्थानीय विभिन्न कल्याणकारी संस्थाओं से संपर्क स्थापित करते हैं । वे उन्हें समाज कल्याण विषयक गतिविधियों और उनसे ग्रामीणों को पहुंचने वाले कामों से अवगत कराते हैं जिससे कि अधिकतम जन-सहयोग प्राप्त हो सके ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

डॉ० चन्द्रकला : केन्द्र खोलने के लिये जनता मांग करती है या समाज कल्याण केन्द्र इसका निर्णय करता है कि अमुक स्थान पर केन्द्र खोला जाय ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : दोनों बातें होती हैं ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या ऐसा होता है कि जनता मांग करती है और जनता मांग करती ही रह जाती है और केन्द्र नहीं खोले जाते ।

Page No.6

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : हो सकता है, लेकिन इसका कोई कारण हो सकता है ।

श्री मूलचन्द डागा : समाज कल्याण बोर्ड की और क्या क्या प्रवृत्तियां हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : Who are the members of this Board ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सदस्यों की सूची मेरे पास नहीं है ।

डॉ० चन्द्रकला : स्वयं-सेवी संस्थाओं में वे ही संस्थाएं हैं जो शिक्षाक्षेत्र में काम करती हैं, उनको ही सहायता दी जाती है या किसी भी तरह की संस्था को सहायता दी जाती है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सहायता जो उनका कार्यक्रम बना हुआ है, उसके अन्तर्गत काम आते हैं उनको दी जाती है ।

डॉ० चन्द्रकला : क्या ऐसी संस्थाओं को भी सहायता दी जाती है जो जाति विशेष की हितकारिणी सभा के नाम से भी हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह जानकारी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिये ।

श्री रामचन्द्र : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की कि जो केन्द्र खोले जा रहे हैं, वे सही खोले जा रहे हैं या जो रूल्स बने हैं उनके विरुद्ध खोले जा रहे हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं समझता हूँ कि जांच तो होती होगी । आपके पास कोई जानकारी हो तो आप बता दें ।

श्री रामचन्द्र : मैं तो ऐसा समझता हूँ कि जांच कभी होती नहीं है ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कोई खास जगह की बात बतावें तो जानकारी प्राप्त की जाय ।

डॉ० चन्द्रकला : इसका आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री पी० के० चौधरी ।

भरतपुर में मेवों को विभाजन के पश्चात् दी गई भूमि

५१. श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Will the Rehabilitation Minister be pleased to state :

(a) Since partition till date how many acres of land have been allotted to 'Meo' refugees in Bharatpur District and to how many families ?

(b) How many 'Meos' are still to be rehabilitated in the district and how many applictations for allotment of land are still pending ?

(c) How many acres of land set apart for rehabilitation of Meos have been leased out to non-refugees both from within and outside the province ? The list of persons along with their addresses, to whom 100 bighas or more of land has been released out may be placed on the table of the House.

उप-पुनर्वास मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(a) 85608 acres of land.

(b) Deficiency of land allotments of 1167 meo families is to be made

(श्री संपतराम)

good. 193 applications for allotment of land are pending at present.

(c) No land set apart for rehabilitation of Meos has been leased out to non-refugees. There is no person to whom 100 bighas or more land has been leased out. Question of list does not arise.

श्री पी० के० चौधरी : Whether any land has been temporarily leased out to some other than Meos ?

श्री सम्पतराम : Other than Meos ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Certain people have got it on patta temporarily.

श्री पी० के० चौधरी : How many are they ?

श्री सम्पतराम : I have no list how many bighas of land has been temporarily allotted to other than Meos.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Question is as to how many acres of land set apart for rehabilitation of Meos have been leased out to non-refugees. So the answer is that no land set apart for rehabilitation of Meos has been leased out. So far as the allotment of land on temporary basis to the locals is concerned, that land is under the evacuee property.

एक माननीय सदस्य : The land left by the evacuees should first be leased out to the refugees than others.

श्री दामोदरलाल व्यास : So far as the Meos are concerned they were to be allotted their own land when they returned from Pakistan.

आदर्श नगर को जाने वाली सड़क की मरम्मत

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) जो सड़क नायला हाउस से और रामबाग रोड से उनियारा गार्डन, जयपुर के फाटक के पास होकर आदर्श नगर और मोतीडूंगरी रोड जाती है वह म्युनिसिपैलिटी के अधीन है या पी० डब्लु० डी० के ?

(२) उक्त सड़क की मरम्मत कब कब हुई।

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क की हालत बहुत खराब है जिसकी वजह से एक्सीडेन्ट होते रहते हैं ?

उप स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : यह सही है कि सड़क की हालत अच्छी नहीं है परन्तु एक्सीडेन्ट के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रावराजा सरदारसिंह : सड़क की हालत खराब है तभी तो एक्सीडेन्ट होते हैं, इसलिये उसको ठीक कब तक करा दिया जायगा ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जो कैपीटल की सड़कें हैं उनको पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अन्डर में देने की तजवीज हो रही है, जब

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

यह हो जायगा तब हालत सुधर जायगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कब पी० डब्लू० डी० के अधीन देंगे, कौन देंगे, कब करेंगे ?

श्री पूनमचंद बिश्नोई : जल्दी करेंगे।

खातेदारी हकूक

५३. श्री रावतराम (चूरू) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १६ के तहत खातेदारी हकूक प्राप्त करने के लिये चूरू जिले में कितने आसामियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितनों का फैसला हो चुका है ?

(२) जिन आवेदन पत्रों का फैसला हो चुका है उनमें से कितने आसामियों को विधि द्वारा खातेदारी हकूक दिया गया और कितने आवेदन पत्र खारिज किये गए ? सूची मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या खातेदारी हकूक देने पर प्रार्थी आसामियों से कोई मुआवजा वसूल किया जायेगा ? यदि हां, तो कितना और किस आधार पर ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त नियम के अनुसार खातेदारी हकूक देने में काफी ढिलाई बरती जा रही है ? यदि हां, तो सरकार इस व्यवस्था को सुधारने में क्या कदम उठा रही है ?

उप राजस्वमन्त्री (श्री सम्पतराम) :

(१) इस जिले में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १६ के तहत खातेदारी हकूक प्राप्त करने के लिए ७२३६ आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और इसमें से १६६८ का फैसला हो चुका है।

(२) उपरोक्त फैसला शुदा आवेदन पत्रों में से ३५७ आसामियों को खातेदारी हकूक दिये जा चुके हैं। १३४१ आवेदन-पत्र खारिज किये गये हैं। सूची बहुत लम्बी है जिसके बनाने में अत्यधिक विलम्ब होगा, इसलिये नहीं रखी गई है।

(३) उपरोक्त एक्ट की धारा २१ व २३ के अनुसार प्रतिवादी वादियों से मुआवजा वसूल कर सकता है।

(४) जी नहीं। फरीकेन खुद ही वर्षा आदि होने व काश्त में व्यस्त होने से स्वयं ही लम्बी तारीख लेते हैं। उपरोक्त प्रार्थना पत्रों को शीघ्र निपटाने की कोशिश की जा रही है। अत: व्यवस्था सुधारने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रावतराम : क्या यह सही है कि कई ऐसे जागीरदार हैं जिनका जमीन पर खातेदारी हक था, वे सरकार से मुआवजा प्राप्त कर रहे हैं और उनको आसामियों से भी मुआवजा दिलाया जा रहा है ?

श्री सम्पतराम : ऐसी मेरी जानकारी नहीं है।

श्री मूलचंद डागा : क्या खातेदारी हकों की प्राप्ति के लिये एस० डी० ओ० को यह आज्ञा जारी हुई है कि वह मौके पर जाकर तय करे ?

श्री सम्पतराम : उनके लिये आज्ञा होना जरूरी नहीं है, यह तो रेवेन्यु ऑफिसर्स

Page No.9

(श्री सम्पतराम)

की ड्यूटी का ही हिस्सा है। अपनी सुविधानुसार दौरे के समय ऐसे केसेज़ का फैसला मौके पर ही कर सकते हैं।

जयपुर शहर में मातृगृह

५४. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर शहर 'सी' क्षेत्र में कुल कितने तथा कहां कहां मातृगृह (मेटर्निटी होम) हैं ?

(ख) सामान्यतया कितनी आबादी के पीछे एक मातृगृह की स्थापना सरकार आवश्यक मानती है ?

(ग) क्या मातृगृह के खोलने के संबन्ध में सरकार की कोई प्रान्तव्यापी योजना है ? यदि हां, तो क्या ?

(घ) इन्फेन्टाइल मोरटेलिटी को रोकने और मातृत्व संबन्धी बीमारियों से स्त्रियों की स्वास्थ्य रक्षा के संबन्ध में सरकार की क्या योजना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) :

(क) जयपुर शहर 'सी' क्षेत्र (किशनपोल क्षेत्र) में कोई प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र नहीं है। परन्तु ज़नाना अस्पताल है जहां प्रसूति सेवायें उपलब्ध हैं।

(ख) इस प्रकार का कोई सूत्र (फॉर्मुला) विनिहित नहीं किया गया है।

(ग) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत एन. ई० एस. ब्लाक के हैडक्वार्टर पर प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्र खोले जाते हैं, जिनमें प्रसूति सेवायें भी उपलब्ध होती है। इन केन्द्रों के नीचे चार मिड़वाइफरी सेन्टर्स होते हैं जिनमें से एक केन्द्र में स्थापित होता है तथा बाकी के तीन उस ब्लाक में स्थापित किये जाते हैं। अब तक इस प्रकार के ४५ केन्द्र खोले जा चुके हैं जिनके नीचे १८० मिड़वाइफरी सेन्टर्स हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में प्राथमिक स्वास्थ्य-केन्द्रों की संख्या शनैः शनैः ८० तक बढ़ाने की योजना है।

(घ) इन्फेन्ट्स मोरटेलिटी (शिशु मरण) को रोकने तथा मातृ संबन्धी बीमारियों से स्त्रियों की स्वास्थ्य रक्षा के लिये राज्य में अस्पताल, प्रसूति एवं शिशु कल्याण केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि स्थापित हैं, जहां स्त्रियां शिशु की उत्पत्ति से पहले व बाद में समय समय पर जाकर अपनी तथा शिशु की परीक्षा करा सकती है। राज्य में कई केन्द्र दाइयों के प्रशिक्षण के लिये खोले गये हैं, जिससे प्रशिक्षित दाइयों द्वारा स्त्रियों को प्रसूति सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी तथा शिशु मरण की संख्या में कमी होगी।

डॉ० चन्द्रकला : जनाना अस्पताल जयपुर 'सी' क्षेत्र में स्थित होने के कारण क्या सरकार यह जरूरी नहीं समझती है कि वहां के लिये मातृगृह भी हो ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आवश्यकता का सवाल नहीं है, फाइनेन्सेज़ का सवाल है। प्लान के मुताबिक हम प्रोवाइड करते जा रहे हैं, 'सी' स्कीम में बड़ा अस्पताल है, इसलिये जहां ऐसे अस्पताल नहीं हैं वहां के लिये तरजीह दी जा रही है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या वहां अस्पताल में

(डॉ० चन्द्रकला)

'सी' क्षेत्र के निवासियों को तरजीह दी जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह अस्पताल तो वहां बहुत असें से मौजूद है और वहां प्रसूति आदि की सभी सुविधायें उपलब्ध हैं।

डॉ० चन्द्रकला : यह अस्पताल तो सार्वजनिक अस्पातल है। वहां सारे शहर के लोग आते हैं, इसलिये क्या उस क्षेत्र के लिये मेटर्निटी होम का होना आप आवश्यक नहीं मानते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उस क्षेत्र की जनता के लिये वहां मेटर्निटी की व्यवस्था है और वहां की जनता उससे लाभ भी उठाती है।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय मंत्री महोदय के कहने के मुताबिक क्या हम यह समझें कि कि मातृत्व की बीमारियों को रोकने के लिये सरकार के पास कोई योजना नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो योजना है वह मैंने आपको बतादी, इसके अलावा हम जहां इस प्रकार की सुविधायें बिल्कुल नहीं हैं वहां उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आज डेढ़ करोड़ जनता गांवों में बसती है, उनके लिये सुविधा उपलब्ध करना हमारा पहला काम है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या इस प्रकार की योजनाओं में आप शहरों का ध्यान नहीं रखते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : शहरों में तो ये सुविधायें पहले से ही उपलब्ध हैं, उसका तो ध्यान रखा ही जाता है। आप देखिये, आपके यहां सवाई मानसिंह अस्पताल के लिये ३५ लाख रुपये की लागत से नयी इमारत बनवायी है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा विद्यार्थियों को वज़ीफा

५५. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या समाज कल्याण विभाग मंत्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सन् ५७-५८ में भरतपुर जिले के लिये विद्यार्थियों को कितना वज़ीफा स्वीकृत किया गया ?

(२) क्या उक्त स्वीकृत रकम वितरित की गई ? यदि नहीं तो क्यों ?

(३) जिस अधिकारी की गलती से रकम वितरित नहीं की जा सकी उसके विरुद्ध अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) सन् १९५७-५८ में भरतपुर जिले के विद्यार्थियों के लिये २३, ६३० रुपये की छात्रवृति स्वीकृत की गई।

(२) पूरी रकम व्यय नहीं की जा सकी है।

(३) इस सम्बन्ध में शिक्षा विभाग को लिखा गया है।

डॉ० बहादुरसिंह : शिक्षा विभाग को कब लिखा गया और क्या उत्तर आया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी उत्तर नहीं आया है; १-१०-५८ और १४-१०-५८ को स्मरण-पत्र भेजा गया है, पहला पत्र १७-९-५८ को भेजा गया था।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या यह प्रश्न

Page No.11

(डॉ० बहादुरसिंह)

उपस्थित करने के बाद में लिखा गया या पहले नहीं लिखा गया, तो क्यों ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय: तारीख आपको बता दी है, उससे अनुमान कर लीजिये।

श्री गोवर्धनसिंह केन : इसका क्या कारण था कि समय पर वह व्यय नहीं हो सका ?

श्री उपाध्याय : वही कारण तो पूछा गया है।

श्री सूबेदारसिंह : अगर यह प्रश्न नहीं पूछा जाता तो क्या सरकार द्वारा इसकी इन्क्वॉयरी नहीं होती।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह कैसे कहा जा सकता है ?

श्री पी० के० चौधरी : क्या स्कॉलरशिप सेशन के एण्ड में दी जाती या बिगिनिंग ऑफ दी सेशन में ? मेरे कहने का मतलब यह है कि, You have initimated the papers in October 58 for scholarships whereas the scholarships are to be given when the Session begins.

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : छात्रवृतियां मिलने में देरी हो जाती है। मेरे ख्याल से छात्रवृतियाँ सितम्बर तक मिल जानी चाहिये।

श्री गोवर्धनसिंह केन : क्या जिनको छात्रवृत्ति नहीं दी गई उनको दुबारा देने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री हरिभाई उपाध्याय : इस बारे में सोचा जा सकता है

डिस्ट्रिक्ट टौंक में जागीर एडवाइजरी कमेटी

५६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट टौंक में जागीर एडवाइजरी कमेटी है ? अगर हां, तो उसके कौन कौन सदस्य हैं और अब तक कितनी कितनी दफा मीटिंग हुई और क्या क्या सजेशन उक्त कमेटी ने सरकार के पास भेजे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि जो पहले से मेम्बर्स हैं उसके अलावा दूसरे मेम्बर्स भी सरकार ने नियुक्त किये हैं ? अगर हां, तो ये कौन कौन हैं ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :

(१) जी हाँ, है। और इसके निम्नलिखित सदस्य हैं :

१. जिलाधीश टौंक—चेयरमेन,

२, सरदार मोहम्मद खां सोरन, जि० टौंक सदस्य

३. श्री दुलेसिंह जागीरदार गावडी तहसील दूनी ,,

४. श्री भीमसिंह महक ,,

५. श्री दिग्विजय सुथरा ,,

इस कमेटी की अब तक चार बैठकें हुई। कमेटी ने सरकार के पास कोई सुझाव नहीं भेजा।

२. जी हाँ, श्री भीमसिंह और श्री दिग्विजयसिंह को बाद में नियुक्त किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : यह कब नियुक्ति

Page No.12

(श्री पी० के० चौधरी)

हुई थी और इसमें रिप्रेजेन्टेशन पॉपुलर है या who is the popular representative in this Advisory Committee ?

श्री सम्पतराम : All the non-official persons are supposed to be the popular representatives.

श्री चौधरी : The local M. L. A. is not in the Committee.

श्री अध्यक्ष : पॉपुलर तो हैं, रिप्रेजेन्टेटिव नहीं हैं। नेक्स्ट।

पंचायत विभाग का फील्ड स्टाफ

५७. **डॉ० चंद्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) पंचायत विभाग के फील्ड स्टाफ के कर्मचारियों में कितने और कौन कौन से ऐसे हैं जो पढ़-लिख भी नहीं सकते हैं और लंगड़े तथा शारीरिक दृष्टि से अयोग्य हैं ?

(ख) उक्त कर्मचारियों में कितने ऐसे थे या हैं जिन्हें मैट्रिक पास न होते हुए भी मैट्रिक मानकर जिनकी नियुक्ति १९५१ के बाद में हुई ?

(ग) श्री प्रतापसिंह इन्सपेक्टर की क्या योग्यता है ?

(घ) पंचायत विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका पी० एस० सी० से सिलेक्शन न होने पर इन्सपेक्टर की जगह से उच्च श्रेणी के लेखक बनाये गये हैं ?

(ङ.) पंचायत विभाग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो राजस्थान सर्विस रूल्स तथा राजस्थान पंचायत सर्विस रूल्स के खिलाफ नियुक्त किये गये हैं ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (क) सभी पढ़ लिख सकते हैं और शारीरिक दृष्टि से योग्य हैं। केवल श्री चैनसिंह जो कि इस समय अस्थायी तौर पर जिला निरीक्षक झुंझुनू का कार्य कर रहे हैं, के एक कृत्रिम पैर घुटने तक का है।

(ख) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं है।

(ग) श्री प्रतापसिंह निरीक्षक नागौर, मैट्रिक है।

(घ) कोई नहीं है।

(ङ.) कोई भी नहीं।

डॉ० चंद्रकला : पढ़ लिख सकना ही योग्यता है या दूसरी योग्यता भी आवश्यक है ?

श्री दौलतराम : मैट्रिक पास होना आवश्यक है।

डॉ० चंद्रकला : तो क्या यह सच नहीं है कि उन कर्मचारियों में मैट्रिक पास भी नहीं हैं ?

श्री दौलतराम : मेरी सूचना के अनुसार तो ऐसा नहीं है।

डॉ० चंद्रकला : तो क्या पंचायतों के सभी इन्सपेक्शन की शिकायतें आती हैं, उनकी जाँच की है ?

श्री दौलतराम : अगर ऐसी कोई शिकायत सामने आती है तो जरूर जांच करते हैं।

Page No.13

(श्री दौलतराम)

श्री अध्यक्ष : यहां प्रश्न योग्यता के बारे में है ।

धौलपुर उप जिले में फसल की क्षति

५८. **डॉ बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या राजस्व मन्त्री उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) धौलपुर उप जिले की तहसीलों में इस वर्ष वर्षाधिक्य से कितनी फसल बरबाद हो गई है ?

(ख) क्या यह सत्य है कि धौलपुर तहसील में गत वर्ष भी वर्षाधिक्य से फसल बरबाद हुई थी ? यदि हां, तो किसानों को सहायता की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उपराजस्वमंत्री (श्री सम्पतराम) : (क) अब तक की सूचना के अनुसार धौलपुर, बाड़ी तहसील एवं सेपऊ सब तहसील में २१७६ एकड़ रकबे में खरीफ की फसल नष्ट हुई है ।

(ख) गत वर्ष भी इन तहसीलों में बाढ़ से नुकसान हुआ था जिसमें १२६६५) रुपये की राशि तकावी के रूप में बांटी गई थी । इस साल फिलहाल २०००) रुपये की राशि तकावी में व १०००) रुपया फ्री सहायता इस उपजिले को दी जा चुकी है । इसके अलावा अभी हाल ही में सरकार द्वारा भरतपुर जिले को ७५,०००) रुपये की राशि तकावी बाढ़ के नाम से और स्वीकार की जा चुकी है जिसमें से आवश्यक राशि इस उप जिले को और दी जा रही है ।

प्रश्न संख्या ५६

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री भीमसेन ।

(अनुपस्थित)

प्राथमिक अथवा बेसिक पाठशाला पर व्यय

६०. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) :

Will the Minister for Basic Education please state:—

What is the annual cost recurring or non-recurring of opening and running one primary or basic school ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचंद बिश्नोई) : The annual cost, recurring or non-recurring, of opening and running one primary or basic school is as below:—

Primary School : Opening, 800, Running, 950. Basic School : Opening, 1150, Running, 1150.

धौलपुर हास्पिटल विजिटर्स कमेटी

६१. **डॉ० बहादुरसिंह** (धौलपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या धौलपुर में हॉस्पिटल विजिटर्स कमेटी की नियुक्ति की गई है ? यदि हाँ, तो उसने कौन कौन सी सिफारिशें सरकार को की हैं ?

(ख) उक्त कमेटी द्वारा दिये गये सुझावों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या क्या निर्णय किये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हाँ, हॉस्पिटल विज़िटिंग कमेटी ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(१) सदर अस्पताल धौलपुर को द्वितीय श्रेणी के अस्पताल में उन्नत किया जावे ।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(२) एक टी० बी० वार्ड बनाया जावे।

(३) डॉक्टरों के रिक्त स्थानों की पूर्ति की जावे।

(४) धौलपुर अस्पताल के लिये एक एम्बुलेन्स दी जावे।

(५) सर्जीकल थियेटर के लिये एक हाइड्रोलिक व एक ओर्थोपेडिक टेबल का प्रबन्ध किया जावे।

(६) सदर अस्पताल धौलपुर के आंखों के वॉर्ड के साथ एक आई-ऑपरेशन रूम बना दिया जावे।

(७) अस्पताल में एयर कूलर व रेफ्रीजरेटर मशीन का प्रबन्ध किया जावे।

(८) एक आयरन लंग का प्रबन्ध किया जावे।

(९) सिनेमा व अन्य प्रकार के व्यक्तियों द्वारा व बारात आदि में अस्पताल के अहाते में बाजे बजाये जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जावें।

(ख) हॉस्पिटल विज़िटिंग कमेटी, धौलपुर के सुझावों पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई है अथवा की जावेगी।

(१) धौलपुर अस्पताल में मर्दाना व जनाना क्रमशः ६० व ६० शैयाएं हैं। इसको द्वितीय श्रेणी के अस्पताल में परिणत करने के प्रश्न पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में विचार किया जावेगा।

(२) यह विचाराधीन हैं।

(३) डॉक्टरों की उपलब्धि पर रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकेगी।

(४) एम्बुलेन्स के लिये अगले वर्ष के बजट में प्रावधान रक्खा जावेगा।

(५) इस समय आवश्यकता नहीं समझी गई।

(६) इसकी भी अभी कोई आवश्यता नहीं है।

(७) एयर कूलर व रेफ्रीजरेटर मशीन अगले वर्ष भेज दी जावेगी।

(८) आयरन लंग कहीं उपलब्ध नहीं है।

(९) कलेक्टर भरतपुर को इसके लिये लिखा गया है।

श्री बहादुरसिंह : महिला अस्पताल है वहाँ, उसमें आयरन लंग मौजूद है, क्या उसको रिपेयर करा सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारा जवाब तो नये के बारे में था। अगर वहाँ है तो उसको रिपेयर कराया जावेगा।

गोचर भूमि

६२. **श्री सूरजमल** (फलौदी) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जोधपुर के समीप ग्राम राजबाग में नाड़ी के आसपास गोचर की कितनी भूमि है ?

(ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त गोचर भूमि को इमारती पट्टा में किसी व्यक्ति को अलॉट किया गया है ?

(ग) यदि हाँ, तो किसको तथा किस कार्य के लिये ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) :
(क) कोई नहीं है।

(श्री सम्पतराम)

(ख) जब गोचर भूमि ही नहीं है तब विभाग द्वारा पट्टा देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री शंकरलाल : क्या यह राजबाग किसी पंचायत एरिया में है ?

श्री सम्पतराम : जी नहीं ।

श्री शंकरलाल : तो क्या म्युनिसिपल एरिया में है ?

श्री सम्पतराम : जी हाँ, म्युनिसिपैलटी एरिया में है ।

श्री सूरजमल : उस जमीन पर कब्जा किसका है ?

श्री सम्पतराम : कौन सी जमीन पर ?

श्री सूरजमल : गोचर भूमि पर ।

श्री सम्पतराम : वहाँ गोचर भूमि तो है ही नहीं ।

श्री सूरजमल : तो वह जमीन किसके नाम पर है ?

श्री सम्पतराम : किसी के नाम अलॉट नहीं है ?

श्री सूरजमल : किसी के नाम अलॉट नहीं है तो क्या यह सही है कि भूतपूर्व थानेदार शिवलाल ने उस जमीन पर जबर्दस्ती से जमीन पर कब्जा कर रक्खा है ।

श्री सम्पतराम : यह तो आप सूचना दे रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न में पहले ही सीधे तौर से यही पूछ लेते तो सब आ जाता ।

(हंसी)

श्री अनूपसिंह : उस जमीन को लैंड रिकॉर्ड में किस तरफ दर्ज किया गया है ?

श्री सम्पतराम : वह जमीन कौन सी है ?

श्री श्रीभानसिंह : गोचर भूमि है वहाँ ।

श्री सम्पतराम : वहाँ कोई पाश्चर लैंड ही नहीं है । फिर कैसा क्वेश्चन ?

श्री श्रीभानसिंह : उस गाँव के पास कोई कॉमन लैंड या बैरन लैंड है कि नहीं जो कि गोचर भूमि में दर्ज नहीं है ?

श्री सम्पतराम : यह स्वतंत्र सवाल है । इसका मूल प्रश्न से कोई ताल्लुक नहीं ।

मलारना डूंगर में पंचायत की रकम में गड़बड़

६३. **श्री पृथ्वीराज** (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि मलारना डूंगर में सन् ४६ से ५१ तक ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की रकम में काफी गड़बड़ी की गई ?

(ख) क्या यह भी सही है कि मनीराम, इन्सपेक्टर, पंचायत ने जांच में लगभग १६००) रुपये का झूठा हिसाब बनाया और पंचायत का खरड़ा (कैश बुक) स्वयं ले गया ?

(ग) क्या यह भी सही है कि मनीरम, इन्सपेक्टर ने उक्त कागजात लापता कर दिये ?

(घ) यदि हाँ, तो सरकार इस विषय में क्या कर रही है ?

Page No.16

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलत राम) : (क) हिसाबात की जांच लोकल फण्ड ऑडिट डिपार्टमेंट द्वारा कराई जा रही है ।

(ख) हिसाबात की जांच के पश्चात् ही जानकारी प्राप्त हो सकेगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं पैदा होता ।

डॉ० चन्द्रकला : यह जांच कब से कराई जा रही है ?

(प्रश्नकर्ता श्री पृथ्वीराज के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री पृथ्वीराज ।

श्री पृथ्वीराज : जांच किसके बारे में कराई जा रही है ? वह खरडा ५.१ का लिया हुआ है, आज तक तस्फिया नही हुआ है । खरड़ा ले जाना साबित हुआ है ।

श्री दौलतराम ; हमारी जांच में ऐसा नहीं है ।

श्री पृथ्वीराज : आप भी जांच अब और जांच कर लीजिये ।

डॉ० चन्द्रकला ; यह जांच कब से हो रही है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री : ४ मार्च, १९५८ से ।

श्री श्रीमानसिंह : उस जांच में किस आदमी का बुक गायब करना पाया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद : लोकल फण्ड ऑडिट को हमने लिखा है, अभी वे जांच कर रहे हैं ?

डॉ० चन्द्रकला : यह जांच कब तक हो जावेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद : जल्दी हो जावेगी ।

श्री पृथ्वीराज ; क्या यह जांच शिकायत के आधार पर हो रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद : यह देखकर बता सकूंगा ।

प्रश्न संख्या ६४

श्री अध्यक्ष : श्री बालमुकुन्द ।

(अनुपस्थित)

लगान के बांटे में वसूली

श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पिण्डवाड़ा तहसील में सिवेरा बांध से सिचाई करने वाले काश्तकारों ने सरकार से बार बार यह मांग की है कि उनसे लगान बांटे (काइण्ड) में लेना शीघ्र बंद करके नकदी में लिया जाय ?

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कर रही है ?

उप-राजस्वमन्त्री (श्री सम्पतराम) :
(क) जी हां ।

(ख) लगान कायम किये जाने की उचित कार्यवाही की जा रही है ।

श्री मोहब्बतसिंह : (क) क्या उचित कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सम्पतराम : इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है और अब गवर्नमेंट के पास फाइनल सेंक्शन के लिए आने वाली है ।

Page No.17

श्री मोहब्बतसिंह : वह किस आधार पर लिया जाता था ?

श्री सम्पतराम : पहले के सेटलमेंट के आधार पर लिया जाता था।

श्री मूलचन्द डागा : अब भी ली जा रही, है इसका क्या किया सरकार ने ?

श्री सम्पतराम : इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री श्रीमानसिंह : प्रश्न संख्या ६६.

श्री अध्यक्ष : पहले जो उपस्थित हैं उनको ले लें।

डॉ० चन्द्रकला : वह जेल में हैं, प्रश्न महत्वपूर्ण है।

प्रश्न संख्या ६६

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ६७।

नगरपालिका आबू रोड

६७, श्री मोहब्बतसिंह (आबू रोड) : Will the Minister for Local Self Government be pleased to state.

(1) Is the Government aware that the Town Municipality of Abu Road in Sirohi District is not enjoying the powers of the sale of land in the municipal area, while the rest of the town municipalities of Rajasthan are having this power ?

(2) Does the Government contemplate to bring uniformity in this respect in the whole of Rajasthan !

उपस्वायत्त शासन मन्त्री : (श्री पूनमचन्द विश्नोई) (क) Yes.

(ख) Yes.

प्रश्न संख्या ६८

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम।

६६. श्री तेजाराम (सोजत) : Will the Minister for Local Self Government be pleasedt o state :

(1) Is it a fact that on 5. 11. 57, 3 tons of lead was purchased from Messrs Sindia National Type Foundary ?

(2) If so, whether any tenders were invited for this purpose ?

(3) Was the lead of a good quality ?

(4) Was any decision taken by the Director, Printing and Stationary to send samples of the above lead to the laboratory for test; and if so, why it was not sent ?

स्वायत्त शासनमन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद) :

(१) संचालन मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग ने दो टन मोनो मैटल और आधा टन लाइनो मैटल मैसर्स सिन्धि नेशनल टाइप फाउन्ड्री जयपुर को ऑर्डर नं० १२२७६ दिनांक २४-८-५७ से गवर्नमेंट सेन्ट्रल प्रेस, जयपुर को सप्लाई करने का ऑर्डर दिया। फर्म ने बिल नम्बर ८५४ दिनांक २७-६-५७ और बिल नम्बर ६२२ दिनांक ८-१०-५७ के जरिये माल

(श्र बद्रीप्रसाद)

सप्लाई किया जो आमद वाउचर नम्बर २८६ दिनांक ५-११-५७ से किताबों पर लिया गया।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) टेन्डर के साथ जो नमूने संचालक, मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग ने मांगे वे अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर के पास वास्ते मशीन पर जांच करके मुकम्मिल रिपोर्ट के लिए भेजे गये और उनकी रिपोर्ट पर मैसर्स सिन्ध नैशनल टाइप फाउन्ड्री जयपुर का नमूना संचालक, मुद्रण व लेखन सामग्री ने पास किया और कम्पनी को आर्डर दे दिया। उस समय के संचालक, मुद्रण लेखन सामग्री विभाग ने नमूनों को लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजने का कोई आदेश नहीं दिया।

हेमावास बांध की कछार की जमीन के पट्टे

७०. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(अ) क्या पाली तहसील के हेमावास बांध की काश्त की जमीन के पट्टे भी काश्तकारान को दिये जायेंगे जब कि वह जमीन कछार है?

(ब) क्या वह जमीन दलित वर्ग में वितरित की जावेगी और नहीं तो क्यों नहीं?

(स) जिन काश्तकारान के नाम के पट्टे बनाने की योजना है क्या उनके पास जमीन की कमी है?

उप-राजस्व मन्त्री (श्री सम्पतराम): (अ) जी नहीं।

(ब) जी नहीं। नियमानुसार लेण्डलैस तथा शिड्यूल्ड कास्ट व्यक्तियों को काश्त करने हेतु एक साल के लिए जमीन दी जाती है।

(स) ऐसी कोई योजना नहीं है, अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मूलचन्द डागा: वह कछार की कितने बीघा जमीन है?

श्री सम्पतराम: इतना तो मुझे पता नहीं है कि कितने बीघा जमीन है।

श्री मूलचन्द डागा: क्या सेटलमेन्ट ने उनको कोई कच्चे पट्टे दिये हैं?

श्री सम्पतराम: जी हां, सेटलमेन्ट कच्चे पट्टे दे सकता है।

श्री मूलचन्द डागा: क्या कोन्सीलियेशन के लिए सरकार ने हुक्म दिया या नहीं?

श्री सम्पतराम: किसी एक पर्टीक्युलर साल के लिए दे सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा: मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उस जमीन को वे लोग काश्त करते हैं जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है और आपकी कल्टीवेशन में यह आज्ञा है कि जमीन बांटी जाये। आज चार साल से बराबर वही लोग काश्त करते हैं कि जिनके पास सैकड़ों बीघा जमीन है और वह जमीन बांटी नहीं जा रही है। यही प्रश्न पिछली बार असेम्बली में भी मैंने पूछा था तो भी यही उत्तर दिया गया था और आज भी उसका यही उत्तर दिया जा रहा है।

श्री सम्पतराम: अगर इस प्रकार के किन्हीं लोगों को जमीन दी गई है जिनको कि

(श्री सम्पतराम)

वास्तव में नहीं देनी चाहिए, तो वह उन लोगों को दे दी जायगी जिनको कि नियमानुसार मिलनी चाहिए ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको बताऊं कि अब भी वह जमीन अलॉट करने का टाइम है ।

श्री रामचन्द्र : मैं सरकार को सूचित कर देना चाहता हूँ कि यह शिकायत केवल वहां की ही नहीं है बल्कि सभी जगह की है । इसलिए सरकार विशेष रूप से इसके लिए प्रबन्ध करे ।

श्री सम्पतराम : अगर सरकार के वैसे कोई शिकायत ध्यान में लाई जायगी तो सरकार उसका ध्यान रखेगी ।

प्रश्न संख्या ७१

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह : मेरे पास माननीय सदस्य का पत्र आया है इसलिए इसका उत्तर दे दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं पहले उनके प्रश्न ले लेते हैं, फिर आपके इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया जायगा ।

कोटा में हाउस लोन

७२. **श्री भैरवलाल कालाबादल** : (अकलेरा) क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या कोटा में हाउस लोन ऐसे व्यक्तियों को दिया गया है जिनके पास पहले से ही खुद के मकान हैं ?

(ख) क्या सरकारी लोन द्वारा बनाये हुए मकानों को किराये पर दिया जा सकता है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने अपने मकानों को किराये पर दे रक्खा है ?

(ग) कोटा शहर में कितने बंगले बड़े बड़े अधिकारियों, मन्त्रियों तथा एम० एल० ए० लोगों ने बना लिये हैं ? क्या उक्त अधिकारी वहां के लोकल मैन हैं ?

उप-वित्त मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (क) गृह-निर्माण के लिए ऋण सरकार दो तरह से देती है । एक तो विभागीय ऋण जो जी० एफ० ए० आर० में अंकित नियमों के अनुसार केवल सरकारी कर्मचारियों को ही दिया जाता है । यह लोन एम० एल० ए० व मिनिस्टरों को नहीं दिया जाता है । लो इन्कम ग्रूप हाउसिंग स्कीम के तहत जो लोन दिया जाता है उसके नियम अलग हैं । इस प्रकार का लोन प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी आय इन नियमों के वर्णित सीमा से कम है, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, दिया जाता है । जी० एफ० ए० आर० में वर्णित नियमों के अनुसार जिन सरकारी कर्मचारियों के पास सरकार से कर्जा लेकर बनाये हुए मकान हैं, सरकार से दुबारा कर्ज नहीं दिया जा सकता है । यदि ऐसे व्यक्तियों के मौरूसी मकान हैं तो भी ऐसा लोन दिया जा सकता है ।

(ख) सरकारी लोन राज्य कर्मचारी को अपने स्वयं के रहने के लिए मकान बनाने को दिया जाता है । यदि मकान सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता से अधिक है या उनका ट्रान्सफर हो जाय तो उनके किराये पर दे देने की कोई रोक नहीं है । जिन व्यक्तियों

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

को सरकार से कर्जा कोटा कमिश्नर द्वारा दिया गया है उनमें से ४ ने मकान किराये पर दिये हैं।

(ग) एम० एल० ए० व मन्त्रियों को जी० एफ० ए० आर० में वर्णित नियमों के अनुसार कर्जा नहीं दिया जाता है। कोटा में १८ अफसरों ने जी० एफ० ए० आर० में वर्णित नियमों के अनुसार १९५६–५७ व १९५७–५८ में बनवाये हैं, जिनमें से तीन कोटा के निवासी नहीं हैं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या जिन ऑफिसरों ने ये बगले बनवाये हैं उनको २५० से कम वेतन मिलता है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : जिनकी जितनी आमदनी है उनको नियमों के अनुसार ही कर्जा दिया जाता है। जैसे नियम बने हुए हैं, उनकी कोई अवहेलना नहीं की गई है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : आपका जो कर्जा देने का कायदा है उसमें एक यह भी आइटम है कि जिनके शहर में मकान हैं या खुद के मकान हैं उनको कर्जा नहीं दिया जायेगा। फिर भी शहर में जिनके मकान हैं उनको कर्जा दिया गया है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह आप किसके लिए कह रहे हैं जी० एफ० ए० आर. के तहत जो सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है या लो इन्कम हाउसिंग स्कीम के लिए दिया जाता है ? किसके बारे में आप पूछना चाहते हैं ?

श्री भैरवलाल कालाबादल : यह लो इन्कम हाउसिंग स्कीम जो है यह इसके बारे में है कि लोन कम वेतन वालों को दिया जायेगा। इसके तहत भी ज्यादा वेतन वालों को लोन दिया गया है ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : यह आपका ख्याल गलत है। उसमें ऐसा है कि जिनकी आमदनी ५००) रु० से अधिक होगी उसको लोन नहीं दिया जायेगा और जिनकी आमदनी ५०० या ५०० से नीचे होगी उनको लोन दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

नागनवट व रामगढ़ में वन विभाग द्वारा वन नर्सरी का निर्माण

७३. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या जिला बांसवाड़ा की तहसील कुशलगढ़ के ग्राम नागनवट तथा रामगढ़ में फॉरेस्ट विभाग द्वारा कल्चरल ऑपरेशन किया जाकर वन नर्सरी का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या उपरोक्त नर्सरी के निर्माण के पूर्व रेवेन्यु विभाग द्वारा जमीन एक्वायर करवाने की कार्यवाही की गई थी ?

(३) कौन सी तारीख को सरकार ने वन पौधे लगाने की मन्जूरी दी ?

(४) क्या उक्त जमीन में नर्सरी लगाने की मन्जूरी देने से पहले उपरोक्त गांवों के किसानों को अपना उज्र अन्दर मियाद पेश करने हेतु नोटिस प्रकाशित किया गया था ? यदि हां, तो कब और कितने दिनों की मियाद घोषित की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त एरिया

Page No.21

(श्री हीराभाई)

के अन्दर कई किसानों के खेत आ गये हैं जिनको बेदखल किया जा रहा है और मवेशियों को चरने जाने का रास्ता भी रोक दिया गया है ?

उप-राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम) : (१) जी हां। कल्चरल ऑपरेशन १९५६-५७ में किया था। कोई नई नर्सरी का निर्माण नहीं किया गया।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) प्रश्न नहीं उठता।

(५) जी नहीं।

श्री हीराभाई : क्या रेवेन्यु विभाग की जमीन पर वन विभाग कब्जा करना चाहता है तो रेवेन्यु से उसके लिए मन्जूरी लेना उचित नहीं है ?

श्री सम्पतराम : कब्जा तो कर ही नहीं सकते। अगर कब्जा कर लेते हैं तो नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जाती है।

श्री हीराभाई : वहां के काश्तकारों के जो खेत ले लिए गये हैं उनके लिए उनसे पूछा था या नोटिस द्वारा कोई कार्यवाही की थी ?

श्री सम्पतराम : किसी काश्तकार का कोई खेत नहीं लिया गया।

श्री हीराभाई : मैं तो काश्तकारों का नाम भी बता दूंगा। भीमा, नरसिंह के नाम का खेत है जिसके लिए मुआवजा दस रुपया, पांच रुपया सरकार देने की कोशिश कर रही है। अगर उन लोगों से वह खेत छीन लिया जायेगा तो उनकी रोजी के लिए कोई रास्ता नहीं होगा और उनको दर दर भटकना होगा।

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की शिकायतें आई थीं जिनके लिए फोरेस्ट के रिप्रेजेन्टेटिव और जिलाधीश आये थे, उन्होंने मौके को देखा था। उसमें एक-दो काश्तकारों की जमीनें आई थीं, उसके बाद जांच करके छोड़ दी गई। अब किसी भी काश्तकार की जमीन जंगलात के कब्जे में नहीं है।

श्री हीराभाई : क्या यह रेवेन्यु की जमीन थी, फोरेस्ट विभाग की नहीं थी। कब से यह जंगल एरिया बना हुआ है ?

श्री श्रीभानसिंह : जिन काश्तकारों की जमीन ली गई है उसके लिए क्या सरकार ने कोई कम्पेन्सेशन या जमीन देने का सोचा है ?

श्री सम्पतराम : लोगों ने अपने खेत वगैरह बढ़ा रखे हैं। फोरेस्ट के रिप्रेजेन्टेटिव और जिलाधीश वहां आये थे और उन्होंने जमीन देखी। किसी भी किसान की जमीन नहीं ली गई है, इसलिए मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं आता।

एक माननीय सदस्य : शायद यह काश्तकार पिछड़ी हुई जाति के होंगे !

श्री हीराभाई : यहां काश्तकारों के १५ साल से खेत हैं......

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह : अभी जो माननीय सदस्य के प्रश्न का जवाब मन्त्री महोदय ने दिया है और उस पर उन्होंने काश्तकारों के भी नाम बताये हैं। अच्छा यह होगा कि जो माननीय सदस्य बता रहे हैं उसके बारे में मन्त्री महोदय यह कहें कि जांच करेंगे। आखिर जब

Page No.22

(श्री श्रीभानसिंह)

कोई इन्फोर्मेशन माननीय सदस्य देते हैं तो उसको वैलिड और ट्रयूइन्फोर्मेशन माना जाये।

श्री सम्पतराम : मैंने अभी जवाब दिया कि जिलाधीश और जंगलात विभाग के रिप्रेजेन्टेटिव वहां गये। खुद हीराभाई जी भी उनके साथ थे, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री हीराभाई : मैं आपको बताऊं कि कि जो रास्ता निकाला था बीच में से, वह रास्ता तक जंगल विभाग ने बन्द कर रखा है।

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री) : जो सूचना हमारे पास आई है उससे मालूम हुआ है कि कलेक्टर बांसवाड़ा और फोरेस्ट ऑफिसर और माननीय सदस्य खुद वहां मौके पर गये और जिन काश्तकारों के खेत जमीन में आ गये थे उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब यह कहते हैं कि वह खेत अब भी ले लिये गये हैं और जिनके नाम वह बता रहे हैं उनके बारे में हम जांच करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीभानसिंह ।

भरतपुर जिले में पंचायतों का निर्वाचन

७४. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Local Self Government be pleased to state—

(1) In how many village panchayats of Bharatpur District, panchayat elections have not been held? Kindly give their names separately tehsil-wise. What are the reasons for this delay?

(2) For how many village panchayats in the said District, the election dates were fixed several times but the elections were stayed? What are the reasons for this?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री दौलतराम सारण) : (१)चाही गई सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट नं० ३ देखिये)

प्रश्न संख्या ७५

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

(अनुपस्थित)

हरिजनों को रहने तथा खेती के हेतु मुफ्त जमीन वितरण

७६. श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार को भारत सरकार ने हरिजनों को गांवों में रहने तथा खेती के लिए मुफ्त जमीन देने को कहा है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की है?

(२) क्या यह भी सही है कि जिला राजस्व अधिकारियों को उक्त विषय में आदेश भी दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या है?

उप राजस्वमंत्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को नेक्स्ट वीक में रख लें तो ठीक होगा।

श्री श्रीभानसिंह : अगली टर्न पर कौनसा क्वेश्चन रखा जायगा?

श्री अध्यक्ष : ७६ ।

श्री श्रीभानसिंह : पहले यह प्रोसीजर तय हो गया था कि माननीय मंत्री महोदय का जवाब नहीं हो या जवाब नहीं देना चाहें तो माननीय अध्यक्ष को इन्फोर्म करें ।

श्री अध्यक्ष : He has approached me for this, but still I wanted him to tell the same thing to the House also.

श्रीमती गंगादेवी डाटा : इस प्रश्न का उत्तर कब तक दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह ।

पाली शहर में आयुर्वेदिक औषधालय

७७. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) क्या पाली शहर में सरकार द्वारा संचालित कोई आयुर्वेदिक औषधालय है ? यदि हां, तो उसमें औसतन कितने बीमार रोजाना आते हैं ?

(ख) इस समय उक्त औषधालय में कुल कितना स्टाफ है ? क्या बीमारों की संख्या देखते हुए इतना स्टाफ पर्याप्त है ? अगर नहीं, तो क्या सरकार उक्त औषधालय में स्टाफ बढ़ाने का प्रबन्ध करेगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां । औसतन रोजाना बीमारों की संख्या १५६ है ।

(ख) स्टाफ निम्नलिखित है:

१. वैद्य १.

२. उपवैद्य १.

३. धात्री १.

४. चतुर्थ श्रेणी १.

वर्तमान में बीमारों की संख्या को देखते हुए उपर्युक्त स्टाफ पर्याप्त मालूम पड़ता है, अतः स्टाफ बढ़ाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

श्री मूलचन्द डागा : औसत संख्या कौन से साल तक की बतलाई है; ५८ के पहले की या बाद की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एवरेज एक साल का लगाया जाता है ।

श्री मूलचंद डागा : कौन से साल का कब तक का लगाया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह ५७-५८ का है ।

श्री मूलचंद डागा : कौन से महीने से कौन से महीने तक का है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ५७-५८ में औसत संख्या ९० है । पिछले वर्ष में १५६ बीमार रोजाना आये हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : आपके यह उपमंत्री आये थे उस समय यह बतलाया गया था कि औसत संख्या २२० है रोजाना की।

श्री बद्रीप्रसाद : मेरे पास जो सूचना आई है वह इस प्रकार है कि पिछले साल सरकार द्वारा संचालित आयुर्वेदिक औषधालय में ५७-५८ में दैनिक बीमारों की औसतन संख्या ९० रही है और पिछले वर्ष जुलाई १९५८ तक १५६ बीमार रोजाना आये हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकरणसिंह ।

Page No.24

लैण्ड रेकॉर्ड्स विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री रामकरणसिंह)

(१) क्या लैण्ड रेकार्डस के कर्मचारियों का। जो।तहसील कोटपुतली में टिकाने तक समय से कार्य कर रहे थे फिक्सेशन कर दिया गया है ?

(२) क्या उनको युनीफाइड पे स्केल दे दी गई है ?

(३) यदि नहीं, तो यह कार्य इतने दिन तक क्यों नहीं किया गया है ?

(४) क्या सरकार इस कार्य को शीघ्र करने का विचार रखती है ?

(५) यदि हां, तो यह किस मास तक हो जायगा ?

उप-राजस्वमंत्री (श्री संपतराम) :

(१) फिक्सेशन की कार्यवाही की जा रही है।

(२) जी हां, अस्थायी रूप से।

(३) प्रश्न नहीं उठता है।

(४) जी हां,

(५) आशा है कि शीघ्र हो जावेगा।

श्री रामकरणसिंह : कब तक पूरा हो जायगा, कोई मुकर्रर टाइम नहीं बताया ?

श्री संपतराम : निश्चित समय तो नहीं बता सकता। कागजात तैयार होकर ए. जी. के पास भेज दिये गये हैं। वहां से आने पर तय कर दिया जायगा।

श्री रामकरणसिंह : लेण्ड रेकॉर्ड के कर्मचारी राजस्थान में कब लिये गये थे ?

श्री संपतराम : यह तो जब जागीरें एबोलिश हुईं उसके बाद आये।

श्री रामकरणसिंह : कितना अरसा हो गया ?

श्री सम्पतराम : ६, ७ साल का अरसा हो गया है, कागजात कम्प्लीट नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : रिज़म्पशन ५४ में हुआ है, तभी से कागजात चल रहे हैं।

श्री रामकरणसिंह : क्या स्टेज है ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने बता तो दिया है कि ए. जी. के पास गये हैं। आते ही आॅर्डर हो जायेंगे।

श्रीरामकरणसिंह : ए. जी. के पास कब गये ?

श्री सम्पतराम : निश्चित तारीख मेरे पास नहीं है।

प्रश्न संख्या ७६

श्री अध्यक्ष : श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

(अनुपस्थित)

बिक्री कर से मुक्ति

८०. **श्री मनोहर कोठरी** (कुम्भलगढ़): क्या वित्तमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No.25

(१) राजस्थान बिक्री कर अधिनियम १९५४ के प्रावधानों के अनुसार किस किस प्रकार की कृषि सम्बन्धी मशीनें, औजार तथा उनके हिस्से बिक्री कर से मुक्त हैं।

(२) क्या गन्ना पीलने का कोल्हू कृषि सम्बन्धी मशीन की कोटि में आता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(३) क्या पहले कोल्हू को सरकार ने खेती सम्बन्धी आवश्यक मशीन मानकर कस्टम से मुक्त कर रखा था?

(४) क्या सरकार की ओर से बिक्री कर अधिकारियों को कोल्हू पर बिक्री कर वसूल करने सम्बन्धी कोई अन्तरंग विभागीय निर्देश दिये गये हैं?

उप-राजस्व मन्त्री (श्री संपतराम, वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में): (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री मनोहर कोठारी : जो सूची सदन की मेज पर रखी है उसमें इसको कृषि सम्बन्धी औजारों की श्रेणी में नहीं रखा है।

श्री सम्पतराम : यह निश्चित बात है।

श्री मनोहर कोठारी : निश्चित बात क्या है? यह जो सम्बन्धित सूची मांगी है, जिन्हें बिक्री कर से मुक्त रखा गया है तो दूसरी तरफ क्या यह माना जाय कि यह सेल्स टैक्स लगने वाली में है और इस पर सेल्स टैक्स लगना चाहिए?

श्री सम्पतराम : चाहिये या न चाहिये का सवाल नहीं है। यह डाइरेक्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इम्प्लीमेंट में नहीं आता है। It deals with agriculture products.

श्री मनोहर कोठारी : क्या सरकार इस बात को उचित नहीं समझती है कि जब कि दूसरी राज्य सरकारों ने कोल्हू को कृषि से संबंधित मशीन मानकर बिक्री कर से मुक्त कर रखा है तो राजस्थान में जहां पर कई जगह किसान केवल गन्ना ही पैदा करते हैं और उसका किसानों पर सीधा असर पड़ता है तो उसको सेल्स टैक्स से मुक्त करना उचित नहीं है?

श्री संपतराम : जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स डाइरेक्टली आते हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था और किसी स्टेट में मेरे ख्याल से हो, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता है। बम्बई में तो बम्बई सरकार ही नहीं बल्कि बम्बई हाईकोर्ट तक ने इसको एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट में से एक्सक्लूड किया है।

श्री मनोहर कोठारी : गन्ने से किसान गुड़ खुद ही तैयार करते हैं, अगर इसको भी डाइरेक्ट प्रोसेस के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं तो मैं समझता हूं कि यह किसानों के साथ अन्याय होगा।

श्री सम्पतराम : किसान तो और फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे क्या?

श्री अध्यक्ष: चाहे कुछ मानें आप, लेकिन टैक्स तो देना ही पड़ेगा। यह कहते हैं कि इसको एग्ज़ेम्शन दिया जाय।

(हंसी)

जागीरदारों को मुआवजा

८१. **श्री मनोहर कोठारी** (कुम्भलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जागीर पुनर्ग्रहण के बाद जिन जागीरदारों ने सरकार को अपनी पट्टा बही आदि चार्ज में नहीं दी हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है ?

(२) जिन जागीरदारों के दावों की अब जांच हो रही है क्या उनके द्वारा प्रस्तुत पट्टे बहियों की नियमानुसार जांच की जाती है ?

(३) क्या सरकार के पास ऐसे जागीरदारों द्वारा पुरानी तारीखों में किये जा रहे पट्टों के सम्बन्ध की कोई सूचना है ?

(४) क्या ऐसे साधारण पट्टों के आधार पर जमीन किसानों के नाम दर्ज करना उचित है ? यदि नहीं, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने का विचार रखती है ?

उप राजस्व मंत्री (श्री सम्पतराम): (१) नहीं, उनको भी मुआवजा दिया जा रहा है।

(२) जी हाँ।

(३) कई जगह की इस तरह की शिकायत है और उनकी जांच की जा रही है।

(४) ऐसे पट्टे अमान्य माने जाने की दशा में प्रभावहीन होते हैं।

श्री मनोहर कोठारी : क्या आपके यहाँ इस प्रकार के नियम हैं कि जागीरदार पट्टे बही वगैरह सरकार के सुपुर्द नहीं कर दें तब तक मुआवजा नहीं मिलना चाहिए ?

श्री सम्पतराम : यह सही बात है कि जब तक क्लेम तय नहीं होता है तब तक मुआवजा कैसे दिया जा सकता है ?

श्री मनोहर कोठारी : क्लेम का सवाल नहीं है। पट्टा बही जब तक जमा नहीं कराते हैं तो कैसे साबित हो सकता है कि बाद में पट्टे नाजायज़ तरीके से इश्यू करके रकम किसानों से वसूल कर ली और सरकार से भी क्लेम ले लिया।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : जो दस्तावेज़ जागीर रिज़म्शन एक्ट के मातहत जमा करानी चाहिए वे जमा नहीं कराते हैं तो उन्हें इस बात के लिए मजबूर करने के लिए कानून के प्रोवीज़न्स काम में लाये जायेंगे। अब रहा सवाल कि पट्टा बही नहीं जमा करवाई या क्या कार्यवाही हुई, यह अलग से थोड़ा सा स्पेसिफिक रूप से पूछेंगे तो जवाब अलग-अलग दिया जा सकता है कि कानून की पाबन्दी सख्ती से कर रहे हैं या नहीं ?

श्री मनोहर कोठारी : मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि नाजायज पट्टे दिये जा रहे हैं जिनमें पुरानी तारीखें डाल दी जाती हैं और पुराने पट्टों को नये पट्टों में रखते हैं। पुराने पट्टों पर रोकड़ के फोलियो का नम्बर लगा रहता है और नये पट्टों पर फोलियो का नम्बर नहीं लगा रहता है। उसके बावजूद भी पट्टों को जायज मानकर प्रस्तुत किया जाता है प्रोपर्टी के नाम पर।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो जाली दस्तावेज़ अगर कोई दूसरा बनाये उसके साथ में जो कार्यवाही होती है वही कार्यवाही इनमें भी हो सकती है जो पट्टे बाद में जारी किये जाते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) **:** क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रकार के जाली पट्टे बनाये जा रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : शिकायतें जरूर पेश हुई हैं, उन पर जाँच हो रही है। अभी वह मुकम्मिल नहीं हो सकी है इसलिए निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री जनार्दनराय नागर : जाँच होने की मिकदार क्या है ? एकाध केस हैं या ज्यादा ?

श्री श्रीभानसिंह : क्या पट्टे साहित्य एकेडेमी में छप रहे हैं ?

(हंसी)

श्री जनार्दनराय नागर : आपकी मति का यही नाप है कि बात हो रही है जागीर के पट्टों के मामलों की और आप कह रहे हैं कि साहित्य एकेडेमी में छप रहे हैं !

श्री अध्यक्ष : बहुत ऊंचे दर्जे की फिक्शन है।

(हंसी)

श्री मनोहर कोठारी : मेरी स्पष्ट सूचना है कि आमेट तहसील में इस तरह की शिकायतें काफी मात्रा में पेश हुई हैं कि जागीरदार सरदारगढ़ ने ऐसे सैंकड़ों जाली पट्टे कर दिये हैं और जिनसे जमीन पर नाजायज तौर पर कब्जा कर लिया जाता है, इतना ही नहीं कई पर नाजायज कब्जा करने की कार्यवाही चलती रही है तो इस तरह के पट्टे पेश कर दिये जाते हैं और वे मान लिये जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस बारे में सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है और माननीय मंत्री महोदय का उत्तर टालने वाला है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार की ऐसी कोई नीति नहीं है। ऐसे केसेज़ जो जुडिशियल केसेज़ हैं, वे जुडीशियल केसेज़ की तरह से ही तय होते हैं, सरकार को भी आवश्यकता होती है तो उसके खिलाफ अपील करनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : कानून से सरकार को ऐसा अधिकार है क्या कि जिन्होंने बहियें जमा नहीं कराई हैं उन्हें ऐसा करने से रोका जाय ? Is the Government authorised ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Government will take all the measure which it can take under the law and force the defaulters to surrender their documents which they should.

श्री अध्यक्ष : My question is not answered.

श्री दामोदरलाल व्यास : That is amatter of interpretation of law, I cannot say off-hand.

श्री अध्यक्ष : ऐसे रूल्स हैं क्या कि जिन्होंने बहियें जमा नहीं कराई उनको मुआवजा नहीं मिलेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसे रूल्स नहीं हैं, लेकिन उन्हें मजबूर करने का जो तरीका है उसे काम में लाया जाता है।

एक माननीय सदस्य : मुआवजा मिला या नहीं ?

Page No.28

श्री जनार्दनराय नागर : कितनी मिकदार में शिकायतें हैं, इसका जवाब नहीं मिला।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसका जवाब भी दिया जा चुका है।

श्री मनोहर कोठारी : क्या सरकार यह महसूस करती है कि यह जो शिकायत है यह एक केस के रूप में है और उसी के ऊपर क्या सरकार नीति निर्धारित करना चाहती है जिससे कि इस कांड को रोकने के लिये कोई सख्त कदम उठाया जा सके ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है, कोई फर्जी पट्टे देते हैं तो उनको सजा दी जाती है। लेकिन जांच से पहले किसी को सजा नहीं दी जा सकती।

श्री मनोहर कोठारी ; इस तरह की पट्टा, बहियां आदि जो चीजें सरकार को लेनी चाहिये जिसके जरिये सरकार कार्यवाही करने की कोशिश कर सकती हैं, कितने मामलों में ऐसे रेकॉर्ड प्राप्त किये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास ; जो दस्तावेज़ उनको पेश करने चाहिये, यदि उन्हें वे पेश नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेने में मजदूरी का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात यह है कि जहां तक फरजी पट्टे करने का सवाल है गवर्नमेन्ट उनको ऐसा करने के लिये एनकरेज नहीं कर सकती। जागीरदारों द्वारा फर्जी पट्टा करने के जो केसेज़ ध्यान में आते है उनकी इन्क्वायरी करते हैं। जागीर कमिश्नर को जुडिशियल पॉवर्स हैं और वे जुडिशियल ढंग से ही केसेज़ को डिसाइड करते हैं। यदि उनका फैसला ऐसा होता है जिसे माननीय सदस्य पसन्द नहीं करें तो उसकी भी हमें अपील लेनी पड़ती है।

श्री मनोहर कोठारी : मैं यह अर्ज करता हूँ कि नाजायज कब्जे की कार्यवाही तहसीलदार शुरू करते हैं और फिर पट्टा आदि सबूत में कलेक्टरों के पास पेश करते हैं और उसको कलेक्टर जायज मानते हैं, क्योंकि उनका कब्जा उन पर मौजूद है। इस प्रकार के केसेज़ को भी क्या आप जुडिशियल मानते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बिल्कुल जुडिशियल सवाल है, इसमें गवर्नमेन्ट का रेपुडियेशन नहीं होता है।

श्री जनार्दनराय नागर : Government seems to be at their wits end. There is no way out of it.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ८२

श्री सज्जनसिंह।

(अनुपस्थित)

महिला कल्याण केन्द्र

८३. श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) क्या मंत्री महोदय, समाज कल्याण विभाग निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सोशियल वेलफेअर बोर्ड द्वारा संचालित महिला कल्याण केन्द्र को इकाइयों की प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्ट कमेटी का निर्माण राज्य के किस अधिकारी द्वारा किया जाता है ?

(२) क्या उक्त कमेटी के निर्माण के कुछ निश्चित नियम है ? यदि हां, तो वे क्या क्या है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (१) प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटिंग कमेटी

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

का निर्माण राज्य बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा किया जाता है।

(२) कमेटी के निर्माण के नियम संक्षेप में निम्नांनुसार हैं :

संपूर्ण जिले की परियोजनाओं के लिये एक समिति होगी। जिला परियोजना समिति में सदस्यों की कुल संख्या लगभग १५ होगी। सरकारी पक्ष की ओर से जिला प्रशासन की तरफ से एक या दो प्रतिनिधि होंगे जो कल्याण विस्तार कार्य क्रमों से निकटतम रूप से सम्बन्धित हों। प्रत्येक समिति का एक अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष होगा। ये समिति के सदस्यों में से चुने जावेंगे।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : क्या सरकारी महिलाएं भी इसमें नामजद हैं, यानी सरकारी सर्विस में होते हुए भी वे नामजद हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकारी अधिकारी भी नामजद हो सकते हैं। यदि कोई महिला अधिकारी है तो वह भी नामजद हो सकती है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार वहां की एम. एल, ए. को, यदि कोई महिला एम. एल. ए. वहां हो तो, इसमें रखना उपयुक्त समझती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अनुपयोगिता का तो कोई कारण नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : वहां की एम.एल.ए. को नहीं रखा गया, इसका कारण क्या है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : उनको रखना अनिवार्य नहीं है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार के ध्यान में है कि वहां की महिला एम.एल.ए. को जान-बूझ कर नहीं रखा गया ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह बात सरकार के ध्यान में नहीं है। यदि आप चेलेन्ज करती हैं तो इसकी जांच करगे।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार महिलाओं को वहां रखना उपयोगी नहीं मानती है ? क्या सरकार उनकी आवश्यकता वहां पर समझती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आवश्यकता हो भी सकती है।

श्री अध्यक्ष : आवश्यकता ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन।

कोटा की गन्दी बस्तियों को हटाना

८४. **श्री भैरवलाल कालाबादल** (अकलेरा) : क्या स्वायत शासन मन्त्री निम्न-प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार ने नगरपालिका तथा सिटी इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, कोटा की गंदी बस्तियों को हटाने के लिये ४ लाख रुपये की योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

(२) क्या यह सत्य है कि पंचायत कैथून के हरिजनों को सन् १९५४ के ४।। माह का वेतन आज तक प्राप्त नहीं हुआ है तथा पंचायत व तहसील दोनों ही इस वेतन को चुकाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेतीं ? यदि हाँ, तो उन हरिजनों का वेतन कौन चुकाएगा ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) जी हाँ । केन्द्रीय सरकार ने कुछ सुझावों के साथ स्कीम को वापिस लौटाया है तथा उन सुझावों के आधार पर स्कीम की जांच की जा रही है ।

(२) जी हाँ, पंचायत ने १३-५-५४ को चार्ज लिया था और यह वेतन इसके पूर्व का है । इसका चुकारा तहसील करेगी तथा इसकी बाबत कलेक्टर कोटा को डिवीज़नल पंचायत ऑफिसर द्वारा २६-७-५८ को लिखा भी जा चुका है ताकि चुकारा जल्द हो सके ।

नगरपालिकाओं में हरिजनों तथा महिलाओं की नामजदगी

८५. श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) नगरपालिकाओं में हरिजन व महिला सदस्यों की नामजदगी का क्या तरीका है ?

(२) क्या लालसोट नगर व धौलपुर की नगरपालिकाओं में हरिजन व महिला सदस्यों की नामजदगी की गई है ? यदि हाँ, तो उक्त नामजदगी कलेक्टर व एस. डी. ओ. के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर ही है या किसी और आधार पर ?

(३) क्या सरकार नगरपालिका के चुनाव में हारे हुए व्यक्ति को भी नामजद कर सकती है ? यदि नहीं, तो नगर की नगरपालिका में ऐसे व्यक्ति की नामजदगी किस आधार पर की गई ?

(४) क्या सरकार नगरपालिका के लिए अशिक्षित व्यक्ति को भी नामजद कर सकती है ? यदि नहीं, तो लालसोट व नगर की नगरपालिकाओं में ऐसे व्यक्तियों की नामजदगी क्यों की गई ?

उप स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (१) नगरपालिकाओं में पिछड़ी हुई जाती व महिला सदस्यों की नामज़दगी के लिए साधारणत: सम्बन्धित जिलाधीशों से उपयुक्त व्यक्तियों की सूची प्राप्त कर नामजदगी की जाती है, किन्तु सरकार पर कानूनन ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि जिलाधीशों की सिफारिश के आधार पर ही नामजदगी की जावे ।

(२) जी हां । लालसोट व नगर की नगरपालिकाओं की नामजदगी सम्बन्धित जिलाधीशों से प्राप्त सूची के आधार पर ही की गई है । धौलपुर नगरपालिका में एक सदस्य का मनोनयन जिलाधीश की सिफारिश के बाहर है ।

(३) राजस्थान टाउन म्युनिसिपेलिटीज़ अधिनियम, १६५१ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अन्तर्गत नगरपालिका के चुनाव में हारे हुए व्यक्ति को नामजद न किया जा सके, अत: नगर की नगरपालिका में नामजदगी के बारे में प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) जी नहीं । लालसोट व नगर की नगरपालिकाओं में नामजद किये हुए सदस्य हिन्दी जानते हैं ।

श्री बहादुरसिंह : क्या यह सही है कि धौलपुर नगरपालिका में जो नामजदगी की गई थी मन्त्रीजी द्वारा उस पर उप-मन्त्रीजी ने एतराज किया, इसलिये उस नामजदगी को बदल दिया गया ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सही है कि नगरपालिका से इसके लिये सुझाव मंगाये जाते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : उस समय तक तो नगरपालिका बनती ही नहीं है, इसलिये सुझाव मंगाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो फिर नामजदगी के लिये नाम कहां से आते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नाम प्राप्त करने के बहुत से जरिये हैं। कलेक्टर से भी सूचना प्राप्त की जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या वहां की स्थानीय कांग्रेस कमेटियों से भी नाम मांगे जाते हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जी नहीं।

डॉ० चन्द्रकला : इसमें जनता की भावना का कितना ध्यान रखा जाता है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : पूरा ध्यान रखा जाता है।

डॉ० चन्द्रकला : जो व्यक्ति चुनाव में हारे हुए होते हैं उनको नामजद करके जनता की भावना का कैसे ख्याल रखते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर से जो रिपोर्ट आती है उसमें जो नाम आते है उनमें नामजदगी की जाती है।

डॉ० चन्द्रकला : क्या मंत्रीजी के ध्यान में यह बात बाद में आई कि जिनको नामजद किया गया वे हारे हुए हैं ?

श्री पी० के० चौधरी : ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें विपरीत नामकरण होता है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : कोई परिस्थिति नहीं है। हमें अख्त्यार है नामजदगी करने का।

श्री पी० के० चौधरी : मैं अख्त्यार की बात नहीं कह रहा हूँ। What are the conditions when Collector's recommendations are not accepted, but some other nomination is made !

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : He should be a suitable person and we can judge it in individual cases.

श्री श्रीमानसिंह : What dose the Hon. Minister mean 'we' judge it ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : 'We' means Government.

श्री पी० के० चौधरी : Where the Collector's person is unsuitable, you recommend a suitable person ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : He sends a panel and we see the panel and we see from outside also.

प्रश्न संख्या ८६

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री दयाकृष्ण विजय

(अनुपस्थित)

नेक्स्ट।

जिला बोर्ड जयपुर का स्पेशल आडिट

८७. रामकरणसिंह (कोतपुतली) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.32

(श्री रामकरणसिंह)

(१) क्या गत वर्षों में श्री यादराम चतुर्वेदी ने जो स्पेशल ऑडिट जिला बोर्ड जयपुर का किया उसमें सदस्यों को दी गई एडवान्स रकमों के बारे में लिखा है ?

(२) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में किन-किन सदस्यों के नाम किस किस काम के लिए कितनी कितनी एडवान्स रकम देने की बात बतलाई गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) रिपोर्ट में कितने सदस्यों पर रकम के दुरुपयोग के आरोप लगाए गये हैं ?

(४) जिन कार्यों के लिये रकम एडवान्स दी गई उस पर खर्च न करने वाले सदस्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(५) किन किन सदस्यों पर कितने कितने रुपये के गबन के आरोप हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(६) अब तक इस बारे में सरकार ने कब कब क्या क्या कार्यवाही की ?

उप-स्वायत्त शासन मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई) : (१) कुछ सदस्यों के बारे में शिकायत थी।

(२) रिपोर्ट में कोई लिस्ट नहीं है।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) रुपये जमा करा लिये गये।

(५) कोई नहीं है।

(६) हिसाब से लिये गये और रुपये जमा करा लिये गये।

श्री रामकरणसिंह : सूची मुझे मिली नहीं, वहां से जानकारी मैंने कर ली है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : सूची भेज दी गई है।

श्री रामकरणसिंह : मैं अभी जानकारी करके आ रहा हूँ सूची वहां नहीं है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने पूछा है, सूची भेज दी गई है।

श्री रामकरणसिंह : मैं वहां जाकर आया हूँ, वहां मुझे सूची मिली नहीं ?

श्री अध्यक्ष : नोटिस ऑफिस में है।

श्री रामकरणसिंह : मैं जानकारी करके आया हूँ............

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने सूची भिजवाई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अभी भिजवाई होगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले भिजवाई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य कहते हैं कि सूची मिली नहीं, वे नोटिस ऑफिस में जाकर आये हैं। यह शिकायत आज की नहीं है। इस ओर माननीय अध्यक्ष ने माननीय मन्त्री का ध्यान कई बार आकर्षित किया है............

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने वेरीफाई किया है। स्पीकर महोदय भी मान रहे हैं कि सूची भेज दी गई है। मैंने वेरीफाई कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : कम से कम इस मौके पर यह सही है।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ८८

श्री जगदीशप्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

१२. १२ म० प०

कुछ स्थगन प्रस्तावों इत्यादि पर वाद-विवाद

श्री अनूपसिंह : मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन प्रस्तुत किया था, उसका जवाब नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष : उस पर विचार किया जा रहा है क्योंकि कुछ जानकारी सरकार से मांगी है, उसके आने के बाद कल निर्णय दिया जायगा ।

श्री लच्छूराम : मैंने एक स्थान-प्रस्ताव रखा था............

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम और श्री श्रीभानसिंह के प्रस्ताव भी आये हैं, उन पर परसों, जब हम मिलेंगे, निर्णय दे दिया जायगा ।

श्री श्रीभानसिंह : मैंने प्रिविलेज मोशन बहुत पहले भेज दिया था बाई पोस्ट, क्या उस पर निर्णय लिया है कि उसको हाउस में कब पेश किया जाय ?

श्री अध्यक्ष : पहले नहीं भेजा। कल जो दिया वह गणराज्य के सम्बन्ध में रखा था ।

श्री श्रीभानसिंह : मैंने एक प्रस्ताव नवयुग डेली के सम्बन्ध में भेजा था, बाई पोस्ट ।

श्री अध्यक्ष : अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकेगी । उसमें बातचीत करके दिन निर्धारित करेंगे । जब वह मोशन सदन के सामने होगा, उसकी आपको जानकारी दे दी जायगी ।

श्री लच्छूराम : मैंने जो सेकिंड प्रस्ताव रखा था अगर दो दिन डिले हो गया तो खराब हालत हो जायगी । यह सेकिंड प्रस्ताव अलवर में पुलिस कर्मचारियों के नृशंस अत्याचारों के बारे में रखा है । वहां पर पुलिस द्वारा जनता को इस प्रकार पीटा जा रहा है जिस प्रकार घास फूस को पीटा जाता है । इसलिए सेकिंड प्रस्ताव को दो-तीन दिन डिले करने से जनता के साथ अन्याय होगा ।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया है कि इसके सम्बन्ध में कई बातें हैं कि यह प्रश्न अदालत के सामने है या नहीं है, उसके क्या फेक्ट्स हैं । इन सब की थोड़ी जानकारी करने के बाद निर्णय दिया जा सकेगा ।

श्री श्रीभानसिंह : मेरा प्रिविलेज मोशन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से क्या सम्बन्ध रखता है ?

श्री अध्यक्ष : We want to fix a day for discussion of that question or motion.

श्री श्रीभानसिंह : But the formal motion has not been moved in the House, Sir.

श्री अध्यक्ष : वह क्वेश्चन पिछले सेशन में चल रहा था और अभी तय नहीं हुआ है । उसको डिस्कस करने के लिए टाइम निर्धारित करना पड़ेगा और समय

(श्री अध्यक्ष)

निर्धारित करने के लिए बिज़नेस एडवाइज़री के सामने जाना उचित समझा। उस पर विचार होगा और एक दिन मुकर्रर कर लेंगे ताकि वह क्वेश्चन यहां डिस्कस किया जाय।

श्री श्रीभानसिंह : मेरा सबमिशन यह है कि जब तक मोशन मूव न हो जाय तब तक हाउस में डिस्कस करने के लिए डे कैसे फिक्स होगा? मुझे पहले मोशन मूव करने की इजाजत दी जाय, फिर डे फिक्स किया जाय, तो यह रूल्स के मुताबिक होगा। बिना मोशन मूव हुए डेट फिक्स नहीं की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : एक क्वेश्चन डिसाइड करना है जो पिछले सेशन में चल रहा था। चाहे कोई मोशन लाये, चाहे लीडर ऑफ दी हाउस मोशन लाये, चाहे यह चेअर लाये या और कोई लाये। एक बात को तय करने के लिए कोई दिन मुकर्रर करना होगा। यह पेंडिंग क्वेश्चन है, इसलिये मैं समझता हूँ कि दिन मुकर्रर करें।

श्री अनोपसिंह : पशु-पालकों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, परेशानी हो रही है, उसके बारे में मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन रखा था। उसका जवाब नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष : उसके लिए बता रहा हूँ।

श्री श्रीभानसिंह : जो मेटर पेंडिंग है वह हाउस के प्रोरोग होने के बाद लेप्स होना चाहिए। उसके लिए फिर फ्रेश मोशन टेबल किया जाय। हाउस प्रोरोग होने के बाद पेंडिंग बिज़नेस बिना मोशन के लाये नहीं लिया जा सकता।

श्री लच्छूराम : मैंने जो सैकिंड प्रस्ताव रखा है, वह पिछले सेशन का नहीं है। वह अलवर के बारे में है और यह मामला २० दिन से चल रहा है। इस प्रकार की कार्यवाही से अनभिज्ञ रखा जाय, यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जानकारी न हो, यह सम्भव नहीं है। जहाँ तक, मैं समझता हूँ इसे डिले किया जा रहा है जिससे इस मामले को टाला जाय। जब जनता को पीटा जाय, तब प्रस्ताव मामूली कैसे हो सकता है? अगर किसी कांग्रेसी विधान सभाई को पीटा जाय....

(घण्टी)

श्री अध्यक्ष : आज ही मैंने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले श्रम मन्त्री जी से बात की थी। उन्होंने जानकारी करने की कोशिश की, कई तरीकों से, लेकिन चूँकि पूरी जानकारी नहीं आ सकी, इसलिए आज निर्णय दिया जाय, यह सम्भव नहीं है।

श्री लच्छूराम : इसको चलते हुए आज २० दिन हो गये, १ तारीख से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके नोटिस से सम्बन्ध रखता हूँ, नोटिस के बाद एक दिन हुआ है। जब सरकार की ओर से पूरी जानकारी आ जायगी, तब निर्णय दिया जायगा।

श्री लच्छूराम : गृह मन्त्री जी ने सूचना नहीं दी है, क्योंकि यह मामूली मामला है....

श्री अध्यक्ष : यह श्रम मन्त्रीजी से सम्बन्धित है। मैंने उनसे बातचीत कर ली है, वे स्वयं उत्सुक हैं सूचना पाने के लिये।

श्री लच्छूराम : अलवर के मामले को मामूली कह रहे हैं। ऐसी मुझे जानकारी मिली है कि मन्त्री महोदय इसे मामूली कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : उसका मुझसे या सदन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हीराभाई : स्थगन प्रस्ताव मैंने रखा था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : उसका निर्णय देने के बाद मैं यह कह सकूंगा कि आपके प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री हीराभाई : सदन को जानकारी कैसे होगी ?

श्री अध्यक्ष : आपको अनुमति मिलने के बाद आप सदन के सामने रख सकते हैं।

श्री हीराभाई : अनुमति कौन देगा, अनुमति के लिए आपसे निवेदन करें या किससे ?

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूँ कि जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में सरकार से जांच करने के बाद निर्णय दे सकता हूँ कि यह सदन के समक्ष आना चाहिए या नहीं ? नेक्स्ट आइटम सदन के मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष, ये प्रस्ताव किस विशेष तारीख को लिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं सोमवार को निश्चित रूलिंग दे दूँगा।

श्री हीराभाई : जहां तक हम मूव करते हैं (घंटी) ये घटनायें कुछ विशेष प्रकार की हैं...

श्री अध्यक्ष : आपको मूव करने की इजाजत अभी नहीं दी जा सकती। यह निर्णय किया जायगा कि इजाजत दी जाय या नहीं।

श्री हीराभाई : कारण मिलने चाहिए, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट आइटम।

१२. १६ म० प०

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

मोटर विहिकल्स टैक्सेशन एक्ट, १९५७ के अन्तर्गत विज्ञप्ति

श्री दामोदरलाल व्यास (यातायात मंत्री की ओर से) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर विहिकल्स टैक्सेशन एक्ट, १९५१, की धारा ३ (२) के अन्तर्गत गृह विभाग (ख) विज्ञप्ति सं० डी० १७६१ एफ. १० (२) (१०) होम २।५४, दिनांक २६ मार्च, १९५८ सदन की मेज पर रखता हूँ।

१२. १७ म० प०

आमोद कर अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत विज्ञप्ति

वित्त मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : मैं आबकारी तथा कर विभाग विज्ञप्ति सं० एफ. ७।४ई एण्ड टी।५७। दिनांक १ अप्रेल, १९५८ जिसके द्वारा राजस्थान एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स एक्ट, १९५७ की धारा ४ (१) के अन्तर्गत एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स की दरें निर्धारित की गई हैं, सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, ये जो विज्ञप्तियां रखी गई हैं, पहले सेशन चला था, उस वक्त की हैं। पहली विज्ञप्ति जो मार्च की है, उस वक्त डेढ़ महीने सेशन चला था, उस वक्त रखी जा सकती थी। दूसरी विज्ञप्ति अप्रेल की है, अप्रेल में ३० दिन तक सेशन चला था, उस वक्त रखी जा सकती थी। इनको इतने टाइम तक पेश न करने के क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष : पिछले सेशन में ऐसी बातें हुई थीं, कोई विशेष कारण है सदन के समक्ष देरी से रखने के ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कल की बजाय आज पेश की हैं ।

(हंसी)

श्री तनसिंह : नौ महीने के बाद पेश की हैं ।

श्री अध्यक्ष : पहली विज्ञप्ति २६ मार्च, १६५८ की है और दूसरी १ अप्रेल, १६५८ की है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह गलती हो गई, उस वक्त पेश कर देनी चाहिए थी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माफी मांगें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : माफी मांग ली ।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

१२. १८. म० प०

राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १६५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री पूनमचन्द विश्नोई (उप-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १६५८ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान वेअर हाउसेज़ बिल, १६५७, सदन के समक्ष प्रस्ताव है कि इस पर विचार किया जाय ।

१२. १६ म० प०

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान गोदाम विधेयक, १६५७

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move that 'the Rajasthan Warehouses Bill, 1957' may be re-committed to the same or another Select Committee with the directive to submit its report during this session.

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जो प्रस्ताव मूव किया है उसका कारण यह नहीं है कि मैं नहीं चाहता कि राजस्थान में वेअर हाउसेज़ का डेवलपमेंट न हो, बल्कि जिस रूप से इस बिल को सदन के सामने रखा गया है, मैं समझता हूँ कि वेअर हाउसेज़ के डेवलपमेन्ट के लिये यह बिल कोई लाभदायक नहीं होगा । जहाँ तक वेअर हाउसेज़ के डेवलपमेंट का सवाल है उस सम्बन्ध में कोई बिल पेश करना है तो काफी गम्भीरता से......

श्री श्रीभानसिंह : On a point of information, Sir, who is piloting the Bill, because the mover of the Bill is conspicuous by his absence.

श्री दामोदरलाल व्यास : I am here to pilot the Bill, don't worry.

श्री पी० के० चौधरी : जहाँ तक वेअर हाउसेज़ के डेवलपमेंट का सवाल है, इस बिल के क्लॉज़ेज़ से यह मालूम होता है कि सरकार की तरफ से यह कोशिश है कि उसकी रेस्पोन्सिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, प्राइवेट इन्डिविज्युअल्स के ऊपर डाली जाय जब कि प्राइमरी रेस्पोन्सिबिलिटी वेअर हाउसेज़ के डेवलपमेंट की सरकार के ऊपर है । जहाँ तक मेरी जानकारी है वेअर हाउसेज़

(श्री पी० के० चौधरी)

के ऊपर हमारे सेकंड फाइव इयर प्लान में काफी जोर दिया गया है ।

इस सम्बन्ध में वेअर हाउ सेज़का डेवलपमेंट है, खास कर उसका सिग्निफिकेन्ट एग्रीकल्चर क्रेडिट के एक्सपेन्शन के साथ है, इसका सम्बन्ध स्टोरेज से नहीं है बल्कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट के एक्सपेन्शन के साथ है । गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया की तरफ से रिज़र्व बैंक ऑफ इन्डिया एक्ट के अन्तर्गत रूरल क्रेडिट सर्वे के लिये एक कमेटी मुकर्रर की गई थी, उस कमेटी ने सिफारिश की है, उसमें रूरल क्रेडिट के डेवलपमेंट के लिये इन्टीग्रेट स्कीम की सिफारिश की है, उस स्कीम में मेन रेस्पोन्सिबिलिटी है रूरल डेवलपमेंट की, वह सरकार के ऊपर रखी । दो मुख्य बातें कही हैं : "State partnership in the developme-nt of co-operative credit society and storage and warehousing."

ये दो चीजें इस स्कीम में हैं । जहां तक हम देखते हैं तो यह जो सिफारिश राजस्थान क्रेडिट सर्वे कमेटी की थी, उसके ऊपर यहाँ सेकन्ड फाइव इयर प्लान बनाया गया है और सेंटर का सेकन्ड फाइव इयर प्लान बनाया गया है । उसके आधार पर एग्रीकल्चर प्रॉड्यूस हो । डेवलपमेंट ऑफ वेअर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, १९५६ के मातहत इस स्टेट में वेअर हाउस कॉर्पोरेशन हमने बनाया है । सेकन्ड फाइव इयर प्लान में वेअर हाउसेज़ के डेवलपमेंट करने के लिये हमारे बजट में १० लाख रुपया का प्रावधान रखा गया है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जनरल स्पीच न दें । यह बिल सिलेक्ट कमेटी के द्वारा पास हो आया है और उसकी रिपोर्ट सदन के पास है । अगर आपका प्रस्ताव है कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय तो जो मेन रीज़न्स इसके लिये हों वही रखिये । खास खास बातें बता दें कि इसलिये इसे दुबारा सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय । This is not the stage for a speech of this nature.

श्री पी. के. चौधरी : वही मैं कह रहा हूं । यह बिल जिससे कि हम वेअर हाउसेज़ का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वह पर्पज़ इस बिल से सर्व नहीं होता है । हम मानते हैं कि वेअर हाउसेज़ का सिग्निफिकेन्ट फेक्टर है वह स्टोरेज आस्पेक्ट नहीं, वह वेअर हाउसेज़ की रिसीट है । किसी स्टेट में वेअर हाउसेज़ का डेवलपमेंट करते हैं तो यह देखना है कि वेअर हाउस जो रिसीट करेगा उन रिसीट्स की सेम सैंक्टिटी मिलेगी कि नहीं । इस बिल में जिस तरह का प्रोविजन रखा गया है एक प्राइवेट इन्डिविजुअल वेअर हाउसेज रखेंगे और वहां से जो रिसीट मिलेगी उस रिसीट को देकर हम किसी बैंक से एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये रुपया कर्ज ले सकते हैं । उस रिसीट का मेन पर्पज़ यही है कि उस रिसीट को बैंक में प्रोड्यूस करके लो टर्म्स पर लोन ले सकें । एग्रीकल्चरल प्राइस स्टेबिलाइजेशन मेन पर्पज़ है, इसमें अर्निंग की स्टेबिलिटी हो । प्राइस जब तक स्टेबल नहीं रहती, अर्निंग स्टेबल नहीं रह सकती और अर्निंग स्टेबल नहीं होता तो क्रेडिट स्टेबल नहीं रह सकता । गवर्नमेंट दो चीजों से फूड प्रेन्स स्टोर करती है । एक तो प्राइसेज़ गिरती हैं तो एक खास प्राइस पर खरीद कर स्टोर में रखती है और अगर प्राइस बढ़ती है तो मैग्ज़िमम में खरीद कर वह उसे स्टोर में रखती है ।

Page No.38

(श्री पी० के० चौधरी)

एग्रीकल्चरिस्ट वेअर हाउस से रिसीट लेकर उस रिसीट को किसी बैंक में प्रोड्यूस करके किसी बैंक से लोन ले सकता है और एग्रीकल्चर के किसी कार्य में लगा सकता है, यह मेन पर्पज़ इस रिसीट का है।

वेअर हाउसेज़ कॉर्पोरेशन का हमारी सेकिन्ड फाइव इयर प्लान में प्रावधान है, यह तीसरा साल चल रहा है। In 1957 at the end of two years, practically वेअर हाउस कॉर्पोरेशन ने एक भी वेअर हाउस नहीं बनाया है। इसके लिए एक करोड़ की सैंक्शन है, ५ लाख राजस्थान सरकार का है बाकी सेंट्रल वेअर हाउसेज़ कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया है....

श्री लच्छूराम : माननीय अध्यक्ष, जहां तक मेरा ख्याल है कोरम पूरा नहीं है।

(कुछ क्षण विराम)

श्री पी० के० चौधरी : (अपना भाषण जारी रखते हुए) लेकिन एक भी वेअर हाउस का सेंटर नहीं बनाया गया है। कहा जा सकता है कि नींव डाल दी गई है, पर कहीं भी स्टेट वेअर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से वेअर हाउस नहीं बनाया गया है। जिस पर्पज़ के लिए हम वेअर हाउसेज़ चाहते हैं, वेअर हाउस रिसीट्स जिनको कि निगोशियेटिंग इन्स्ट्रूमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे उसकी सैंक्टिटी में मुझे संदेह है। जैसे क्लॉज ३४ में दिया गया है। उसमें एग्ज़ीक्युटिव ऑथोरिटी को पॉवर दिया गया है कि वह चाहे जिस तरह एग्जेम्प्शन दे दे। जो वेअर हाउस लाइसेंस इश्यू करता है, इस तरह की ऑथोरिटी उसको दे दी जाती है, जो इस एक्ट के प्रोविज़न्स को इग्नोर करते हुये किसी व्यक्ति को लाइसेंस दे देता है। तो जिस तरह से रिसीट्स की सैंक्टिटी होनी चाहिये उस तरह की नहीं हो सकती।

दूसरी बात यह है कि यह बिल है इसमें इन्स्पेक्शन का इन्तजाम सफिशियेन्ट और श्योर नहीं है। वेअर हाउस की रिसीट्स को वह सैंक्टिटी देने के लिये कि उस रिसीट को प्रोड्यूस करके बैंक से लोन ले सके, इसमें इन्स्पेक्शन की मशिनरी को स्पेशिफाई (specify) किया जाता। प्रेस्काइब्ड ऑथोरिटी में क्लेक्टर को भी इन्स्पेक्शन के लिए प्रेस्काइब किया जा सकता है या किसी कॉओपरेटिव के इन्स्पेक्टर को ही प्रेस्काइब कर दिया। मैं समझता हूँ वेअर हाउसेज़ को सैंक्टिटी देने के लिए यह इन्स्पेक्टिंग मशिनरी का प्रावधान काफी नहीं है। प्राइवेट इन्डिविज्युअल्स को वेअर हाउसेज़ खोलने का अधिकार दिया जाता है तो उसका इन्स्पेक्शन एक अच्छे तरीके से हो। लेकिन जो इन्स्पेक्शन की मशीनरी इसमें रखी गई है वह नाकाफी है। लीगल सैंक्शन प्राइवेट इन्डिविज्युअल्स को देते हैं और उनकी रिसीट्स जिनके आधार पर हम बैंक में से लोन लेने का प्रावधान दे रहे हैं तो इस पर काफी कन्ट्रोल रखना चाहिये और इन्स्पेक्शन का ज्यादा अच्छी तरह इन्तजाम होना चाहिये था। गवर्नमेंट की तरफ से इस बिल में इन्स्पेक्शन करने के लिये स्टेच्युटरी मशीनरी रखनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि शुरू शुरू में जब कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे देश में शुरू किया गया था तो शुरू में, सबसे पहले वह बिल्कुल फेल हो गया और उसके फेल होने का विशेष कारण यही था कि लेक ऑफ प्रॉपर सुपरविज़न था और इसी वजह से हमारा वह कोऑपरेटिव मूवमेंट फेल हो गया। उसके बाद, २०-२५ वर्षों के बाद स्टेट कोऑपरेटिव

(श्री पी० के० चौधरी)

करने लगी और कॉओॉपरेटिव के शेअर्स लेने लगी तथा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डेवलप किया गया। उससे यह हुआ कि गवर्नमेंट का कन्ट्रोल रहा और उससे यह डेवलप हुआ। मैं मानता हूँ कि जो एक्सपीरियेन्स हमने इस सम्बन्ध में इतने वर्षों में प्राप्त किया है और जो भूलें हमने की हैं उनको हम दोहराना नहीं चाहते हैं। यह वेअर हाउसों का इन्स्टालेशन है वह हिन्दुस्तान के एग्रीकल्चरिस्टों के लिए नई चीज है। यह उनके लिए अपने सामान को स्टोर करने के लिए एक अच्छा साधन है, अच्छा फेक्टर है। इसलिये इस तरह से बिल को पास करके केवल हम कहें कि हमारी स्टेट में भी दूसरे प्रान्तों की तरह इन्डिपेन्डेन्ट वेअर हाउसेज़ हैं, यह उचित नहीं होगा। जबकि सरकार की तरफ से सेकिन्ड फाइव इयर प्लान के तीन साल आज चले गये और सेकिन्ड फाइव इयर प्लान भी दो साल में समाप्त हो जावेगा, मगर हमने अभी तक एक भी वेअर हाउस नहीं बनाया। इसलिये मैं कहता हूँ कि जो सचमुच गवर्नमेंट वेअर हाउस को डेवलप करने के लिये इतनी उत्सुक है तो जगह जगह वेअर हाउस होने चाहिये। इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी १० करोड़ रुपयों का इन्तजाम रखा है और एक स्टेट में तो २ करोड़ रुपयों को खर्च करने का प्रोविजन है। फिर मैं समझता हूँ कि इसमें इन्ट्रेस्ट क्यों नहीं लिया जा रहा है ? मैं तो यह कहूँगा कि सिर्फ दिखाने के लिये हमने स्टेट वेअर हाउस बना रखे हैं। कोई वास्तव में वेअर हाउस नहीं होगा। इसलिये यह बिल जिस ढंग से पेश किया जाता है वह एक प्रकार से दिखावटी बिल रहेगा। इसमें यही रहेगा कि राजस्थान में हमने इन्डिपेन्डेन्ट वेअर हाउसेज़ के लिये बिल पास कर दिया है और जब यह बिल पास हो जावेगा तो वेअर हाउसेज़ में किसानों को अपना सामान रखने और स्टोर करने की फेसीलिटीज मिल जावेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस शेप में इस बिल को पेश किया गया है उससे यह साफ जाहिर होता है कि पब्लिक को उसमें कोई कॉन्फिडेन्स नहीं रहेगा और जिस पर्पज़ के लिये डेवलप करना चाहते हैं जिस सिस्टम से चालू करना चाहते हैं, और पोपुलराइज़ करने के लिये वेअर हाउस चालू करना चाहते हैं वह पर्पज़ सर्व नहीं होगा; यह मेरी डेफिनिट राय है। मैं मानता हूँ कि जो इन्डिपेन्डेन्ट वेअर हाउस डेवलप किये जावेंगे और जब मामूली ऑफीसर को लाइसेन्स देने की छूट दे रखी है तो बात यह है कि इन्सपेक्शन में डिटेल्स ऑफ मशीनरी बतानी चाहिये कि वह क्या क्या मशीनरी रखेगा to assure the public ताकि उसमें कोई धाँधली होने की गुंजाइश न हो और पब्लिक को उसकी रसीद पर किसी बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से लोन दिया जा सके। मैं समझता हूँ कि यह तो एक प्रकार से गोदाम बना दिये। यह तो गोदाम बनाने का ही मक्सद हुआ, वेअर हाउस बनाने का मक्सद नहीं होगा। इसलिये मैं यह चाहता हूँ कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को सब्मिट किया जावे, चाहे उसी सिलेक्ट कमेटी को या किसी दूसरी सिलेक्ट कमेटी को, ताकि इसमें इस प्रकार का कोई प्रावधान न रहे जिससे पब्लिक को कॉन्फिडेन्स न हो और बैंक भी रिलाई कर सके और रसीद पर लोन दे सके।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना): Mr. Speaker, Sir, I rise to support the motion for recommittal to the Select Commi-

(श्री श्रीमानसिंह)

ttee by the Hon'ble Member. No doubt that if agriculture as a whole is taken then it is faced with so many intricate problems that solution has not yet been found. We have tackled it in piecemeal and yet the registration of high prices is an indication that our agricultural economy is still unresponsive and stagnant. With a view to give the farmer with whatever little surplus he has the fullest value the Government has brought this Bill. But from the objects andt he reasons, it is not clear whether the warehouses will be constructed by the private agencies or private institutions or by co-operative societies or by the Government itself. As far as my knowledge about the immense expenditure for the construction is concerned, I can assure today that no-body will take this venture. It is only the Government which will come forward to construct these ware-houses and if the Government is undertaking this venture of constructing a warehouse the Bill should have been of a different type. Any private agency or a man constructing a ware-house will need money and as far as my knowledge is concerned provisionally the Government will help. Moreover, Sir, according to my estimate. out of a rupee's produce the farmer hardly gets eight annas because it is passed through so many intermediaries. If, however, he has an agricultural produce of rupee one then he can hold the stock in the warehouse till the prices are lucrative. But under this Bill he has to go to some private agencies and they are not allowed money against the goods. Then what is the significance of the warehouse? The significance of the warehouse is to have the goods of the cultivator and to sell it. But the immediate need of the cultivator is money and if the lagislation can not give advance money against the goods, what is the necessity of the Bill. Because it will not fulfil the principles, and I have no hesitation in saying that our legislation has failed. If we have not been able to tackle their problems, what is the use of this lagislation. He needs money, money to feed his family and still to keep his goods till the time is such that it brings certain returns. I can assure you that the agricultural producer will take his goods to the same money lender from whose clutches we want to extricate him. Then there are wide powers. I can't understand the necessity why clause 34 has been kept. It reads as, "The State Government may, by notification in the official Gazette, for reasons to be recorded, exempt any person from all or any of the provisions of this Act,". There is no reason to keep such wide powers. You will exempt those who have not constructed warehouses on security lines or otherwise. I see no reason why this provision has been kept and I would like to hear the Hon'ble Minister to give reasons where he will like to exercise his powers of exemption.

Moreover, Sir, the present agriculture is financed by certain Commi-

(श्री श्रीमानसिंह)

ssion Agents or other intermediaries and they advance loans before even the seed is germinated and the goods are brought to the intermediaries, and they will advance money. Co-operative credit has failed and cannot get success and, therefore, co-operative warehouse cannot carry on too. It is only the private agencies which will come forward to construct the warehouses. If the Government cannot provide, it will not serve the purpose. There is another clause regarding deterioration etc. in the warehouse if the goods have eeen deposited there. There are certain other things whcse weight will go down. Then in that case, who will be responsible? There is an other clause which relates to the liability of warehouseman for shortage of goods stored. In its sub-clause 4, it is so wide and general that it will lead to increased litigation. It gives so much discretionary powers to the Government machinery that litigation will be encouraged. I do not knew what agencies the Government will appoint. There is a lecuna and there will be a bargain on this account with the man who deposits his goods. It will result that there will be an ample corruption. The aim of the bill is to give benefit to the cultrvator against his goods and if that aim is not fulfilled then I have my doubt that in the course of time, I think, the public will lose confidence about the capacity or the power of the lagislation to secure a change.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि इस बिल को प्रवर समिति को भेज दिया जावे और उन्होंने इसके बारे में दलीलें भी दी हैं। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी वैसे ही विचार प्रकट किये हैं। उनका मुख्य एतराज यह है कि क्रेडिट फेसिलिटी सरकार मुकर्रर कर दे। प्राइवेट पार्टियों पर अगर छोड़ दिया तो वे तो शोषण ही करेंगी और इसलिए उसे वापिस सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाना चाहिये।

पर मैं बताना चाहता हूँ कि क्लॉज २० साफ है। स्टेट गवर्नमेंट या सेन्ट्रल गवर्नमेंट सेन्ट्रल वेअरहाउस कॉरपोरेशन एक्ट के मातहत वेअर हाउस बनाएगी, वे अलग होंगे।

अब जो क्रेडिट फेसिलिटी देने का मकसद है उसके लिए तो यह सेन्ट्रल वेअर हाउस कॉरपोरेशन एक्ट, १९५६ मौजूद है। इसके अनुसार सेन्ट्रल या स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग जगह अपने वेअर हाउस कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश करेगी। पर इसके बावजूद एडीशनल फेसीलिटीज़ जनता को दे देने के लिये प्राइवेट सेक्टर में भी वेअर हाउस को एस्टेब्लिश करने का मौका देने के लिए यह बिल लाया गया है, इसलिये जो सिद्धान्त बताया गया है उसमें फर्क नहीं पड़ता। यह बहुत ही जरूरी है। यह नामुमकिन है कि सरकार सभी वेअर हाउस स्वयं इतने थोड़े समय में और बिना पैसे की शार्टेज़ उठाये, बना दे।

इसमें खास बात यह है कि जिस वक्त बिल पहले लाया गया था कमीशन एजेन्टों के लिए भी इसे लागू करने की बात थी। इसको अब सिलेक्ट कमेटी ने साफ कर दिया है। अतः अब इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसके कारण इसको वापिस सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जावे।

राजस्व मन्त्री (श्रीदामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, जो यह मोशन मूव किया गया है इसका मैं विरोध करता हूँ। यह बिल गत अधिवेशन में भी पेश हुआ था और उस वक्त भी इस तरह का सवाल पैदा होने पर इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया था। सिलेक्ट कमेटी ने काफी सोच-विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

मैं इसकी अहमियत को मानता हूँ। बयाना से आने वाले माननीय सदस्य ने सैक्शन २७ की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा है कि रसीद को निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट करार दिये जाने में लेकूना रह गया है। यह सही नहीं है। रसीद को निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट करार दिया गया है और उस रसीद पर गुड्स डिलीवर कर दिया जावेगा। इसका प्रोविजन इसमें स्पष्ट है।

दूसरी बात यह कही गई की सरकार इसे क्यों नहीं करती, प्राइवेट सेक्टर में इसे क्यों रखा गया? सरकार के लिये सम्भव नहीं कि इतने कम समय में सभी जगह आर्थिक दिक्कतों के रहते हुए भी इनको एस्टेब्लिश कर सके। जब यह सम्भव नहीं है तो फिर प्राइवेट सेक्टर जो कर सकती है तो उसके द्वारा भी इसको क्यों न कराया जावे। यह मेरी समझ में नहीं आया।

जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है और काश्तकारों के माल की हिफाजत का और उसका मिसयूज़ न होने देने का सवाल है इसके लिए पूरे प्रोविजन्स इसमें रक्खे हैं।

फिर दूसरे राज्यों में भी प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ा गया है। इसलिए यह कहना कि गवर्नमेंट को ही करना चाहिये ठीक नहीं है। हां, जितना सरकार के लिये मुमकिन होगा सरकार भी अवश्य करेगी।

इसके बावजूद भी अगर इसमें कोई खामी है तो माननीय सदस्यों को यह अधिकार है कि वे अमेन्डमेंट रखें, जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने रखे भी हैं। अगर उनके सुझाव वाजिब होंगे तो स्वीकार करेंगे। पर बाकी बताये कारणों से इसे सिलेक्ट कमेटी में फिर से भेजना वाजिब नहीं है।

दूसरी बात, सेक्शन ३४ पर बहुत एतराज किया गया है कि इसको क्यों रक्खा गया? ठीक है। मेरा इसके बारे में यही निवेदन है कि हमारे यहां देश में, खास तौर से राजस्थान में, जैसी कि आज तक व्यवस्था रही है और चली आ रही है कि बहुत से आड़तिये, किसानों से जो माल आता है, उसको अपने पास रख लेते हैं और उसके अगेन्स्ट में एडवान्स भी उनको देते रहे हैं और जब अच्छा भाव आता है तो बेचकर किसान को रुपया चुकाते हैं। तो इस तरह से भी किसानों को आज काफी सहूलियतें मिल रही हैं। इनफेसीलिटीज़ को अगर हम खत्म कर देते हैं और इसके एवज में हम उतनी फेसीलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं तो यह उचित नहीं होगा। किसान हर तरह से महरूम हो जावेगा। इसलिए यह एक्सेम्पशन का पॉवर रक्खा गया है। एक तरफ तो हम दूसरी फेसीलिटी दे नहीं पाते और दूसरी तरफ जो ऑलरेडी फेसीलिटी उनको मिल रही है उसको भी छीन लें, तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिये यह सेक्शन ३४ का एक्सेम्पशन रखा है। इस पर सिलेक्ट कमेटी में भी विचार हो चुका है और उसने भी इसको रक्खा है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस पर विचार किया जावे और इसको पास किया जावे।

श्री पी० के० चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा कि प्राइवेट सेक्टर को मौका नहीं दिया जावे। इस पर मिनिस्टर महोदय ने जो जवाब दिया है वह कन्विंसिंग नहीं है। मैंने जो पोइन्ट रेज किये थे उनका पूरा जवाब नहीं आया है। मेरा कहना यह नहीं था कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही यह किया जावे। मैंने यह कहा था कि यह जो लेजिस्लेशन है वह शो पीस न रह जावे। इफेक्टिव लेजिस्लेशन हो और जो फेसीलिटी मिलनी चाहिये वह मिल जावे।

दूसरी बात जिस पर मैंने जोर दिया था वह स्टेट पार्टनरशिप के विषय में है। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि सरकार पूरा हिस्सा देगी तो इसमें तो सरकार की तरफ से होने वाला नहीं है। तो यह जो स्टेटमेन्ट है....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कहा कि सरकार की तरफ से हर जगह इतने थोड़े अर्से में वेअरहाउस कायम किया जाना मुमकिन नहीं है इसलिये प्राइवेट सेक्टर को जहां प्रोत्साहन दे सकते हैं, देना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी : मेरा एम्फेसिस यह है कि जिस चीज को सरकार इतनी अहमियत देती है उसके लिये उसने क्या किया? यह कहा है मैंने, यह नहीं कहा कि प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहन न दें, या मौका न दें। मैं तो यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने क्या किया? मुझे सन्देह है कि लेजिस्लेशन यहां से पास हो जावेगा पर वह इफेक्टिव नहीं होगा। इसका कारण यह है कि मैं एक लाइन आपको Committee of the Reserve Bank for the Rural Credit Survey की रिपोर्ट है उसमें से बताना चाहता हूँ। उन्होंने दो चीजें खास तौर पर कही थीं जो गवर्नमेन्ट की पोलिसी पहले नहीं थी। एक तो है, State partnership in financial and rural cooperative credit societies और दूसरी चीज उन्होंने यह कही है, "State-partnership" includes financial partnership for the benefit of the whole produce, for 'Grow more food and marketing on co-operative basis and for the development of the warehouses"

यह स्टेट पार्टनरशिप स्टोर्स और वेअरहाउसेज में रहेगी। इसकी रिपोर्ट को १६५४ में पार्लियामेन्ट ने एक्सेप्ट किया है। इसी के बेसिस पर सेकिन्ड फाइव इयर प्लान का कोआपरेटिव सेक्टर है। रूरल क्रेडिट डेवलपमेन्ट का सेक्टर है, इसी रिपोर्ट के बेसिस पर बनाया है इसमें। इसी के आधार पर हमारे प्लान में हमने १० लाख रुपयों का प्रोविजन रखा है। इसमें से पांच लाख रुपया हमने एक स्टेट वेअर हाउस कॉर्पोरेशन बनाने में दिसम्बर ५७ में शेअर खरीदने में लगाये हैं और पांच लाख के शेयर सेन्ट्रल वेअर हाउस कार्पोरेशन ने खरीद किये हैं। ऑथोराइज्ड कैपिटल इसकी एक करोड़ है। यह जो आपने बनाया उसमें आज सैकन्ड फाइव इयर प्लान का तीसरा साल जा रहा है। आपने आज तक किसी सब-डिविजनल हैड क्वार्टर में, जिला हैड-क्वार्टर में या तहसील हैड क्वार्टर में कहीं भी एक भी बनाया है? आपने अपनी यह रेस्पोन्सिबिलिटी पूरी नहीं की और आप आज प्राइवेट सेक्टर पर चलना चाहते हैं। यह मेरा एम्फेसिस है। प्राइवेट सेक्टर पर आप छोड़ते हैं तो मैं मना नहीं करता। छोड़िये। पर आपको भी इसके लिये सेपरेट प्रोविजन करना चाहिये ताकि वेअर हाउस जिसको आप करना चाहते हैं प्रोपर सैंक्टिटी रहे और जिसको आपने एक्सेप्ट किया है। यह मेरा इन्टरप्रिटेशन है।

Page No.44

(श्री पी० के० चौधरी)

अब रसीद के बारे में थोड़ा कह दूं। आपकी सरकार ने जो रसीद के बारे में एक मूवमेन्ट 'मार्च ऑफ दी मूवमेन्ट' किताब पब्लिश की है उसमें डिफाइन किया है वेअरहाउसेज क्या चीज हैं ? उसमें कहा है : "The most significant aspect of the warehousing is the warehouse receipt. This is an important piece of paper regarding physical transfer of goods." यह रसीद ऐसी बननी चाहिये की जिस पर कोई भी बैंक कैश एडवांस कर दे, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी कैश एडवांस कर दे।

श्री दामोदरलाल व्यास : There is no restriction in the Bill.

श्री पी० के० चौधरी : There is no restriction in the bill and the Bill provides it.

लेकिन सिर्फ प्रोवाइड करने से काम नहीं होता। जिस कम्पनी का शेयर होता है, प्राइवेट सेक्टर में इन्डस्ट्रियल कन्सर्न है जैसे उसका शेयर होता है सो रुपये का, मार्केट में उसकी कीमत चार सौ, पांच-सौ तक होती है, फेस वेल्यू भले ही उसकी सौ रुपये हो। शेयर की फेस वेल्यू पर डिपेन्ड नहीं करता। जैसे एक बम्बई डाइंग मिल है। उसका सौ रुपये का शेयर है। उसकी मार्केट वेल्यू कभी ४००), कभी ४५०) और ५००) रुपये तक होती है। Is depends on the confidence and the stability of the concern. किसी इन्डस्ट्रियल फर्म का शेयर है उसको वेल्यू होती है।

It does not depend upon it, but on the confidence the people have in the stability of the firm.

तो इसी तरह से आपकी रिसीट है, उस रिसीट में यह लिख दिया गया है कि फलां का 'ए' ग्रेड का व्हीट १०००० मन जमा रखा है और अब मान लीजिए कि व्हीट का १२) रुपये मन का भाव है तो उस हिसाब से उस व्हीट की कीमत १२,०००) रुपये होती है, तो इसके ऊपर कोई भी बैंक चार-पाँच हजार रुपया एडवान्स कर सकता है इस रिसीट को रख कर। लेकिन सवाल यह है कि यह जो प्राइवेट इन्डिविजुअल्स को रिसीट देंगे उसके लिए क्या आपके इस लेजिस्लेशन में प्रोविजन है उसके चैकिंग का, जिससे कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन देती है। उसको कॉन्फिडेन्स होगा इस रिसीट पर कि फलां का उनियारा के वेयर-हाउस में, मिस्टर सो एण्ड सो का, रावराजा सरदारसिंह का व्हीट रखा है, यह जो उसका रिसीट आया है, वहां १००० मन अनाज है या नहीं ? Will that receipt carry that confidence?

अब उस रिसीट पर कॉन्फीडेन्स तब ही हो सकता कि The provision of inspection is so strong that public and the banks can have confidence in that receipt. तो मेरा कहना यही है, मेरा कहना और कोई नहीं है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि आपके बिल में इसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। बिल में प्रोविजन होते हुए भी लोग इसका पैसा नहीं देंगे, और कॉन्फिडेन्स इस रिसीट पर तब हो सकता है, if this receipt has been issued from the State warehouse. या कोई प्राइवेट वेयरहाउस है जिसके ऊपर बराबर इन्सपेक्शन है तो इस पर पब्लिक को भी भरोसा होगा। There cannot be any fraud मैं कहता हूँ कि आपने 'प्रेस्काइब्ड ऑथोरिटी' लिखा

Page No.45

(श्री पी० के० चौधरी)

है, लाइव स्टॉक के इम्प्रूवमेन्ट में भी प्रेस्काइब्ड ऑथोरिटी विल हू । तो यह एक शब्द है 'प्रेस्काइब्ड ऑथोरिटी' का that the prescribed authority will do. I consider it to be....

श्री दामोदरलाल व्यास : There is already a provision for the inspection.

श्री पी० के० चाधरी : The inspection authority should be placed before the House.

अन्डर दी रूल्स जो प्रेस्काइब्ड ऑथोरिटी है, either a provision should be made that this is the authority for the checking of the House and it should be placed before the House for its consideration.

तब तो लोगों का उस पर कॉन्फिडेन्स हो सकता है नहीं तो गवर्नमेंट, एग्ज़ीक्युटिव पर छोड़ दिया जावेगा तो मुझे तो इस बात का पूरा विश्वास है कि उसकी चैकिंग से इस रिसीट के ऊपर जो कॉन्फीडेन्स बैंक्स को और दूसरी सोसाइटीज़ को रखना चाहिए वह नहीं रहेगा । और जिस पर्पज़ के लिए हम वेयर हाउसेज़ रखना चाहते हैं वह फुलफिल नहीं होगा । वह वेयर हाउस तो एक तरह से गोदाम का या स्टोरेज़ का काम पूरा कर सकता है, लेकिन वेयर हाउसेज़ का जो ऐम है रूरल एरिया के अन्दर ठीक टाइम पर पैसा मिल सके और जिसको हमने फाइव इयर प्लान में भी एक्सेप्ट किया है और वेयर हाउसेज़ का जो इन्स्टीट्यूशन है जिसका काम यही है कि वह जो रिसीट होगी वह निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट होगा जिसको डिपाज़िट कराके पैसा ले सकेंगे । इसलिए जो मन्त्री महोदय ने दिखलाई दिया है वह सेटिसफेक्टरी नहीं है और इसमें जो चेन्जेज़ करनी हैं और अमेण्डमेन्ट्स देनी हैं मैं समझता हूँ कि वह खाली अमेण्डमेण्ट्स नहीं आयेंगे और मैं समझता हूँ कि वह सिर्फ एक अमेण्डमेन्ट से नहीं हो सकता है । हां, इस तरह हो सकता है कि यह जो इन्सपेक्शन मशीनरी है उसके जो रूल्स सरकार बनायेगी उन रूल्स को हाउस से एप्रूव करायेंगे तभी यह हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष : You press your proposal.

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसे उन्हें वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my proposal.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

(विराम)

क्लॉजेज़ २, ३ व ४

(विराम)

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉजेज़ २, ३ व ४ पर कोई संशोधन नहीं आये हैं। प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ २, ३ व ४ स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

क्लॉजे २, ३ व ४ विधेयक के अंग बने

(विराम)

क्लॉज ५

(विराम)

क्लॉज़ ५ पर श्री तनसिंह और श्री पी.के. चौधरी के अमेन्डमेंट्स हैं।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move that part (d) of clause 5 be deleted.

अध्यक्ष महोदय, यह जो क्लॉज़ है, उसमें लिखा है :

"that there is no other cause or reason for which the applicant for the licence may, in the opinion of the prescribed authority, be deemed to be disqualified."

यानी तीन कन्डीशन्स पर लाइसेन्स क्लॉज़ ५ के अन्तर्गत दिया गया है और यह लाइसेन्स किन किन कन्डीशन्स में देना चाहिए या रिफ्यूज़ करना चाहिए तो इन कन्डीशन्स में "that the warehouse is suitable for proper storage of the class or classes of goods, that the applicant is competent to conduct such a warehouse, that the applicant has also paid the fee prescribed for the licence and has also paid the prescribed security, if any."

अब ये जो तीन चीजें फुलफिल करता है, उसीको लाइसेन्स देने का प्रोविज़न है।

That is what the clause (d) means. क्लॉज़ (डी) में समझता हूँ कि पर्निशुअस है। इस क्लॉज़ में है "and if these three conditions are fulfilled than for no other cause a person may be refused a licence."

अब मैं समझता हूँ कि ऐसा क्लॉज़ जो है, उसमें डिफिकल्ट सिचुएशन क्रियेट हो सकती है। मान लीजिये कोई व्यक्ति कॉम्पीटेन्ट है, उसके पास पैसा है, वेअर हाउस बना सकता है, उसने फीस भी आपको दे दी लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आदमी वेअर हाउस चलायेगा, He must have reputation. उसकी अच्छी पब्लिक रेप्यूटेशन होनी चाहिए। लेकिन जो चोर है, डाकू है उसके पास रुपया है, फीस दे देता है, वेअर हाउस बना लेता है। यह जो आपका क्लॉज़ (डी) है वह आपकी जो ऑथोरिटी है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन्स डालता है कि आप किसी को भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो आदमी तीनों कन्डीशन्स फुलफिल करेगा उसी को लाइसेन्स दे दिया जायेगा। मैं समझता हूँ कि यह एक डेन्जरस कन्डीशन है और कोई चोर है या डाकू है उसने आपकी कन्डीशन्स पूरी कर दीं तो Clause (d) will put a restriction for the issue of a licence. उसे आप लाइसेन्स इश्यू नहीं कर सकते। सिर्फ वेअर हाउस बना दिया या हमारे पास चलाने के लिये इन्तजाम है, नौकर-चाकर हैं, रुपया है और फीस दे दें, ये तीनों जो कन्डीशन पूरी कर दे तो उसे लाइसेन्स दे दिया जायेगा। मैं क्रिमिनल हूँ, मैं जेल का सज़ायाफ्ता आदमी हूं तो भी आप लाइसेन्स देने के लिये रिफ्यूज़ नहीं कर सकते।

(श्री पी० के० चौधरी)

अगर गांव में मेरा रेप्युटेशन अच्छा नहीं है, लोगबाग कहते हैं कि रुपये पैसे में गड़बड़ करता है, रुपये पैसे खा जाता है Even if I have got conviction. मेरा कन्विक्शन नहीं भी हो, लेकिन गांव में रेप्युटेशन अच्छा होता है और कुछ ऐसे होते हैं कि लोग मानते हैं कि काबिल है, होशियार है, सब कुछ है, लेकिन वह आदमी रिलायेबल नहीं है। मै समझता हूँ कि यह जो वेअर हाउस के इन्स्टीट्युशन को हम डेवलप करने जा रहे हैं तो इनिशियल स्टेज में सब से ज्यादा एम्फेसिस इस बात पर रहेगा कि प्राइवेट इन्डिविजुअल्स को देते हैं तो ऐसे इन्डिविजुअल्स को दें जिसको लोग ईमानदार समझें, जिसके ऊपर लोगों का कॉन्फीडेन्स हो कि ५० मन अनाज रखकर २०० मन की रसीद नहीं देगा, क्योंकि यह चीज इसमें होगी, ऐसी मुझे शंका है, क्योंकि वेअर-हाउस की रसीद पर कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेने की ऑथोरिटी मिलती है।

अब मान लीजिये कि मेरी रेप्युटेशन अच्छी नहीं है, मैं अनस्क्रुपलस रिसीट्स काट कर ५० मन की रसीद दूंगा और रसीद देकर बैंक से पैसा लूंगा, तो केवल साल भर के अन्दर अन्दर ऐसी सिचुएशन एराइज होगी कि वेअर हाउस इन्स्टीट्युशन पर से लोगों का कॉन्फीडेन्स जाता रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि यह जो क्लॉज (डी) है यह ऐसी क्लॉज है। that it puts a compulsion on the authorities to issue a license.

जो आदमी इन कन्डीशन्स को फुलफिल कर दे उसके लिए कम्पल्शन डालते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कम्पल्शन की क्या जरूरत है ? अगर जबरदस्ती लगाते हैं और वेअर हाउस को डेवलप करना है तो स्टेट ओन्ड पर कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जबरदस्ती करायें, मैं उसको मना नहीं करता हूँ, लेकिन इन्डि-विजुअल्स के लिए लाइसेंसिंग ऑथोरिटीज को कम्पल्शन में डालते हैं तो he cannot refuse a licence. उसकी रेप्युटेशन के लिए, दूसरी चीज के लिए, इसलिए मैं समझता हूँ कि क्लॉज (डी) को नहीं रखना चाहिए और मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि उसको एक्सेप्ट कर लें।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अमेंडमेंट क्लॉज ५ पर है। जो मौजूदा क्लॉज है उसकी जगह पर "that the appicant is not disqualified under this Act or rules made there under to hold the licence." वहां रखा जाया। जो वर्तमान खण्ड है उसके अनुसार यह लाइसेंसिंग ऑथोरिटी या प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी पर आवश्यक है कि वह विचार करे और देखें कि क्या ऐसे कारण अथवा रीज़न्स नहीं है कि जिससे उसकी नजरों में लाइसेन्स लेने वाला व्यक्ति डिसक्वालिफाइड हो ? अब यह जो भाषा है वह इस प्रकार से गोलमाल भाषा है कि जिससे न तो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी ठीक प्रकार से निर्णय कर सकता है और न उसके ऊपर के अधिकारी हैं वे इस बात को व्यवस्था दे सकते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड ऑथो-रिटी ने ठीक प्रकार से लाइसेन्स दिया है या नहीं।

इसमें दो बातें रखी गई हैं लाइसेन्स देने के लिए कि एक तो कोई कारण अथवा रीज़न हो, वह भी उनकी निगाह, उनकी

(श्री तनसिंह)

ओपीनियन में जो कि प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी हैं, उनकी ओपीनियन में यह कारण होना चाहिए। मेरा यह निश्चित् मत है कि जो कोई भी कारण किसी व्यक्ति को वेअर हाउसेज का लाइसेन्स देने में बाधक हो अथवा जिससे लाइसेन्स नहीं दिया जा सकता हो, ऐसा खास कारण प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी के दिमाग में नहीं होना चाहिए, बल्कि वह स्पेसिफिक होना चाहिए। इसलिए मैंने जो संशोधन पेश किया है उसके अनुसार या तो एक्ट की धारा के अनुसार अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत यह होना चाहिए कि किस प्रकार से डिस्क्वालिफाइड हो तभी लाईसेन्स नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटी निर्णय करेगा तो कोई कुछ करेगा और कोई कुछ कारण बतायेगा। उसके बाद में, "that the applicant for the licence may in the opinion of the prescribed authority be deemed to be disqualified."

'deemed to be disqualified,' यह सब गोलमाल है। उसके लिए स्पेसिफिकली चीज, चाहे नियमों में हो या कानून के अन्दर, होना अवश्य चाहिए। यह चीज स्पेसिफिकली नहीं आती है तो 'डीम्ड टू बी डिस्क्वालिफाइड' में कोई भी अपराध हो सकता है, जिसके लिए शायद हमारी मन्शा नहीं हो, जिसके लिए लाइसेंसिंग ऑथोरिटी उसको डिस्क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे कुछ खास कारण हो सकते हैं जिनके कारण लाइसेन्स नहीं दिया जा सकता है। स्पेसिफाइड होना चाहिए। कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई कारण महत्वपूर्ण हो सकता है लेकिन उनकी निगाह में महत्वपूर्ण नहीं हो तो वह लाइसेन्स दे दें। इस प्रकार से भ्रष्टाचार हो सकता है। इसलिए यह हो कि अमुक अमुक प्रकार के अपराध करने के परिणामस्वरूप लाइसेन्स रद्द किया जायगा, नये लाइसेन्स नहीं दिये जायेंगे, या डिस्क्वालिफाइड होगा, किसी निश्चित अवधि के लिए, तो लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के सामने मार्गदर्शन होगा कि अमुक अमुक गलतियों में लाइसेन्स लेने वाला व्यक्ति आता है या नहीं, अगर नहीं आता है तो लाइसेन्स दिया जाय। यह लाइसेंसिंग ऑथोरिटी के लिए सुविधा की बात है। साथ ही साथ कन्ट्रोल और सुपरविज़न करने वाले लोगों के लिए स्पष्ट हो जायगा ताकि वे निर्णय कर सकें कि अमुक के साथ पक्षपात तो नहीं हुआ है या अमुक निर्णय ठीक दिया गया है या नहीं।

श्री श्रीभानसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह जो अमेंडमेंट माननीय तनसिंहजी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूँ। जहां तक कानून बनाने का सवाल है वह कानून कुछ प्रिसाइज़ होना चाहिए। मगर हमारे यहां तो जनरल टर्म्स को काफी यूज़ किया जाता है। जो कन्डीशन्स ऐसे लाइसेन्स की रखी गई हैं "conditions for licence, suitability, competence, security," यह पूरी चीजों को कवर करता है। यह समझ में नहीं आता है कि 'no other cuase or reason' में किसको स्पेसिफाई करेंगे। यह जनरल क्लॉज यहां पर रखने की क्या मन्शा है? क्या मक्सद है? क्लीअर नहीं है कहीं कि ऐसा क्यों रखा गया है? सिर्फ इतना जरूर होगा कि they will be unnecessrily troubled वह होगा कि लाइसेंसिंग ऑथोरिटी की मेरे ऊपर महरबानी नहीं होगी तो सब suitability, competence security or cause. बालाए ताक रख दी

Page No.49

(श्री श्रीमानसिंह)

जायंगी। जनरल टर्म्स रखने से क्या होता है कि जो आदमी एप्लाई कर रहा है उसको हैरेसमेंट होता है, उसको अननेसेसरी ट्रबल होती है। अगर अफसर साहब की कोई मेहरबानी नहीं है तो पूरी कन्डीशन्स फुलफिल करते हुए भी लाइसेन्स नहीं मिल पायेगा और वहां आ जायेगा, explicit reasons should be given. इसलिए या तो जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बताया था कि स्पेसिफिकली रीज़न्स ले डाउन करें या रूल्स बनायें तो रूल्स कॉम्प्रिहेन्सिव बनाये जायं। जनरल चीज रखने में यह होगा, " that no other cause will be a matter of bargain between the licencing authority and the applicant. Whoever picks the bargin, उसके लिये कोई कॉज़ एप्लाई नहीं होगा, आप लाइसेन्स नहीं दे सके तो वही कॉज़ बन जायगा, because my pocket does not allow to feed the licencing authority and this will be a cause for not granting the licence. मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य ने कहा है कि सब क्लॉज ५ (२) है,—

"That the State Government may by notificaton in the official Gazette add to or alter the conditions under which a licence is granted to a warehouseman under this Section," यह उसमें ५ (२) पहले वाला तो जनरल है और यह उसके ऊपर मेजर जनरल रख दिया गया है कि 'That the State Government may add or alter the,' तो स्टेट गवर्नमेंट किस चीज को आल्टर करेगी अगर वह स्टेबल नहीं है तो?

मैं इसको कंडक्ट करने के लिये कॉम्पीटेन्ट नहीं हूँ या मैं सिक्योरिटी डिपोज़िट नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपनी पॉवर को एक्सर्साइज़ करेगी, उन कन्डीशन्स को आल्टर करेगी और मेरे को वेअर हाउस का लाइसेन्स मिलेगा। इन पॉवर्स का नोटिफिकेशन के जरिये प्रयोग कराया जायगा, नहीं तो कन्डीशन क्यों रखी, यह मालूम नहीं हो सकता। जब कॉम्पीटेन्स, सिक्योरिटी आदि को रखा गया है तो किस चीज को आप लाना चाहते हैं ? " Add to or alter, " में, The person should be unsuitable, he should be most incompetent to run a warehouse and he should be bankrupt, then the government will alter these conditions. We have these conditions in favour of this man. अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं दिखता कि इस क्लॉज को क्यों रखा। क्लॉज ५ (डी) को रखने का कोई रीज़न नहीं है। यह पॉवर स्टेट गवर्नमेंट लेना चाहती है, लेकिन किस मकसद से लेना चाहती है और किस इमरजेन्सी में इसका उपयोग करेगी जिसके कारण यह इमर्जेन्सी पॉवर लेना चाहती है ? मालूम यह पड़ता है कि लॉ में इन जनरल टर्म्स को इतना वाइड लेने से इसका उपयोग करने के बजाय दुरुपयोग कर सकते हैं और दुरुपयोग करने की ज्यादा सम्भावना है। यदि लॉ में इतना लेकुना छोड़ते हैं, इम्प्लीमेन्टिंग ऑथोरिटी के लिये, तो हो सकता है कि वे इसका पर्सनल एडवान्टेज ले लें और दूसरों को हार्म पहुँचावें।

तीसरी बात यह हो जायगी कि ऑथोरिटी एक्टेड इन गुड फेथ के लिये भी इतनी पॉवर्स का जनरल और वाइड लेकुना नहीं रखना चाहिये और नहीं रखने का कारण यह है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, "इसको डिफाइन करें, रूल्स बनावें उनमें इसको दे दें और नहीं दें तो उसको डिलीट कर दें"। स्टेट गवर्नमेंट एडीशन और आल्टरेशन के पॉवर्स लेना चाहती है वह क्लियर नहीं है। मन्त्रीजी

Page No.50

(श्री श्रीमानसिंह)

बताएंगे कि आखिर किस चीज को वे आल्टर करना चाहते हैं ? कन्डीशन दी है, सिक्योरिटी को आल्टर करके उनकी जगह नोटिफिकेशन कर सकते हैं । ये दोनों क्लॉजेज बहुत ही जनरल हैं इसलिए उनको डिलीट करने के लिये मैं समझता हूँ मन्त्रीजी सहमत होंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, दो माननीय सदस्यों ने जो संशोधन इस क्लॉज पर रखे हैं उन दोनों को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ । एक माननीय सदस्य ने अपनी दलील दी, जैसा कि आम तौर से दलील देते हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसे पॉवर्स नहीं रखने चाहिये जिससे कि वे कुछ सोच सकें और सही तौर से अपने डिस्क्रीशन को युटिलाइज़ कर सकें, ऐसी पॉवर्स गवर्नमेंट के पास नहीं रखनी चाहिये । उनकी बहस को सुनकर नतीजा मैंने जो निकाला; उसे मैं अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूँ कि यह बिल हमारे यहां ही नया नहीं बनने जा रहा है । इस प्रकार के कई बिल एक्ट बन चुके हैं बहुत सी स्टेट्स में । सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों ने बहुत गौर से उनकी क्लॉजेज़ को स्टडी किया है । ऑल इण्डिया वेयर हाउस कोर्पोरेशन की तरफ से एक ऑल इण्डिया बिल भी सदस्यों के सामने था । उसकी सभी धाराओं को हमने गौर से देखा । दूसरे सब बिलों में भी जो धारा मौजूद हैं, वे हमने यहां भी रखीं । कुछ अधिकार राज्य सरकार या लाइसेन्सिंग ऑथोरिटी के पास रहने जरूरी हैं । तीन बातें जो रखी गई हैं, वे सर्वमान्य हों तो सभी को लाइसेन्स मिलना चाहिये । जो दलीलें माननीय सदस्यों ने दी हैं, मैं उनको तथ्य की बातें नहीं मानता इसलिये उन्होंने जो अमेन्डमेन्टस दिये हैं, मैं उनको नामन्जूर करता हूँ ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब मंत्रीजी ने दिया है मैं उसको स्वीकार नहीं करता । यह जवाब हम सुनने के बहुत आदी हैं इसलिये कोई नया जवाब होता तो बात और होती । इसके साथ ही साथ हम इस बात के भी आदी हैं कि मंत्रीजी किसी सही बात को मानने को तैयार नहीं होते । जब मंत्रीजी किसी बात के लिये यह कहते हैं कि मैं इसे स्वीकार नहीं करता तो सपोर्ट में कोई आग्युमेंट, तथ्य या विचार रखने चाहिये थे । यदि ऐसा करते तो यह सोचा जा सकता था कि उनके न मानने का कारण ठीक है या नहीं और इस कारण से हमें संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहिये या नहीं । लेकिन खेद है कि मंत्रीजी ने इस प्रकार की कोई बात नहीं कही ।

मंत्रीजी ने चार बातें बताईं । पहली बात यह बताई कि मैं संशोधन को नहीं मानता । इस बात का जबाब देने की तो कोई जरूरत नहीं है । दूसरी बात उन्होंने यह बताई कि क्लॉज ५ (२) में जो पॉवर्स गवर्नमेंन्ट के पास रहने चाहिये । इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल के क्लॉज ३३ में पॉवर्स दिये गये हैं रूल्स बनाने के । अब जहां पर सरकार को इस प्रकार के रूल्स बनाने के पॉवर्स दिये हैं वहां भी, मुझे खेद है, यह चीज नहीं है कि इस कानून के अन्तर्गत वे रूल्स इनकन्सिस्टेन्ट नहीं होंगे । जब जैसी व्यवस्था इस समय है सब क्लॉज (२) को रखा जाय तो सब क्लॉज (१) जो एसेम्बली ने पास किया है उसको अमेन्ड करने का अधिकार गवर्नमेंट

(श्री तनसिंह)

को देते हैं। वैसे तो यह आँख से निकल गया। मैं समझता था कि मंत्री जी के ध्यान में आयगा तो इसे स्वीकार करेंगे, लेकिन फल बिल्कुल उल्टा ही हुआ। मैं स्पष्ट रूप से इस बात को मानने वाला हूँ कि राजस्थान विधान सभा या किसी प्रदेश की विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार होता है और उसको एग्जीक्यूट करने का अधिकार सरकार को है, लेकिन यदि सरकार लेजिस्लेशन का पॉवर भी अपने हाथ में ले लें तो फिर लेजिस्लेचर की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो क्लॉज लेजिस्लेचर ने पास कर दिया, उसको भी स्टेट गवर्नमेन्ट यदि ऑल्टर कर सकती है तो फिर क्या रह जाता है? मैं मान सकता था, एडिशन करती या नई कंडीशन लगाती तो फिर भी कोई बात होती। लेकिन ऑल्टर करने के लिये गवर्नमेंट कॉम्पिटेन्ट नहीं है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिये और न गवर्नमेन्ट को उतावली ही बरतनी चाहिये। मंत्रीजी द्वारा जो बातें कही गई हैं वे मेरे अमेन्डमेन्ट के सिलसिले में नहीं कही गई हैं।

तीसरी बात आपने यह बताई कि सिलेक्ट कमेटी ने इस इस तरह से विचार किया, ऑल इंडिया एक्ट्स देखे गये। लेकिन यह तथ्य कहां तक हमको कन्विन्स कर सकता है या फ्रूटफुल सिद्ध हो सकता है? हमने इस पर बहुत विचार कर लिया है, इसलिये दूसरी बार विचार करने की आवश्यकता नहीं है, यह कोई आर्ग्युमेन्ट नहीं हो सकता। सिलेक्ट कमेटी में डिस्कस हुआ है, उसके रीज़न्स आपको मालूम होंगे, आप उनसे एप्राइज़ कराते कि फलां फलां कारणों से यह बात रखी गई है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं बताई गई। जहां पर कोई चीज साफ नहीं है वहां पर धारा ३३ में अधिकार आपको दिये गये हैं। आपने जो गोलमाल उत्तर दिया है उसमें कोई तथ्य नहीं है या उत्तर देना नहीं चाहते तो बहस करने का भी कोई फायदा नहीं होता। इसलिये मैं संशोधन प्रस्ताव वापिस लेने में असमर्थ हूँ।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह तो मैं सुन नहीं पाया लेकिन मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि इस पर विचार करने के लिए वे तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि दिमाग को इस तरह बन्द नहीं कर देना चाहिए। जब कोई भी बिल हाउस के सामने आता है तो मूवर ऑफ दी बिल या जो बिल को पाइलट करते हैं, उनको कम से कम ओपिन माइन्डेड होकर आना चाहिए। इस सदन में जो अमेंडमेंट हम लायें, उन पर उन्हें विचार करना चाहिए। मैंने जो अमेंडमेंट दिया था, मैं तो मानता हूँ कि उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करने से गवर्नमेंट के, एग्ज़ीक्यूटिव के हाथ मजबूत होते हैं क्योंकि ज्यादा पॉवर्स उनको दी जाती हैं और दूसरी बात जो बेअर हाउसेज़ की रिसीट्स वगैरह की है, उसमें सैंक्टिटी नहीं है। मन्त्री महोदय ने दिमाग बन्द कर लिया है और वे सजेशन सुनना नहीं चाहते हैं। मुझे इजाजत दी जाय कि मैं अपने अमेंडमेंट को विद्ड्रॉ कर लूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज ५ में जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने रखा है, उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

Page No.52

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw the motion.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंहजी ने क्लॉज़ ५ में रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉजेज़ ५, ६ व ७

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ५, ६ व ७ स्वीकार किये जायं ?

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ५, ६ व ७ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज ८ इस पर अमेंडमेंट है। श्री तनसिंहजी अमेंडमेंट मूव करेंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्लॉज़ ८ पर संशोधन है कि इसके सब क्लॉज़ (१) के पार्ट (ई) को ओमिट कर दिया जाय। क्लॉज़ ८ के अन्दर वे बातें बतलाई गई हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के लाइसेन्स को सस्पेन्ड अथवा कैंसिल किया जा सकता है। मेरा निवेदन यह है कि सब-क्लॉज़ (१) के पार्ट (ई) में जो बात बताई गई है : 'has in any other manner become incompetent to conduct such warehouse or" तो इन्कॉम्पीटेन्सी जो है वह has controvenoed or failed.

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने पार्ट (डी) के लिए लिखा है।

श्री तनसिंह : Part (d). I am sorry. Part (d) "has made unreasonable charges for the services rendered by him, or " मेरा निवेदन यह है कि इस कानून के अन्तर्गत क्या रीज़नेबल है, क्या अनरीज़नेबल चार्जेज़ हैं; इस कानून के अन्तर्गत साफ नहीं हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कानून के अन्तर्गत बनाये गये नियम होंगे, उन नियमों में कोई इस प्रकार की निश्चित बात होगी कि अमुक अमुक प्रकार की सर्विसेज़ के लिए अमुक अमुक राशि वसूल की जा सकती है। जब तक इस राशि की निश्चित बात नहीं होती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सी चीज रीज़नेबल है और कौन सी अनरीज़नेबल है। कम से कम यह बात स्पष्ट है कि इस कानून के द्वारा कोई चार्जेज़ रीज़नेबल नहीं बताये गये हैं, कोई चार्जेज़ अनरीज़नेबल नहीं बताये गये हैं, यह किसी व्यक्ति की स्वीट विल पर छोड़ दिया गया है। यदि कोई मालदार आदमी है तो उसके लिए १००० रुपये वसूल करना मामूली चीज है। लेकिन जो मालदार नहीं है, उसके लिए एक रुपया भी ज्यादा हो सकता है बनिस्बत १०० रुपये के, इस प्रकार हम देखते हैं कि रीज़नेबल और अनरीज़नेबल दोनों बातें हैं, वे मनुष्य की व्यक्तिगत और विशेष परिस्थिति पर आधारित होती हैं। यदि कानून में यह चीज साफ साफ नहीं है तो मैं समझता हूँ कि इसके अन्तर्गत नियम बनाये जायेंगे और उनके अन्तर्गत यह स्पष्ट बताया जायगा कि अमुक अमुक प्रकार की सर्विसेज़ के लिए अमुक चार्जेज लिए जायेंगे। इससे जो बढ़ेगा या ज्यादा चार्जेज़ लेता है वह रूल्स को भंग करता है। जब इस प्रकार रूल्स में प्रेस्क्राइब करने की व्यवस्था है तब मेरा निवेदन है कि सब-क्लॉज (f) है वह सुपरफ्लुअस हो

(श्री तनसिंह)

जाता है : "has contravened, or failed to comply with, any of the terms of the licence or any of the provisions of this Act and the rules," तो जहां रूल्स का इसमें संदर्भ आ गया, उन रूल्स के आधार पर कोई किसी प्रकार कन्डीशन्स को वायोलेट करता है, उस लाइसेन्स की कन्डीशन्स को वायोलेट करता है तो वह उपधारा २ में आ जाता है। उस अवस्था में यह धारा (डी) रिडन्डेन्ट है, व्यर्थ है, एक भ्रान्ति फैलाने वाली है। इसलिए मैं समझता हूँ, क्योंकि हम रूल्स के अन्तर्गत वे चार्जेज़ निश्चित करने वाले हैं, इसलिए उन चार्जेज़ के अतिरिक्त कोई चार्ज करता है तो वह रूल्स का कॉन्ट्राबेन्शन होता है और इसलिए वह क्लॉज एक के अन्तर्गत आ जायगा। ऐसी दशा में धारा 'डी' की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः इसको डिलीट करने के लिए संशोधन रखा है।

१.३५ म० प०

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

सहकारी एवं कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विरोधी पक्ष के सदस्य, जो बाड़मेर से आये हैं, ने रखा है, उन्होंने यह संशोधन रखा है कि इस बिल में से पार्ट 'डी' को धारा से बिल्कुल हटा दिया जाय। इस सम्बन्ध में उन्होंने दलील यह दी कि रीज़नेबल चार्जेज क्या है, अनरीज़नेबल चार्जेज़ क्या है, वह इस कानून में नहीं लिखा है, इसलिए इस पार्ट को काट देना चाहिए। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, उनको काफी अच्छा और काबिल लेजिस्लेटर मानता हूं। उन्होंने, मेरे ख्याल से, यह विचार कर कि क्योंकि संशोधन आज रखने थे, इसलिए संशोधन रखा है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। उन्होंने दूसरा कारण यह बताया कि यह पार्ट 'ई' के अन्दर आ जाता है और कवर हो जाता है। अगर किसी मैनर में कॉम्पीटेन्ट हो जाय तो चार्जेज़ स्पेसिफिक लिखने की क्या आवश्यकता है? ये दो दलीलें उन्होंने दीं। मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब चार्जेज़ की स्पेसिफिक रेट्स होंगी, शिड्यूल होंगे, तब कानून में यह प्रेस्काइब क्यों नहीं हो सकता। यदि कोई स्पेसिफिक चार्जेज में गड़बड़ी करता है और चार्जेज़ प्रेस्काइब्ड कुछ हो और वसूल कुछ और करते हों, सर्विस ठीक तरह रेन्डर नहीं करते हो तो इसमें स्पेसिफिक धारा जोड़ देने में क्या एतराज हो सकता है। और बातें भी बिल में हैं, मगर चार्जेज़ के मामले में कोई गड़बड़ करता हो और उसके लिए प्रोविजन रहता हो तो उसमें एतराज बढ़ता नहीं। इसलिए मैं इस संशोधन को निरर्थक समझता हूं और मैं आशा करता हूं कि वे अपना संशोधन विद्ड्रॉ कर लेंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, जो जवाब मेरे संशोधन के सम्बन्ध में दिया गया, उसमें एक दलील दी गई और वह यह दी गई कि इसको रहने दिया जाय तो क्या हर्ज है। यदि यह क्लॉज को और भी साफ करता है तो इसको रहने दिया जाय। मैं समझता हूं कि एल्फाबेटिकल ऑर्डर से इस बिल के साथ एक डिक्शनरी लगा दी जाय, तो वह सब क्लॉजेज़ को और साफ कर देगी और हर शब्द के मायने बता देगी। मेरा निवेदन यह है कि कानून बनाते समय कानून जितना प्रिसाइज़ हो तो इससे कानून के इन्टरप्रिटेशन में सुविधा होती है। जितना

(श्री तनसिंह)

ज्यादा क्लेरिफिकेशन करेंगे और बार बार रिपीटीशन करेंगे तो उससे कॉम्प्लीकेशन्स पैदा होते हैं। जब यह चीज पार्ट (डी) में पनिशेबल है 'एफ' में पनिशेबल है तो पार्ट 'ई' बेकार हो जाता है। एक और दलील दी गई कि मुझे वे काबिल लेजिस्लेटर समझते हैं, लेकिन फिर भी मेरी दलील उनके समझ में नहीं आई। या तो उन्हें मेरी काबलियत का गलत अन्दाज हो सकता है या यह हो सकता है कि मैं अपनी काबलियत से ठीक प्रकार की दलील देता हूँ और वह सही है, फिर भी उनकी समझ में नहीं आती, यह मैं नहीं समझता कि उनकी समझ में क्यों नहीं आई। मेरा निवेदन है पार्ट 'ई' को हटा दिया जाय। इसके लिए मैंने दलील दी कि यही पार्ट (एफ) में पनिशेबल है तो यह पार्ट नुकसान दायक है और बेकार का है। कानून के अन्दर फालतू की चीजें रहनी नहीं चाहिए क्योंकि उसके कारण अड़चनें पैदा होती हैं। इसलिए यह अच्छा होता कि इसको हटा देते (मंत्री-महोदय को संकेत कर) क्या मान लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं माना। आप प्रेस करें।

श्री तनसिंह : यह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है, मैं इसे वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल): प्रश्न यह है कि श्री तनसिंहजी ने जो संशोधन क्लॉज ८ में रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री सभापति : क्लॉजेज़ ८ व ६।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ८ और ६ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ८ और ६ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज १०, श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने इस क्लॉज १० में एक नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। जो अभी वर्तमान खण्ड है, वह इस प्रकार है।

"10-Return of licence :- When a licence expires, or is suspended or cancelled, the warehouseman shall cease to work as such and shall return the licence to the prescribed authority, who shall give reasonable time to the warehouseman to enable him to wind up the business."

मैंने इसमें यह प्रावधान लगाया है :

"Provided that the prescribed authority may, for sufficient reasons, extend the time under this Section."

सभापति महोदय, जहां तक इस क्लॉज़ की मंशा है, किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति का लाइसेन्स केन्सिल किया जाता है तो जो वेअरहाउसेज़ का उद्योग-व्यवसाय करता है उसको वाइन्ड अप करने का तथा समय देने का है, उसमें रीज़नेबल समय है। सम्भव है

Page No.55

(श्री तनसिंह)

कि वह किसी वजह से माल नहीं उठा सके, उसको रुपया नहीं मिले या और कोई कारण हो जाय, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनको आज हम कन्टेम्प्लेट नहीं कर सकते, आज अनुभव नहीं कर सकते । जो ऑथोरिटी है उसको हमने यह अधिकार दिया है कि रीज़नेबल टाइम देंगे । इस रीज़नेबल टाइम को एक्स्टेन्ड करने का उस ऑथोरिटी को अधिकार नहीं है तो एक समय ऐसा आ सकता है कि वह वाइन्ड अप नहीं कर सकते तो उसको कितना बड़ा नुकसान होगा और साथ ही उन लोगों को जिन्होंने वहां माल जमा कराया है उनको कितना नुकसान होगा ।

मन्त्री महोदय यह कह सकते हैं कि यह बात इसमें आ गई है कि रीज़नेबल टाइम देने का इसमें रखा गया है, तो रीज़नेबल टाइम देने में एक्स्टेन्ड करने का भी आ सकता है । अगर यह दलील देंगे तो यह उनके खिलाफ पडेगी, इसलिये यह दलील न देकर कोई और दलील देंगे । मैं समझता हूँ उन्हें इस प्रोविज़ो के रखने में कोई एतराज नहीं होगा । जिस ऑथोरिटी को रीज़नेबल टाइम वेअर हाउस का धन्धा करने वाले को देने का अधिकार दिया गया है, उसी प्रकार उसे एक्स्टेन्ड करने का भी अधिकार उस ऑथोरिटी को देंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय चेअरमेन महोदय, इसके लिये जो संशोधन माननीय श्री तनसिंहजी ने रखा और उसकी जो बहस की, उसका मैं उत्तर देता उसको भी उन्होंने प्रिज़्यूम कर लिया और ठीक ही सोचा उन्होंने । उनका ख्याल है कि इसके नीचे एक प्रोविज़ो जोड़ा जाय । मैं इस बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी कानून बनाया जाय, उसमें जितने कम से कम प्रोविज़ो लगें उतना ही वह कानून अच्छा बनता है । वर्ड 'रीज़नेबल' लिखा हुआ है, उसमें जितनी बातें वे कहते हैं, वे सब आ जाती हैं । 'रीज़नेबल टाइम' इन वर्ड्स के अनुसार एक टाइम दिया, उस टाइम में वह वाइन्ड अप नहीं कर सका तो वह दुबारा अप्रोच कर सकता है और रीज़नेबल वर्ड्स के नीचे जो ऑथोरिटी सही अच्छे दिमाग की ऑथोरिटी है और उसकी समझ में आ जाता है कि इस टाइम में वाइन्ड अप नहीं कर सका तो वह टाइम और एक्स्टेन्ड कर सकता है । इस प्रोविजन को बढ़ाने से इसकी सुन्दरता बिगड़ जायगी और यह लेजिस्लेटर्स के प्रिंसिपल के भी खिलाफ होगा । जो बातें उन्होंने कही हैं, वे इससे हल हो जाती हैं । इसलिये मैं फिर निवेदन करूंगा कि और विचार करके अपने इस संशोधन को माननीय सदस्य वापिस ले लें ।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल): Is your amendment not covered by clause 9 ?

श्री तनसिंह : My amendment is on clause 10.

माननीय सभापति महोदय, अब यह सिद्ध हो गया है कि मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह वही बात मानते हैं जो सामान्य आदमी मानता है । उन्होंने स्वीकार किया कि कानून को जितना प्रिसाइज़ किया जा सकता है उतना किया जाना चाहिये । यह दलील पहले आई तो उसके खिलाफ बात मन्त्री महोदय द्वारा कही गई और अब उसके विपरीत कह रहे हैं । इससे सिद्ध होता है कि अपना मतलब जहां हल होता हो उसके लिए अपने मतलब की

(श्री तनसिंह)

दलील रख दी और ५ मिनिट बाद ही उस दलील को अपने मतलब के खिलाफ देखा तो उससे उस दलील को विपरीत तरीके पर अपना मतलब हल करने के लिए रख दिया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : दोनों दलीलें एक नहीं थीं, आप गलत समझे हैं ।

श्री तनसिंह : हम गलत ही समझते हैं तो बड़े अफसोस की बात है । एक दलील यह दी कि इस प्रोविजन को एड करने से इसका सौन्दर्य मारा जाता है ......

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल): That is very important. That 'Soundarya' is very important.

श्री तनसिंह : यदि सुन्दर ही इस क्लॉज को बनाना है तो इसके नीचे और चारों तरफ लाल लाइन लगा दीजिये, लाइन का बोर्डर लगा दीजिये । पर बात वास्तव में यह है कि कानून में हर चीज स्पष्ट होनी चाहिये । फिर भी वे स्वीकार करते हैं कि इसके अनुसार एक्स्टेन्ड कर सकता है तो मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० में श्री तनसिंहजी ने जो संशोधन रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति दी जाय ।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री तनसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १० स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १० विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ ११, श्री तनसिंह ।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, मैंने इस क्लॉज के अन्दर एक संशोधन रखा है कि इस क्लॉज़ के अन्त में, 'Which shall not exceed 5 rupees' ये शब्द बढ़ा दिये जायं । यदि किसी वेअर-हाउसमेन का लाइसेन्स खो गया है, खराब हो गया है कि पढ़ा नहीं जा सकता है तो उसे लाइसेंसिंग ऑथोरिटी फ्रेश लाइसेन्स इश्यू कर सकती है और सम ऑफ फीस प्रेस्क्राइब करने का रखा है । वैसे तो गवर्नमेंट की मंशा है कि चाहे जितनी फीस रखे पर निश्चित कर दें कि ५ रुपयों से ज्यादा नहीं होगी तो इससे परेशानी नहीं होगी और इससे गवर्नमेंट को भी सुविधा रहेगी । इसलिए मैंने ५ रुपये रखे हैं । आशा है मन्त्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय चेअरमेन महोदय, विरोधी पक्ष से आने वाले माननीय सदस्य, मैं ऐसा महसूस करता हूं, कुछ लेजिस्लेशन की परम्पराएं हैं कि कुछ बुनियादी बातें कानून में लिखी नहीं जानी चाहिये, वह लिखवाना चाहते हैं । ५ रुपया लिखाना चाहते हैं । फीस कितनी मुकर्रर होनी चाहिये, यह रूल्स में होना चाहिये, कैसा वेअर हाउस है, उसमें कितने का इन्वेस्टमेंट है, कितनी फीस उसकी होनी चाहिये, यह सब इस सदन में बैठ कर कानून में लाना चाहते हैं ।

श्री श्रीभानसिंह : यह डुप्लीकेट लाइसेन्स के लिये है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : डुप्लीकेट में आप ५ रुपया रखवाना क्यों पसंद करते हैं ? क्या वह सही बात है ? इस तरह की बातें करते हैं, सरकार की प्रेस्टिज घटाने की बात करते हैं, उनकी भी प्रेस्टिज है, आखिर सदन की परम्पराएं भी हैं । यह निरर्थक अमेंडमेंट है ।

श्री श्रीभानसिंह : इस अमेंडमेंट में परम्परा कहां से आ गई ?

श्री तनसिंह : सभापति महोदय, जिस ढंग से माननीय मन्त्री महोदय आर्ग्युमेंट दे रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे इस विषय के बड़े माहिर हैं । उनके माहिरपन और उनकी विशेषज्ञता के प्रति हममें कोई मतभेद नहीं है । पर नम्र निवेदन है कि ऐसा भी टाइम आता है कि इस प्रकार की फीस को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है और मैंने रखा है कि ५ रुपये से वह फीस एक्सीड नहीं होनी चाहिए । पांच रुपयों के नीचे ही रहना चाहिये । अभी आपने कहा कि क्यों किया जाना चाहिये ? इसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि अगर किसी का लाइसेन्स फट जावे या भीग जावे या खराब हो जावे या बिगड़ जावे तो उसको नया नक्ल करके दे देना होगा । डुप्लीकैट नक़्ल करने के लिये अगर गवर्नमेंट अपनी आमदनी का साधन बनाना चाहती है तो मैं यह कहूंगा कि यह एक गलत तरीका है । हो सकता है कि कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है और वर्षा में वह भीग जाता है और खराब हो जाता है....

श्री नाथूराम मिर्धा : Fees and taxation are the legalised sources of revenue of the Government.

श्री तनसिंह : इसीलिये मैं यह निवेदन करता हूँ कि अगर उसके आप ५००) लगा देते हैं तो हमारी मंशा के खिलाफ होगा । पांच से कम ही होना चाहिये । आपके रेवेन्यु का सोर्स लीगल हो सकता है और जितना लीगल होगा हम उसको स्वीकार करेंगे । अगर आप हमारी मंशा से ज्यादा लगाने के अधिकार को लेंगे तो हम उस अधिकार को देना नहीं चाहते और उसे मंजूर नहीं करेंगे । इसलिये यह संशोधन प्रस्तुत किया है । जिस समय आप यह कहते हैं कि यह रेवेन्यु का सोर्स है तो इसके लिये मेरे पास ज्यादा दृढ़ दलील हो जाती है कि मैं इसको और ज्यादा प्रेस करूं । अब आप यह कहते हैं कि ५ रुपयों के लिमिट की कोई चीज़ यहां आ ही नहीं सकती तो मुझे इस सम्बन्ध में आश्चर्य होता है कि आ क्यों नहीं सकती ? बड़े बड़े और छोटे छोटे सेन्टर के कानूनों में भी ऐसी बात है और हर कानून में हम इस प्रकार का प्रोविजन रखते कि इतने से ज्यादा जुर्माना नहीं होना चाहिये । मगर इस प्रकार के मामलों में माननीय मन्त्री ही निश्चित राशि तय करें या विभाग ही उसको तय करे तो मैं समझता हूँ कि यह तो एक विचित्र स्थिति है । वाजिब हो उतनी लेनी चाहिये इसमें कोई बात नहीं, मगर ऐसा न हो कि ज्यादा ले लें । इसलिए निश्चित राशि तय करना जरूरी है । मगर यह कहना कि गवर्नमेन्ट इसको तय करेगी, जितनी मर्जी आवेगी उतना करेगी यह तो उचित नहीं होगा, क्योंकि हम यहां पर इसीलिये हैं कि उनको अपनी मर्जी में आए जैसा न करने दें, जो उचित हो वही करने दें । ऐसी हालत में मैं इसे वापिस लेने को तैयार नहीं हूं ।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र) : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाए ।

(अस्वीकृत)

(श्री सभापति)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

क्लॉजेज़ ११, १२, १३, १४ व १५।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ११, १२, १३, १४ और १५ स्वीकार किये जावें।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Chairman, Sir, in clause 14, I think the words appearing in the last line are superfluous, though they may be beautiful, I think they are superfluous.

श्री सभापति : Which clause ?

श्री श्रीभानसिंह : Clause 14. "In such manner as to permit at all times of the identification and delivery of the goods deposited". "Of the goods deposited" are superfluous, though they may look beautiful to the Hon. Minister.

श्री नाथूराम मिर्धा : Is there any amendment to that effect ?

श्री सभापति : There is no amendment to it.

श्री श्रीभानसिंह : Still, Sir, when the words are superfluous......

श्री नाथूराम मिर्धा : I think this objection should have been raised at the time of the third reading.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ११, १२, १३, १४ और १५ स्वीकार किये जावें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ११, १२, १३, १४ व १५ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज १६ (१), श्री पी० के० चौधरी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move that in clause 16 (i) the phrase "in the absence of reasonable excuse" may be deleted.

Clause 16 reads as under : "Delivery of goods ;—(1) Every warehouseman in the absence of reasonable excuse shall, without unnecessary delay, deliver the goods deposited in his warehouse to the depositor on demand made by him and surrender of the receipt duly discharged and payment of all charges due to the warehouseman."

अभी इसमें जो एमेन्डमेन्ट मैंने दिया है उसमें "in the absence of reasonable excuse" को रीमूव करना चाहिये। इसमें ऐसा रहता है कि : "Every warehouseman shall, without unnecessary delay, deliver the goods deposited in his warehouse to the depositor on demand made by him and surrender of the receipt duly discharged and payment of all charges due to the warehouseman."

यह जो "in the absence of reasonable excuse" रखा गया है उसको रखने के मैं खिलाफ हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि वेअर हाउसेज़ जो हैं वे एक प्रकार से डिपोज़िटर्स की तरह से हैं, स्टोर की तरह हैं, जहां हम अपना सामान रखते हैं और वेअर हाउसमेन को यह अधिकार नहीं है; जो सामान हम वहां पर रखते हैं उसको न तो डिस्पोज़ ऑफ

(श्री पी० के० चौधरी)

कर सकता है और न किसी को लोन दे सकता है। जब अपने गुड्स की डिलीवरी डिमान्ड करते हैं तो हम उसको पैसे दे देते हैं।

तो What other reasons there can be for him? Why should we make a provision in the Act to have an excuse for not giving the goods on demand?

यह जो प्रोविजन है उसका मतलब यह होता है कि हम उसको एक बहाना देते हैं, जिसकी बुनियाद पर वह हमको रिफ्यूज़ कर सकता है, we give him an unnecessary excuse to refuse the goods. उसको हम ड्यूज़ पे करते हैं, रिसीट प्रोड्यूस करते हैं और अब आप कहेंगे कि आप रात को मांगेंगे। मगर मैं यह कहूंगा कि इसके लिये भी प्रोविजन रहता है कि वर्किंग अवर्स में। यह नहीं हो सकता कि हमने जाकर रात को मांग लिया तो इसके लिये तो इसमें प्रोविजन है It is covered by 'undue delay'!

उसको चाहिये कि ऑन डिमान्ड हमको दे। He should deliver the goods on demand. यह जो रीज़नेबल की बात रखी है, वह किस उद्देश्य से रखी है, समझ में नहीं आता। जब वहां गुड्स डिपोज़िट हैं तो फिर आपको देने में क्या आपत्ति होनी चाहिये? किसी भी बैंक में सेफ डिपोज़िट में हम अपने जेवरात रखते हैं, उसमें भी यह क्लॉज नहीं रखी है। Without reasonable excuse he will give me the key. यह तो कोई बैंक भी नहीं रखता है। He gives the key if I go during the working hours.

वह चाभी देने से कभी नहीं रिफ्यूज़ करता। इसी तरह से यह भी काश्तकारों के लिये अनाज वगैरह रखने के लिये वेअरहाउस सेफ डिपोज़िट है तो क्या रीज़नेबल एक्स्क्यूज़ हो सकता है, यह तो माननीय मन्त्रीजी ही बता दें? What are the probable reasonble excuses which the warehouseman can have and if they are justifiable.

यह जास्टिफाइएबल नहीं है। इसमें एग्रीकल्चरिस्ट्स और डिपोज़िटर्स को हैरान करने लिये प्रोविजन करते हैं। इसलिए मेरी राय है, मेरा सुझाव है कि 'In the absence of reasonsble excuse" शब्दों को हटा देना चाहिये।

२ म. प.

जब हम इसमें रीज़नेबल एक्स्क्यूज़ रखते हैं तो यह हम एक तरह से इशारा करके बताते हैं कि हम एक प्रकार के एक्सक्यूज़ का बहाना देने की ओर इशारा करते हैं। एक कहावत है होली के समय जिस व्यक्ति पर रंग डालना होता है उसके लिये लड़कों को कह दिया जाता है कि इस पर रंग मत डालो; that means an excitment, to them to throw colours. इसी प्रकार यह रीजनेबल एक्सक्यूज़ की बात रख रहे हैं, वी आर गिविंग हिम टेम्पटेशन। माननीय मंत्री महोदय हंस रहे हैं, उन्होंने अपना दिमाग बंद कर रखा है इसको समझने के लिये। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि अगर आप मेरे सुझाव को एक्सेप्ट करेंगे तो यह एक्ट अच्छा बनेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय चेयरमेन महोदय, माननीय सदस्य ने जो दलील दी है उसमें कोई वज़न नहीं है। वे कहते हैं कि मैं समझ नहीं सका, मैं उनको यह बता दूं, सैकड़ों ऐसे एक्स्यज़ हो

Page No.60

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सकते हैं, जिनको हम रीज़नेबल एक्सक्यूज़ कह सकते हैं। वे सब नहीं बताते हुए, मैं केवल एक दो ही आपके सामने रखूंगा।

एक वेअरहाउस है यह एक प्रकार का बिज़नेस कन्सर्न है उसका हमेशा यह मकसद रहता है कि जितने भी डिपोज़िटर्स हैं, उनको खुश रखा जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा बिज़नेस उनकोमिलता रहे इसलिये उनका यह उद्देश्य रहता है कि अपने डिपोजिटर्स को हर प्रकार की सुविधा और सहूलियतें प्रदान करें। मान लीजिये कोई डिपोजिटर है और वह जानबूझ कर उससे संबन्ध विच्छेद करना चाहे और झगड़ा करना चाहे तो क्या उसके लिये रीज़नेबल एक्सक्यूज़ का क्लॉज़ न रखा जाय ? एक वेअरहाउस में, मान लीजिए, दो आदमी काम करते हैं, उनमें से एक आदमी बाजार में चलता हुआ एक्सिडेन्ट में आ जाता है उस हालत में दूसरा आदमी वेअर हाउस को बन्द करके उसकी तामीरदारी के लिये अस्पताल में जाता है वैसी हालत में कोई डिपोजिटर आकर कहे मुझे अभी का अभी माल दीजिये तो वैसी हालत में वह दे नहीं सकता। इसलिये रीज़नेबल एक्सक्यूज़ का रखना आवश्यक है। यह क्लॉज़ हर बिल में यूज़ किया जाता है और दूसरे कानूनों में भी यूज़ किया गया है। यदि हम इसको निकाल देते हैं तो डिपोजिटर्स उनको परेशान करेंगे, वाजिब समय को देखेंगे नहीं। जब कि बिजनेस के उद्देश्य से यह कानून बनाया जारहा है वहां पर किसी को परेशान करने की दिमाग में चीज नहीं हो सकती। इसलिये यह जो चीज रखी गई है वह सही तौर पर रखी गई है इसको डिलीट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिये मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वे अपना संशोधन वापिस ले लें।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मि० चेयरमैन, माननीय मन्त्री ने जो जवाब दिया वह अनकन्विन्सिंग है। उन्होंने रीज़नेबल एक्सक्यूज़ के लिये केवल एक ही बात कही कि किसी की डेथ हो जाना या एक्सिडेन्ट हो जाना, ऐसी सर्कम्स्टान्सेज़ के अन्दर अननेसेसरी डिलेज़ होती हैं। अगर वेअरहाउस के किसी कर्मचारी की या उसके रिश्तेदार की डेथ या एक्सिडेन्ट हो जाती है तो यह तो अननेसेसरी डिले में कवर हो जाती हैं, इसको एक्सक्यूज़ कह देने या इस प्रकार का प्रोविजन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आपसे पूछा था कि रीज़नेबल एक्सक्यूज़ आपके दिमाग में क्या क्या हो सकते है? बताइये तो, आपने केवल एक्सिडेन्ट आदि का बताया; यह तो अननेसेसरी डिलेज़ में कवर हो सकता है। अगर आप स्पेसिफिकेली एक्सक्यूज़ का मेन्शन कर देते हैं तो भी कोई एतराज नहीं।

दूसरी बात यह कि बिजनेस कन्सर्न नहीं है, यह तो सेफ डिपोजिट की तौर पर है। जिस प्रकार किसी बैंक में किसी का जवाहरात सेफ डिपोज़िट लॉक में है तो बैंक का यह फर्ज हो जाता है कि किसी भी समय उस लॉक की चाभी मांगने पर उसको दे। अगर किसी प्रकार का एक्सिडेन्ट हो जाता है तो उस दिन बैंक बन्द कर दे, लेकिन यह नहीं हो सकता कि बैंक चालू रहे और चाभी न दे। बैंक का मैनेजर यदि मर जाता है तो बैंक बंद रख सकते हैं। केशियर अगर नहीं होता है तो उसके लिये दूसरे केशियर का इन्तजाम करते हैं; अगर एक्सिडेन्ट, डेथ आदि की पोसिबिलिटी हो वैसी हालत में आप बन्द कर सकते हैं। इस प्रकार की पोसिबिलिटीज़ को फेस करने

Page No.61

(श्री पी० के० चौधरी)

के लिये रीज़नेबल एक्सक्यूज़ हम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में मेरा जो अमेन्डमेन्ट है वह वाजिब अमेन्डमेन्ट है, माननीय मन्त्री महोदय को उसे स्वीकार करना चाहिये। मुझे अफसोस है कि इस प्रकारके इम्पोर्टेन्ट अमेन्डमेन्टको भी वेलकम नहीं किया जाता। उन्होंने एक-दो एक्सक्यूज़ के अलावा और कोई एक्सक्यूज़ बताये नहीं ....

एक माननीय सदस्य : 'होलीडे' भी तो इसमें शामिल है।

श्री पी० के० चौधरी : 'होलीडे' तो होलीडे ही रहेगा, उस रोज तो कोई डिलेवरी मांगेगा ही नहीं। हालांकि मेरे अमेन्डमेन्ट को मिनिस्टर महोदय मानते नहीं, उनका इस बारे में दिमाग क्लोज़ सा है, इसलिए मैं अपने अमेन्डमेंट को विड्ड्रा करने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री सभापति : जो संशोधन १६ (१) में श्री पी० के० चौधरी ने रखा है उसको वापस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : क्लॉज़ेज़ १६ से १८.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १६, १७, और १८ स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १६ से १८ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

श्री तनसिंह, क्लॉज, १९।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : चेयरमेन महोदय, जैसा कि अभी पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अमेन्डमेन्ट रखना ही बेकार है, इसलिये मेरा अमेन्डमेन्ट रखना भी बेकार है। इसलिये मैं अपना अमेन्डमेन्ट मूव नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : क्लॉज १९ से २६।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज १९ से २६ तक स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज १९ से २६ तक विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्या आप (श्री तनसिंह) आगे के क्लॉजेज पर भी अमेन्डनेन्ट मूव नहीं करना चाहते ?

श्री तनसिंह : बेकार है।

श्री सभापति : क्लॉजेज २७ से ३३।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज २७ से ३३ तक स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज २७ से ३३ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

क्लॉज ३४।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I move, "That clanse 34 be deleted."

(श्री पी० के० चौधरी)

सभापति महोदय, क्लॉज़ ३४ में प्रोविजन है "Power to exempt" । इस एक्ट के अन्दर जो पॉवर्स दे दिये गये हैं उस सम्बन्धी यह क्लॉज इस प्रकार रीड करता है :

"Power to exempt:—The State Government may, by notification in the official Gazette, for reasons to be recorded, exempt any person form all or any of the provisions of this Act."

सरकार चाहे तो इस एक्ट के प्रोविजन से और इस एक्ट के रूल्स से या सबसे, किसी व्यक्ति को मुक्त कर सकती है और फिर भी उसको लाइसेन्स मिल सकता है ।

हालांकि मेरे मित्र ने कहा है कि बेकार है, अमेन्डमेन्ट मूव करना, मैं भी समझता हूँ, मूव करना बेकार है । फिर भी प्रयत्न करना चाहता हूँ, कितने भी मन्त्री महोदय क्लौज़ माइन्डेड हों, फिर भी प्रयत्न से खुल सकता है । इसलिये अमेन्डमेन्ट तो मूव करूंगा ही । यह उनकी मरजी है कि वे उसे मन्जूर करें या न करें ।

यह क्लॉज ३४ एक्स्क्लूड करने का है । इसलिये कहता हूँ और जैसे प्रारम्भ में सिलेक्ट कमेटी के लिये मूव किया था उसमें बताया था कि रसीद की साख रहे, उसकी नेगोशियेबल वेल्यू रहे, उसके अगेन्स्ट में बैंक से कर्जा वगैरह ले सकें । इतना कॉन्फीडेन्स उसकी वेल्यू पर हो । इसके लिये मैंने कहा है । सरकार की मशीनरी आज इतनी सफीशियेन्ट नहीं है कि पब्लिक कॉन्फीडेन्स उस रिसीट पर हो । फेस वेल्यू ही पब्लिक कॉन्फिडेन्स के लिये काफी नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा था इन्डस्ट्रियल कन्सर्न के लिये कि फेस वेल्यू भले ही उनके शेयर की सौ रुपया हो पर मार्केट वेल्यू चार सौ, पाँच सौ होती है । यह वेल्यू उन इन्डस्ट्रियल कन्सर्न्स की होती है जिनका मैनेजमेन्ट वैल एस्टेब्लिश्ड होता है । जिनका वैल मेनेजमेन्ट नहीं होता है उनकी मार्केट वेल्यू पचास-साठ रुपया ही रह जाती है । फेस वेल्यू भले ही उसकी सौ रुपया हो तो जिसकी जितनी रेप्युटेशन होगी उसकी कीमत उतनी ही घट-बढ़ होगी, उसकी फेस वेल्यू भले ही कुछ भी हो । इस दृष्टि से इन्डिपेन्डेन्ट वेअर हाउस जो एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं उनके लिये सबसे पहले यह प्रोविजन रहना चाहिये कि सफिशियेन्ट पब्लिक कॉन्फीडेन्स हो रिसीट पर । That depends upon the reputation of the warehouse.

इसमें यह सम्भव है कि जैसा इन्डस्ट्रियल कन्सर्न्स में होता है, कोई कोई इन्डिविजुअल अपने वैल मैनेजमेन्ट से अपनी वेल्यू बढ़ा सकता है । पर यह सफिशियेन्ट नहीं । हम जब इसे व्यापक रूप देना चाहते हैं, ताकि जगह जगह उसकी फेसीलिटी अवेलेबल हो, तो हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि उसका कॉन्फीडेन्स, उसकी साख गिरने न पावे और सरकार का सुपरविजन और कन्ट्रोल कम से कम उन पर ऐसा तो हो कि मिनिमम कॉन्फीडेन्स तो सबको रहे । तो एक तो यह हो कि इसके इन्सपेक्शन का इलेबोरेट अरेन्जमेन्ट रहे । इस पर अगर एक्सेप्शन का क्लॉज जो आपने रक्खा है यों ही बना रहा तो यह क्लॉज इन इन्स्टीटयुशन्स को डेवलप होने के रास्ते में ओब्स्टेकल्स के जैसा काम करेगा ।

इसलिये मेरा अमेन्डमेन्ट यह है कि इस एक्सेप्शन के क्लॉज को रिमूव कर दिया जावे । यह क्लॉज नहीं रहना चाहिये । There should be stirict adherence to the

(श्री पी० के० चौधरी)

proivsions of this Act. इस पर भी जितना भी मुमकिन प्रोविजन रक्खा है सुपरविजन का, उसमें से अगर आप एक्सेप्शन देना चाहते हैं तो फिर रह ही क्या गया ? यह मेरी समझ के बाहर की बात है । यह एक्सेप्शन का क्लॉज नहीं रहना चाहिये, नहीं तो इसका दुरुपयोग होगा । मिसयूज़ अगर होगा तो वेअरहाउस की रेपुटेशन को इफेक्ट करेगी और जो पर्पज़ इस कानून को पास करके हम एचीव करना चाहते हैं वह पर्पज़ सर्व नहीं होगा, it will defeat the very purpose for which we are trying to develop this institution'

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा भी इस में एक संशोधन है । वह इस के अनुरूप है, आइडेन्टिकल है और मैंने भी इस क्लॉज ३४ को डिलीट करने का प्रस्ताव किया है ।

मैं मानता हूं, सभापति महोदय, कि सरकार के पास इस प्रकार के कुछ अधिकार होने चाहिये जिससे कि वह वेअर हाउस विज़नेस को इस प्रान्त के हित में भली प्रकार से चला सके । लेकिन जहां हम एक ओर कानून पास करते हैं और उसको ठीक समझ कर करते हैं वहां दूसरी ओर सरकार के हाथों में यह अधिकार देते हैं कि इस कानून को वह जहां चाहे वहां लागू करे और जहां न चाहे वहां न लागू करे, तो फिर कानून पास करने का अर्थ क्या रह जाता है ? यह तो कानून पास करना न करना बराबर है ।

इसके साथ एक बात और है, थोड़ी देर के लिये मान लें कि सरकार को यह अधिकार दिया जाय, पर इसके साथ सरकार के पास निश्चित बात होनी चाहिये कि अमुक कारणों से वह इस प्रकार का प्रावधान रखना चाहती है ।

जहां तक मैं समझता हूं, मंत्री महोदय का यह कहना हो सकता है कि हम पहले-पहल राजस्थान में ऐसा कार्य शुरू कर रहे हैं, इसलिये काफी सम्भव है कि ऐसी स्थिति हो जिसमें एक्सेप्शन करना पड़े । पर मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की छूट से जनता का जो हित हम करना चाहते हैं वह नहीं होने वाला है । मैं तो यहां तक कहूँगा कि सरकार डिस्क्रिमिनेट करेगी, पक्षपात इसमें भी बरतेगी जैसे गंगानगर की मंडी है, उसमें पांच वेअर हाउसेज़ के लिये तो लाइसेन्स हैं और चार के लिये आवश्यकता नहीं पड़ेगी । उनको सरकार छूट दे देगी और सम्भावना इस प्रकार की भी है कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों को भी छूट दे दे । इससे तो अव्यवस्था और असंतोष ही बढ़ेगा । तो इस कानून से जो लाभ होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का प्रोविजन रखने की आवश्यकता नहीं है । मैं तो इस निश्चित मत का हूं कि इस प्रोविजन से भ्रष्टाचार फैले और इसका दुरुपयोग हो, इसका मतलब ही यही है ।

यदि रीज़न्स लिख दिये जाते हैं तो केवल मात्र इस बात से कि रीज़न्स लिख दिये गये हैं और यह कोई उचित कार्य हो गया, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूँ । रीज़न्स लिख देने के बाद भी वे रीज़न्स उचित हैं या अनुचित, इसकी जांच करने की सत्ता भी सरकार से ऊपर हो नहीं सकती और न विधान सभा में इस प्रकार की बात आ सकती है । सरकार को इस प्रकार के अधिकार देना मैं उचित नहीं मानता और इसके लिये सिलेक्ट

(श्री तनसिंह)

कमेटी की रिपोर्ट में भी मैंने नोट ऑफ डिस्सेन्ट दिया था। सरकार के पास कोई कारण नहीं कि वह इस प्रकार के अधिकार मांगे। यदि सरकार ये अधिकार मांगती है तो हम इस निश्चित मत के हैं इनको एब्यूज़ करने के लिये, राजनैतिक हित-साधन के लिये इनका उपयोग करना चाहती है। जब इस कानून से लाभ होने वाला है तो वह लाभ एक जगह हो, दूसरी जगह न हो इसके क्या माने हैं? एक जगह कन्डीशन्स लागू करते हैं, दूसरी जगह उनको लागू करना जरूरी नहीं मानते, तो यह भेद-भाव समझ में नहीं आता। जो कानून की दृष्टि से भेद-भाव स्वीकार नहीं करना चाहिये, उसे सरकार को भी एग्जीक्यूशन की दृष्टि से स्वीकार नहीं करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय, मेरे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे और इस क्लॉज़ को डिलीट करने की कार्यवाही करेंगे।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ़): माननीय चेयरमैन महोदय, यह जो संशोधन आया है, मैं इसके खिलाफ हूं। यह प्रश्न सिलेक्ट कमेटी में आया था। प्रारम्भ में मैं भी इसके खिलाफ था, पर जब दूसरे राज्यों के कानूनों को देखा तो उनमें भी यह क्लॉज़ पाया गया, इस पर काफी बहस की गई। इसमें मैं बताऊं कि अगर हमें किसी पंचायत को, जिसने वेअर हाउस बनाया, उसको कन्सेशन देने की जरूरत हुई तो इसमें अगर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं होगा तो उसे कन्सेशन कैसे दिया जा सकेगा? तो ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिये, उनके लिये एक्सेप्शन का यह प्रोविजन है जो ठीक ही है।

इसमें भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं होगी, कोई अफसर व्यक्तिगत रूप से चुपचाप ऐसा नहीं कर सकेगा। उसको अपने रीज़न्स राजपत्र में प्रकाशित करने पड़ेंगे। कानून को कार्य रूप में परिणत करने और उसका संचालन करने के लिये हमें सरकार पर भरोसा करना पड़ता है, तो इस मामले में सरकार पर इतना भी भरोसा हम न करें तो यह उचित नहीं है। इन सब बातों पर नज़र रखते हुए मुझे भी अपना विरोध का इरादा छोड़ना पड़ा। मुझे यह कन्विन्सिंग लगा। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि हमें इस प्रकार के संशय को अपने दिलों से निकाल देना चाहिये और राज्य सरकार पर विश्वास रखना चाहिये। वह ठीक ही काम करेगी।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल): श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मेरे माननीय मित्र श्री तनसिंहजी ने, क्लॉज ३४ इस बिल की जो है, इसको डिलीट करने के लिए जो संशोधन रखा है उसके मैं पक्ष में बोल रहा हूँ। चेयरमैन महोदय, यह बिल सरकार ने पेश किया है। हो सकता है, सरकार का उद्देश्य ठीक हो और सरकार की इस बिल को इस सदन में पेश करने के लिए कोई शुभेच्छा हो। हो सकता है सरकार यह बिल किसानों की भलाई के लिए लाई हो। उन किसानों के लिए जिनका माल खराब होता है, अनाज खराब होता है, अन्य चीजें खराब होती हैं। उनको सेफ रखने के लिए इस तरह के गोदाम बनाये और हमारी सहकारी समितियां जिनके पास काफी उत्पादन होता है, अनाज को, उनके माल को सेफ रखने के लिए इस तरह का कानून बनाया है, लेकिन इस बिल की

(श्री गिरधारीलाल)

जो धारा ३४ हैं उससे सरकार के जितने भी उद्देश्य हैं, जो कि लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए हैं, उससे सारे के सारे फायदे नुकसान के रूप में परिणत हो जाते हैं। यह बिल ऐसा लगता है जिससे कि कुछ सरकार के व्यक्ति जो इस स्टेट के अन्दर हैं उनको फायदा पहुँचाने के लिए या कुछ ऐसी सहकारी समितियां जो कि सरकार के व कांग्रेस के नज़दीक में हैं उनको फायदा पहुँचाने के लिए यह बिल पेश किया गया हो। अभी मेरे माननीय मित्र ने कहा कि इस क्लॉज़ का जो उद्देश्य है वह यह है कि कोई पंचायत वेअरहाउस का लाइसेन्स लेती है तो उसको कुछ फैसिलिटी दें। मैं माननीय मित्र से पूछना चाहूंगा कि आपके पास क्या गारन्टी है, आपकी सरकार के पास क्या गारन्टी है कि आप पंचायतों को ही देंगे, किसी भी व्यक्ति को आप दे सकते हैं। जो कि हो सकता है आपके नज़दीक का हो, हो सकता है आपकी पार्टी के नज़दीक का हो, हो सकता है आप उसके नज़दीक हों या हो सकता है आप उसको फायदा पहुँचाना चाहते हों।

दूसरी बात आपने यह कही कि अन्य स्टेटों के अन्दर भी इस तरह के कानून बने हैं और उन कानूनों के अन्दर इस तरह का प्रोविजन है। तो माननीय चेयरमेन साहब, मैं कहूंगा कि अन्य स्टेटों के अन्दर इस प्रकार का कोई क्लॉज़ है और वह गलत है तो उसके हम पाबन्द नहीं हैं कि वह क्लॉज हमारे यहां भी रखा जाय। मैं कहूंगा कि आपने एक तरफ कुछ शर्तें रखी हैं कि इन इन व्यक्तियों को लाइसेन्स मिलेगा। उन शर्तों में यह भी है कि एक व्यक्ति का गोदाम उपयुक्त होना चाहिए सामान रखने के लिए। मैं समझता हूं कि आपका अगर कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का गोदाम उपयुक्त नहीं है जिसमें कि अनाज रखा जा सके तो आप उसको भी फेसिलिटी दे सकते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति दीवालिया है जो कि जनता की नजरों में भी है, चोर से कम नहीं है तो उसको भी आप फेसेलिटीज़ दे सकते हैं क्योंकि यह आपका है या हमारा है और आप अन्य प्रकार की फैसिलिटीज़ किन व्यक्तियों को दे सकते हैं? मैं समझता हूं कि इस तरह का क्लॉज़ इस कानून के अन्दर जो रखा गया है उसको डिलीट कर देना चाहिए। इसमें कोई जिद् की बात नहीं है। आपने लिखा है कि हम राजपत्र में रीज़न्स वगैरह भी शाया करेंगे। यह तो नहीं है कि सारी जनता पढ़ी लिखी है, अगर आपने गलत आदमी को लाइसेन्स दे दिया तो इससे आम जनता का नुकसान होगा। तो इस तरह के क्लॉज़ को इस कानून से डिलीट कर देना चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय चेयरमेन महोदय, जो संशोधन इस क्लॉज पर रखा कि इसे बिल्कुल इस बिल से हटा देना चाहिए और उसके समर्थन में जो दलीलें माननीय सदस्यों ने दीं उनको भी मैंने बड़े गौर से सुना। दलीलें देते समय ऐसा लगता था कि वह बिलकुल इस क्लॉज के पक्ष में हैं, महसूस भी करते हैं कि यह क्लॉज रहना चाहिए। ऐसा है कि जैसा अभी एक विरोध में बोलते हुए माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार के पक्ष की कोई सहकारी समिति है, उसको एग्जेम्पशन मिल जायेगा तो सरकार इसमें पक्षपात कर लेगी। बल्कि यहां तक यह रोग कुछ माननीय सदस्यों के दिमाग में घुस गया है कि वह सहकारी समितियों में भी पक्षपात की बात सोचते हैं। आगे माननीय सदस्यों के सामने निवेदन कर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

चुका हूं कि सहकारिता की भावना को हमें देश के अन्दर बढ़ाना है । जिस समाजवाद को हम बढ़ाना चाहते हैं उसमें दलबन्दी को नहीं घुसाया जाये और जो सहकारी कमेटी बना कर वेअरहाउस का धन्धा करना चाहते हैं अगर उनको कुछ रियायतों की आवश्यकता है तो वह हमें उन्हें देनी चाहिए । इसके लिए जो डर माननीय सदस्यों के बैकग्राउन्ड में देखते हैं वह यह है कि कहीं पक्षपात हो जायेगा, भ्रष्टाचार हो जायेगा और इस वजह से यह क्लॉज रहना ही नहीं चाहिए । मुझे कभी कभी डर लगता है, जैसी कि कहावत है कि सावन के अन्धे को हरा ही हरा हर वक्त दिखता है, इसी तरह माननीय चेयरमेन साहब, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारे माननीय सदस्यों के दिमाग में इस तरह की बात बुरी तरह से घुस गई है कि हर बात में उन्हें भ्रष्टाचार ही दिखता है । वह किसी भी चीज को सही रूप में सोचते ही नहीं हैं । माननीय चेयरमेन महोदय, मैं समझता हूं कि यह वाजिब तरीका नहीं है । एक बात और है कि इस चीज की आवश्यता है कि आज जिस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन, सहकारी समितियाँ हैं, पंचायतें हैं या कोई और अच्छी एसोसियेशन्स हैं, जो मिलजुल कर धन्धा करती हैं उन्हें हमें प्रोत्साहन देना चाहिए और उनके जरिये किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुँचाना चाहिए । आप देखें कि इसके अन्दर प्रिकॉशन्स भी कितने लिये गये हैं । इसमें लिखा गया है कि रीजन्स को गजट में पब्लिश कराया जायेगा । फिर भी आप सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है, भ्रष्टाचार हो सकता है । अगर मान लीजिए कि कुछ होता है तो आपकी फिर असेम्बली कहाँ चली जायेगी, यह जनतन्त्र कोई दो दिन में तो खत्म होने वाला नहीं है । कभी भ्रष्टाचार हो गया तो उसकी आपने पहले भी चर्चा की है और अब आगे भी बड़े जोरों से चर्चा करेंगे । उसके बाद में फिर फैसला करने की नौबत आ सकती है । अभी भी फैसला किया है सब बातें ठीक हो सकती हैं । इस वजह से मैं माननीय सदस्यों को, सभापति महोदय, आपके जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की धारा सब कानूनों में है और उसके लिए जो भी वाजिब प्रिकॉशन्स लेने चाहिए वे ले लिये गये हैं, लेकिन हर प्रकार का डर जो उन्हें लगता है उसे दिल से निकाल देना चाहिए । इसलिए सभापति महोदय, मैं मजबूर हूं कि जो संशोधन रखे हैं उनको मैं स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री पी० के० चौधरी (कुलेरा) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने और एक माननीय सदस्य ने जो सिलेक्ट कमेटी के भी सदस्य थे उन्होंने बताया है, मालूम होता है कि दोनों का विचार इस तरह है कि एक ने कहा कि पंचायतें वेअरहाउसेज़ बनाये, इसके लिए मंत्री महोदय ने कहा कि कोऑपरेटिव कम कर देना चाहते हैं और को ऑपरेटिव सोसाइटीज़ वेअरहाउसेज़ बनायें तो हम उनको एग्जेम्पशन देंगे । वेअरहाउस से जो स्टेट सेक्टर को तरजीह देने का है तो उसके लिए हमारे पास ज़रिया है । वेअरहाउस कॉरपोरेशन हैं उसके मातहत आप इस प्रकार की तरजीह दे सकते हैं, कोऑपरेटिव को तरजीह देने के लिए स्टेट वेअरहाउस में यह भी छूट है कि जो मार्केटिंग सोसाइटीज़ हैं उनको कर्जा भी दे सकते हैं, ग्रान्ट भी दे सकते हैं । सब कुछ करने की उनको सहूलियत है । तरजीह देने का तरीका यह नहीं है कि एक प्रोपर अरेन्जमेन्ट के लिए, किसी वेअरहाउस के प्रोपर रनिंग के लिए, एडीक्वेट मेन्टीनेन्स के

(श्री पी० के० चौधरी)

लिए और प्रोपर कन्ट्रोल के लिए और उसकी रेग्युलेशन को बैठाने के लिए जो प्रोविजन इस एक्ट में रखे गये हैं उससे एग्ज़म्पशन देना मैं समझता हूँ कोआॅपरेटिव एक्टिविटीज़ को तरजीह देना नहीं है, उसको एन्करेजमेन्ट देना नहीं है। जहां सिलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्यों ने यह कहा कि पंचायतों को प्रोत्साहन देना चाहिए और पंचायतों को वेअरहाउसेज़ के लिए एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों की दृष्टि इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज भी गांवों में पंचायतों के जो एक्शन्स होते हैं वे जिस ढंग से होने चाहिए, जैसा इम्पार्शियल एप्रोच उनका होना चाहिए, वह नहीं होता है। ज्यादातर हम देखते हैं कि उनमें काफी गलतियां रहती हैं और पंचायतों के एक्शन्स के ऊपर पूरा पब्लिक का कॉन्फीडेन्स नहीं होता है। पंचायतें जितनी वेलमेनेज्ड होनी चाहिए उतनी नहीं हैं। हम क्या समझते हैं कि पंचायतों की तरफ से जो वेअरहाउस होंगे उनको सब एक्ट्स से बरी कर देंगे तो क्या वे वेअरहाउस ठीक चलेंगे ? मैं समझता हूँ कि नहीं चलेंगे। कई शिकायतें आती हैं हमारे पास, पंचायतों के एक्ट्स के लिए। पंचायत वर्क्स के लिए पैसा लेती हैं, उनके इम्प्रोपर यूज़ की सैकड़ों शिकायतें आती हैं। उसके बाद पंचायतों की तरफ से वेअरहाउस बनाये जायं तो उन पर भी कन्ट्रोल रखना ठीक रहेगा और मैं नहीं समझता हूँ कि there is a reason to give an exemption. जहां तक कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए मंत्री महोदय ने बात कही है तो कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को वेअरहाउस बनाने में तरजीह दी जानी चाहिए, तो उनको वेअरहाउस कॉर्पोरेशन से पैसा दिया जाय और क्या हो सकता है तरजीह देने का मतलब जहां तक मेन्टीनेन्स का सवाल है। There should be no laxity. वैसा किसी तरह का प्रोविजन रिलेक्सेशन का नहीं होना चाहिए। प्राइवेट शिड्यूल्ड बैंक और स्टेट बैंक में, चाहे स्टेट बैंक हो चाहे प्राइवेट शेड्यूल्ड बैंक हो जहां तक सेफ कस्टडी ऑफ पब्लिक मनी का सवाल है वहां तक दोनों के लिए हम एक ही प्रोवीज़न्स रखते हैं बल्कि स्टेट बैंक में प्रोविजन्स ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। That is more strict and more hard जहां तक पंचायतों को एक्जेम्पशन देने का जो सवाल है वह तो दूर रहा, मैं कहूँगा कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ से जो वेअरहाउसेज़ रन किये जाते हैं या पंचायतों की तरफ से वेअरहाउसेज़ रन किये जाते हैं उनके लिए There should be stricter control, उनके लिए लेट लूज़ का फॉर्मूला नहीं रहना चाहिये नहीं तो पंचायतों और कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ की तरफ से जो वेअर हाउसेज़ रन करा रहे हैं उनकी रिसीट्स और मेनेजमेंट में लोगों का कॉन्फीडेन्स नहीं रहेगा। तो जो आर्ग्युमेन्ट दिया है, मैं नहीं समझता कि वह एक साउन्ड आर्ग्युमेंट है। यह आर्ग्युमेंट कर देना काफी नहीं है, it is not a good argument. यह आर्ग्युमेंट कोई एक्सपर्ट्स की तरफ से नहीं आया है, जो शेड्यूल्ड बैंक को डील करते हैं या जो कानून बनाते हैं। आप बता दें, एक भी मिसाल जहां स्टेट बैंक और प्राइवेट शिड्यूल्ड बैंक में मनी डिपोज़िट करने के लिए रूल्स में फर्क हो। बल्कि स्टेट बैंक में rules are more strict, they adhere to them more strictly. मेरी समझ में नहीं आता है कि कौन सी स्टेट ने कानून बना दिया। दूसरी स्टेट में बना दिया तो हम भी बना दें, तो फिर लेजिस्लेचर की क्या जरूरत है ? फिर

Page No.68

(श्री पी० के० चौधरी)

तो आप रबर स्टाम्प लगवा दें गवर्नर साहब के लिहाफ पर । यहां पर लेजिस्लेशन को डिक्सस करने की क्या जरूरत है, यू० पी० का कानून लेकर ढाल दें । यू० पी० कोई आइडियल स्टेट हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कोई आइडियल हो, उसमें खामियां नहीं हों, गलतियां नहीं हों, ऐसा तो नहीं है । गलतियां हो सकती हैं । दूसरी जगह एक प्रोविजन रख दिया गया है तो उसका मतलब यह नहीं कि यहां पर भी वही रख दिया जाय । एक चीज के लिए दूसरी जगह एक प्रोविजन है उसको यहां पर लागू करवाना चाहते हैं तो दूसरी स्टेटों की पूरी की पूरी बातें, तमाम के तमाम रूल्स और रेग्युलेशन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्या एग्जेक्टली बराबर हैं ? उनके ही जैसा हो ऐसा तो नहीं है । अगर ऐसा ही करना होता तो मेरी समझ में नहीं आया कि आपके संविधान में अलग अलग लेजिस्लेचर की क्या जरूर थी ? गवर्नर बिठा दिये जायं और पार्लियामेंट दिल्ली में बैठकर मोडल कानून बना दें, एक मोडल एक्ट बना दे और रबर स्टाम्प गवर्नर साहब के दस्तखतों की लगाकर खत्म कर दें । यह कोई आर्ग्युमेंट नहीं है कि दूसरी स्टेट में देख लिया कि क्लॉज ३४ यह है इसलिए हम को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए । मैं इस आर्ग्युमेंट को कतई स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं ।

जो आर्ग्युमेंट सिलेक्ट कमेटी के एक मेम्बर महोदय ने एडवान्स किया है वह आर्ग्युमेंट भी कन्विन्सिंग नहीं है, that carries no weight. इसलिए मैं मेरे एमेंडमेंट के व्यू को फिर भी विद्होल्ड करता हूं । फिर भी इसके बावजूद मैं इजाजत चाहूंगा कि मुझे मेरा एमेंडमेंट विद्ड्रा करने की इजाजत दी जाय ।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : माननीय सभापति महोदय, दो वक्ता महोदयों ने, एक तो महाशय प्रभारी मन्त्री हैं और दूसरे किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे संशोधन के विरोध में कुछ बातें कहीं । एक ने तो यह बतलाया कि पंचायतों को एग्जेम्पट कराना चाहते हैं । लेकिन इस कानून को देखते हैं तो पंचायतों का और कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ का तो कहते हैं लेकिन आया वे अपने कृपा-पात्रों को करना चाहते हैं या, किसको करना चाहते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं है । लेकिन कम से कम इतनी बात तो अभी एक महोदय ने कही है कि पंचायतों को एग्जेम्पट करेंगे और दूसरे महोदय ने कहा कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को एग्जेम्पट करेंगे........

श्री नाथूराम मिर्धा : किसी इन्डिविज्युअल को भी इन्क्लूड कर सकते हैं ।

श्री तनसिंह : अब यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन्डिविज्युअल आदमी को भी एग्ज़ेम्पट करेंगे । तो इसका मतलब यह होता है कि पंचायतों के लिए दलील दी कि पंचायतें हैं, वे बनाना चाहती हैं तो हमें उनको प्रोत्साहन देना है । दूसरी दलील यह दी कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज़ को और को-आॅपरेटिव मूवमेंट को सक्सेसफुल करना है तो इनको एग्जेम्पट क्यों नहीं करें; बेकार है । अब आप कहते हैं कि इन्डिविजुअल को भी करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने जो दलील दी कोआॅपरेटिव मूवमेंट के लिए पंचायतों के लिए, वे सारी बातें गलत होती हैं । सिर्फ उन लोगों को आप देना चाहते हैं जिनके लिए आपकी मन्शा हो । पंचायतों

(श्री तनसिंह)

या को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ को देना चाहते हैं तो पंचायतों और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कानून की दृष्टि से एग्जेम्पट करने में क्या बात थी ? उनके लिए नया प्रोविजन लिखने की क्या बात थी ? लेकिन को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ और पंचायतों की आड़ में वे दूसरे लोगों को एग्जेम्पट करना चाहते हैं। यह तथ्य है, सत्य है। इसको वे स्वयं भी स्वीकार करते हैं।

अब इसके विषय में जो दलील देनी चाहिये थी वह नहीं दी। पंचायत और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर भी यह लागू होता है। लेकिन सभापति महोदय, पंचायतें ऐसी बोडीज़ हैं जो गाँववालों के हित में काम करती हैं और वे चुनी हुई होती हैं इसलिये उनमें जो लोग प्रारम्भ में आते हैं उनकी दो-तीन साल की मयाद होती है इसलिये वे इतना बड़ा धन नहीं लगा सकते और छोटा सा वेअर हाउस चला सकते हैं तो कंडीशन्स रिलेक्स करने की बात समझ में आ सकती है। लेकिन साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिये, यदि इस मूवमेन्ट को चलाना है तो चाहिये यह कि इस प्रकार का लाइसेन्स उनको दें, लेकिन आम तौर पर आप यह कर सकते हैं कि मर्जी में आवे जैसा करें तो लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मर्जी आवे जो कर सकते हैं तो कानून क्यों बनाते हैं ? दोनों बोडीज़ के लिये जो आर्ग्युमेन्ट्स होते हैं वे निश्चित रूप से किसी इन्डिविजुअल पर लागू हो सकते हैं और जो इन्डिविजुअल पर लागू होते हैं वे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या पंचायतों पर लागू नहीं हो सकते। इसलिये जो प्रोत्साहन देने की बात है वह साफ नहीं है।

अब आपने यह बात भी कही कि हम श्रावण के अंधे हैं, इसलिये हमको हरियाली ही हरियाली दिखती है। हमारे लिये तो श्रावण उधर का ही है। इसलिये यदि हम अंधे हैं तो आपके सामने ही बैठने के कारण हैं और हमने आपमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देखा है, इसलिये हम आपकी दूसरी किस बात का गुणगान करें ? यदि हमारे सामने आपने किसी तरह की उदारता दिखाई होती या एक भी आदर्श कानून बनाते या भ्रष्टाचार रोकने में समर्थ होते या भ्रष्टाचार रोकने की मंशा ही प्रकट करते तो हम आपकी वाहवाही करते और कहते कि क्या कमाल के आदमी आये हैं। लेकिन गुणगान करने जैसी कोई चीज नहीं है। हम जो चीज सामने देखते हैं उस ही का वर्णन करते हैं। मंत्रीजी या सरकार जो सब्ज़बाग दिखाती है वे उसी प्रकार दिखते हैं, इसलिये हम मंत्रीजी की बात को मंजूर करते हैं कि हमको हरा हरा इसलिये दिखता है कि हमें श्रावण यहीं दिखता है और उसी को देखते देखते अंधे हुए हैं। जब से हम विधान सभा में जनता के प्रतिनिधि होकर आये हैं, तब से हमको सामने एक ही चीज दिखती है। हमारी जब भी नजर जाती है तब आपकी जूती की बजाय सर पर जाती है, जहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार लिखा हुआ नजर आता है, इसलिये हम आपकी इसी चीज का गुणगान करेंगे।

आप हमारे समाने दूसरी दलील यह देते हैं कि गजट में शाया करेंगे, फिर क्या वहम है। जब गजट में निकल गया कि इन कारणों से एग्जेम्पट करते हैं तब फिर हम क्या करेंगे इसको गुड लगाकर चाटेंगे क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फिर आप भाषण दें।

श्री तनसिंह : हम भाषण दिये जावें उनकी आपको परवाह नहीं। आपके कान ऐसे नहीं हैं कि हमारे भाषणों को सुन सकें। आपतो कानों में तेल डाले रहें और हम भाषण अपने देते रहें। हमारी जबान ऐसी नहीं है कि उसे व्यर्थ में घिसा जावे। आपके रीज़न्स ऐसे नहीं हैं जो कन्विन्सिंग हो। पहले पहल जब कि कानून पास हो रहा है उस समय तो आपको खुली छूट दे दें कि चाहे जैसा करो। फिर जब पाडा पी जावे तब उसके बाद कोई भाषण दें या आन्दोलन करें तो उससे क्या फायदा? इसलिये मैं निवेदन करता हूँ कि बुद्धिमानी इसमें है कि पहले ही ठीक तरह से काम करें। हम भाषण दें तब करें, उससे ज्यादा उपयुक्त यह है कि हम जो सुझाव देते हैं वह मान लेना चाहिये......

श्री नाथूराम मिर्धा : आप जो बताते हैं वह सब ठीक ही हो, यह जरूरी थोड़े ही है।

श्री तनसिंह : (जारी) मैं इस राय का हूँ कि जहां कुछ व्यक्ति खर्च करके वेअरहाउसेज़ बनाते हैं उनको सब प्रकार की दिक्कतों का का सामना करना पड़ता है और दूसरी तरफ एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी, जिस पर लाइसेन्स की शर्त लागू नहीं होती, वेअरहाउस खोलती है तो वेअरहाउस सिस्टम को प्रोत्साहन कहां मिला? जहां एक ही स्थान पर एक के लिये लाइसेन्स लेना जरूरी होगा और दूसरे के लिये जरूरी नहीं होना तो उनके दिलों में फर्क आयगा और बिज़नेस पर भी उसका असर पड़ेगा और नियमों पर चलने वाले लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ, जितनी बातें मन्त्रीजी की तरफ से कही गई हैं वे रीज़न को अपील करने वाली नहीं हैं।

एक बात यह बताई गई कि दूसरी स्टेट्स में भी ऐसा ही कानून है इसलिये यहां भी इसको लागू करते हैं। इसके लिये पूर्व वक्ता महोदय ने बहुत सी बातें बताई उनको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में देखा जाय तो यह कोई दलील नहीं है कि पास के पड़ौसी ने छींक दिया है इसलिये हमें भी छींकना चाहिये या पड़ौसी हंसता है तो हमें भी हंसना चाहिये। क्यों कि पड़ौसी हंसता है या पड़ौसी रोता है इसलिये आप भी रोते हैं, यह कोई समझदार आदमी की बात नहीं है। दूसरे को देखकर कोई काम करते हैं यह कोई दलील नहीं है। इस प्रकार की दलीलें देकर मन्त्रीजी बिल को पायलेट करते हैं तो हम इस बात के लिये तैयार नहीं हो सकते कि अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस ले लें।

श्री सभापति (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री पी० के० चौधरी ने क्लॉज ३४ में रखा है उसको वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री पी० के० चौधरी : I withdraw my amendment.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंह ने क्लॉज़ ३४ पर रखा उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

क्लॉजेज़ ३४ व ३५

(विराम)

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ ३४ और ३५ स्वीकार किये जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ ३४ और ३५ विधेयक के अंग बने।

(विराम)

शिड्यूल ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शिड्यूल स्वीकार किया जाय।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : I have some minor suggestions about it. There are certain grammatical mistakes.

श्री सभापति : They can be corrected.

प्रश्न यह है कि शिड्यूल स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

शिड्यूल विधेयक का अंग बना।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जावें।

('हां', 'ना' के पश्चात्)

श्री पी० के० चौधरी : There are certain mistakes, Sir.

श्री सभापति : I said, they can be corrected.

क्लॉज १ प्रिएम्बल आदि विधेयक के अंग बनें।

सहकारी व कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री पी० के० चौधरी : इतना मैं बता दूं कि there are some mistakes. क्लॉज 2 (b) है उसके लास्ट सेन्टेन्स में लिखा है "the depositer's lawful transfer." It is not 'transfer' but 'transferee.'

श्री सभापति : I draw the attention of the learned Member to Rule 133. The discussion on the motion that the Bill be passed, shall be confined to the submission of arguments either in support of the Bill or for the rejection of the Bill. You can either support or argue for rejection.

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : इसको ऑफिस डील कर लेगा।

श्री तनसिंह (बाडमेर) : मैं इस बिल के विरोध में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। इस बिल को पास करके जिस प्रकार के लाभ की हम कामना कर रहे हैं वह लाभ होने की कतई सम्भावना नहीं है, क्योंकि क्लॉज ३४ पर जो अमेन्डमेन्ट था वह स्वीकार नहीं किया गया इसलिये मन आवे जिस पर यह लागू हो सकता है और मन आवे जिस पर लागू नहीं हो सकता। इसकी क्लॉज ५ (२) में जो पॉवर स्टेट गवर्नमेन्ट को दी है वह इस प्रकार की है कि ऐसी पॉवर मेरे ख्याल से आज तक किसी भी लेजिस्लेचर ने नहीं दी होगी। ऊपर हम क्लॉज़ ५ में कुछ बातें निर्धारित करते हैं कि इन इन शर्तों पर लाइसेन्स दिये जाने जरूरी हैं और उसके साथ

(श्री तनसिंह)

साथ सरकार को अधिकार देते हैं कि इन शर्तों को बढ़ाना, घटाना या तब्दील करना उसके अधिकार में है । इसका मतलब यह हुआ कि इस क्लॉज ५ को पास करने का फालतू प्रयास किया; सरकार चाहे जब इन शर्तों को हटा दे, बढ़ा दे या परिवर्तन कर दे: ऐसा उसे अधिकार दिया गया है ।

बहुत सी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे इस लाइसेन्स के लिये क्या क्या कन्डीशन्स होनी चाहिए, वे सारी महत्वपूर्ण कन्डीशन्स अब हमारे हाथ में नहीं हैं । इस बिल को शीघ्रतापूर्वक पास करने में आपने मुस्तैदी बताई है, उसके कारण इसके अन्दर बड़े बड़े लूप होल्स रह गये हैं । यह एक लूप होल है, जिसके कारण मैं समझता हूँ कि सरकार को जो पॉवर्स दी गई हैं, वे अधिकार इस कानून की मन्शा को समाप्त करते हैं । अगर सरकार इस बात की इच्छुक है कि कानून बना कर नाम कमाये और कहे कि इतने कानून बना दिये । सरकार बुलेटिन में छपवाना चाहे कि इतने कानून लोगों के हित के हमने पास किये हैं । मैं समझता हूं कि प्रचार के साधन को बना कर जो लोगों के हित होने की आकांक्षा दिखाई जाती है, वह नहीं दिखाई देती । कारण इसका यह है कि जो महत्वपूर्ण प्रोविजन थे उनको सरकार ने अपनी मन्शा और इच्छा के ऊपर आधारित कर दिया है । ऐसी हालत में इस कानून को पास करने से जनता को लाभ नहीं होगा । जनता को लाभ होगा, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते । जिस प्रकार के अधिकार सरकार को दिये गये हैं, वे जिस तरीके से व्यवहार में लाये जा रहे हैं, वह तरीका इस ढंग का है कि हमें भविष्य में उम्मीद नहीं है कि वे वह तरीका बदल देंगे । इस हालत में इस कानून को पास करने में कोई लाभ नहीं है ।

कृषि व सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : माननीय चेअरमैन महोदय, विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने इस कानून के पास होने के समय जो बहस की और जो दो तीन क्लॉजेज़ की तरफ विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित किया, उसके बारे में वे बहस कर चुके हैं और उस बहस का उत्तर भी दिया जा चुका है, फिर भी उन्होंने इस कानून के बारे में कहा जो कि महत्वपूर्ण कानून है और द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में खेती के उत्पादन में हर प्रकार की वृद्धि हो रही है, उस उत्पादन के लिये अच्छे गोदामों की व्यवस्था होने की आवश्यकता है और इसके लिए काफी प्रावधान द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से मौजूद है, जिसका उपयोग करने के लिये विधेयक पास करना जरूरी था, जिसको हम पिछले सदन में पास करना चाहते थे, परन्तु कुछ सदस्यों का आग्रह था कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय । सिलेक्ट कमेटी में उसकी बड़ी छान-बीन की गई और हम इस मामले में दो-तीन महिने पीछे रहे, फिर भी अब हम तेजी के साथ में गोदामों का काम हमारे राजस्थान में चालू करना चाहते हैं और इसके लिए बजट में भी प्रोविजन है, इसलिए जो कुछ गोदाम बनेंगे, जिनसे हमारे किसानों का लाभ होगा, इससे उनको व्यवस्था मिलेगी, जहां उनकी उत्पादन की चीजें सुरक्षित होंगी । वे उत्पादन को गोदामों में रख सकते हैं और इस कारण उसमें बिगाड़ नहीं हो सकता । इसलिए यह काफी महत्वपूर्ण आम गांवों के किसानों के लिये है । इसलिए इसमें तेजी करना जरूरी है ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उन्होंने दो-तीन क्लॉजेज़ के बारे में दलीलें दी थीं और मैं उनके बारे में काफी स्पष्टीकरण कर चुका हूं, अब उनके बारे में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं सोचता था कि इस मौके पर फिर उन्हीं दलीलों को पेश करेंगे। फिर भी उन्होंने वही दलीलें पेश कीं, यह उनके खुद के सोचने की चीज है। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य बड़े उत्साह के साथ इस कानून को पास करेंगे। यह आम लोगों के, खास तौर से किसानों के हित के सम्बन्ध में कानून है, जिसको हमें जल्दी पास करना चाहिए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५७ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया '

२. ५५ म० प०

राजस्थान पशु-धन सुधार विधेयक, १९५७ (खण्डशः विचार-विमर्श)

एक माननीय सदस्य : आज छुट्टी हो जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : छुट्टियाँ तो काफी हो गई, अब कुछ काम करें।

श्री तनसिंह : हाँ, निबहा लेंगे।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : चेयरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा पशु रोग......जरा गलती हो गई......प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित 'पशुधन सुधार विधेयक, १९५७ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री पी० के० चौधरी : इस पर अमेंडमेंट्स थे, उनकी कॉपी नहीं आई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह ले लें।

श्री सभापति : श्री श्रीभानसिंह।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Mr. Chairman, Sir, I move that the Bill be re-committed to the Select Committee. I must first make it absolutely clear that I am not moving this motion with a view either to delay the passage of this Bill or any other view, but I sincerely feel that the purpose which the Government wants to achieve through this Bill will not be achieved, because it has certain shortcomings, certain provisions which I think will not only hurt the sentiments of the people but also, if strictly implemented might recoil on the agrarian economy with disasterous results. No doubt the Bill fulfils a gap, and a need that was very urgent because Rajasthan is a State in which 70% of the population draws its sustenance from land, and the improvement of its cattle-wealth is absolutely necessary. At the same time, the improvement is also a gigantic task and until now the measures selected by several States have met with failure or they have not achieved the success which was desired of them. I may here emphasise the importance of the cattle-wealth which forms the basis of our economy. To put it briefly the seed that germinates owes its debt to the bullock and the child that grows into a sturdy peasant and the living standard of the peasantry depends, or owes its indebtedness

(श्री श्रीमानसिंह)

to our cow, the prosperity of the urban areas depends upon the transporting power of the bullock. Therefore, the bullock and our agrarian economy is so inextricably woven that with the improvement of the one the second prospers and without the improvement of agriculture our measures regarding the improvement of live-stock will not meet with success.

Therefore, it is very essential that we picture also to ourselves the present existing conditions of our agrarian economy, since the Hon. Minister who is piloting the Bill is also the Agriculture Minister, and to put it briefly, with all the deluge of our agrarian legislation our agrarian economy has not responded. It has remained absolutaly stagnant. Nobody has gained. Today our agrarian economy, on which 70 percent of our people depend, is still characterised by small holdings with low productivity ,with low income and above all with poor livestock, poor bullocks; and whereas in Egyptian fellah 3 Bullocks help to cultivate and plough, say 100 acres of land or something like that, here in Rajasthan one pair of bullocks is maintained for hardly an acre. This is the pattern of our agrarian economy and we want to develop it. This livestock which should have helped to raise the standard of the agriculturists, has lowered the standard. It will not be out of place to remind the Hon. Members that the total population of this State is some 1.53 Crores while the bovine population or the livestock population is more than 3 crores and, as I said, the pe. capital distribution of land hardly comes to 2 acres. Thus, this centuries old struggle between man and livestock on our limited land is continuing. The quantity of the livestock is excessive but the quality is lacking and this Bill seeks to improve that quality. Therefore, we have to see alround as to how far our measures have succeeded. If the Government introduces mechanization, then on small holdings there cannot be mechanization. Thus the main stay of agriculture, now and in times to come, will be our bullocks. our cows. buffalos, goats and sheep. Thus, they must be improved and measures must be taken, but these measures must be sound and sure, they must cover the ground which we want to cover through legislation.

(३ म० प०)

The first point emerges that this Bill is absolutely silent about the already existing inefficient bullock-sires or the cattle-wealth of our country. What are we going to do with our present existing cattle-wealth. Out of 3 crores, I am sure 60 percent of them are just worthless. They are worthless because there has been indsicriminate multiplication in breeding. For these 60 percent I see no provision in this Bill as to how the Government will deal with them. The Hon. Minister may say that they will be casterated. they will be eliminated. Then the question emerges that firstly the Government does not

(श्री श्रीमानसिंह)

have so much machinery, so many officers who can sterilise these uselees livestock that is there and if they are casterated the question arises how the gap will be filled up. The introduction of pedigree bulls or stud bulls will need money. I may just refer to the shortage that was calculated by the Government itself during the first Five Year Plan. It was a shortage of 16,000 pedigree bulls. Unfortunately, that shortage was not covered during the first Five Year Plan because of the financial limitations of the Government. While the attempts to improve the breed during the first Five Year Plan also met with failure, there was no achievement to the credit of the Government. There was an expenditure during the first Five Year Plan of Rs. 28.30 lakhs and what was the result ? The expenditure may be gigantic in terms cf lakhs, but the results were that during the first Five Year Plan only 217 calfs were distributed to the Panchayats. The Government calculated a shortage of 16,000 seed bulls and the distribution was only of 217. I cannot say out of these 217, how many survived and how many died, because there was no provision for their stable yard or for their feeding. Coming to this point, even in this Bill, the condition precedent to the distribution of the bulls should have been a permanent arrangement of a stable-yard and food for the pedigree bulls (which, still I do not know to whom the Government will give-either to the Panchayats or to the Co-operatives or to the individuals). The pedigree bulls need nutritional and energy-giving food, but after leaving them with the Panchayats, the Government wishes them to feed on existing fields, the fields that do not provide him with enough fodder and there are not enough fields also to provide for their feed, because either you can provide for the man or for the animal. This competition is there and there is no solution to it. Therefore, the first condition for a licence of a pedigree bull should have been provision of a stable-yard and feed. There is no provision in the Bill about it.

There is a provision in the Bill that after these pedigree bulls are given the Live Stock Officer can order their casteration under certain circumstances. Is it not cruel that after having performed under such adverse circumstances of poor food and absence of stables they should be casterated, they should be used as draught of transport cattle or transport Bullocks? They will be auctioned and there will always be purchasers for them because our cultivators are poor and weaker the bull the less will be its price and more easily it can be purchased by our poor cultivators. There is a provision in the Bill for re-selling it after casteration, when we should have sent it to the Pinjarapole. The provisions which go to help in the maintenance of the livestock are not present in the Bill.

The Hon. Minister will quote

(श्री श्रीमानसिंह)

figures from the second Five Year Plan, and I also looked up the second Five Year Plan to see how much provision has been kept for the improvement of livestock or for maintenance and upkeep of the existing and future pedigree bulls that will be given. I find that for the first two years the Government will give a subsidy of Rs. 10/- per bull to the Panchayats for the seed bulls which the Government will distribute. I also looked up as to what can be the expenses on the normal upkeep diet of one pedigree bull and the minimum that I could place was Rs. 60/- per month and an acre of land. That is when we give scientific feed. The Government subsidy, on the other hand, for the 217 bulls which were distributed during the first Five Year Plan and 1000 bulls that will be distributed during the second Five Year Plan, would be a total of 5 lakhs. On these 1000 bulls the Government will now give a subsidy of Rs. 10/- per month per bull. Then I ask a question as to how can an ordinary man maintain a pedigree bull when even the Government cannot afford the financial help ? For one bull, 50/- rupees on the upkeep will be met by the individual and I am sure that the individual will never be able to meet it. I also tried to know from the Panchayats as to how long they can upkeep and maintain a pedigree bull. Sir, my experience was very sad. They said that so long as the pedigree bull was of services, they kept it hardly for a year or so and after that they left it. A sire, which was to be looked after, for which lakhs of rupees were spent, became a sire at large and where it dies, how it dies is nobody's concern. The Panchayats send it either to the veterinary hospitals or leave it to die a premature death. This will be the fate of the 1000 bulls which we are going to distribute during the Second Five Year Plan. These contradictions have not found their solution in this Bill.

Coming to certain particular clauses, in passing I may refer that the Government is given powers for defining the Live Stock Officer in which any person is included. I have not been able to understand as to how a layman can perform the work of casterating a bull. Mostly the Village Level Workers in the N. E. S. blocks will be invested with this work and powers due to insufficiency of staff. The training of village level workers is of such a type, it is a multi-purpose training and to entrust them with the work that needs a certain amount of specialised training, is really surprising. I am not confident about how they will perform the work. Certainly it is beyond their capacity to perform this work efficiently.

Then comes clause 7, under which a Livestock Officer can refuse or revoke a licence by saying that this bull is likely to beget defective or inferior progeny. I am surprised that again such general type of clauses are made that the actual purpose or

(श्री श्रीमानसिंह)

their meaning or intention is mystery rapped in enigma. If a pedigree bull has an obvious defect the Livestock Officer can see and refuse a licence, but "if it is likely to beget" then it becomes a matter of conjecture and imagination. It is only when the progeny has seen the light of the day that we can determine whether the pedigree bull is begetting bad and defective progeny. But before experience and experiment, the Livestock Officer should be invested with these powers, the Hon. Members will bear with me, when the Livestock Officer includes any person, is strange. Then it becomes a matter of bargaining, a matter of corruption where licence will be given. An Officer may think that the bull will beget bad progeny, still the licence will be given because there is no proof that it will beget bad progeny. So it will be matter of bargaining between the man who grants a licence and one who wants the licence. No medical man can say that this animal will beget a bad progeny or good progeny. It can only be said when the progeny sees the light of the day. Therefore, this clause will not further the purpose for which we are legislating.

Similarly, for the wrong judgment of a Livestock Officer, an individual should not be made to suffer. I am unable to understand that after a man has placed the bull before the Livestock Officer, he has examined it, he has given the licence, he could see that the bull was defective or disabled, and after passing it as fit, subsequently he should have powers to revoke the licence because he just happens to think that the bull might be suffering from a disease. The owner must be compensated if the bull is declared bad and the licence is revoked. It is the wrong judgement of the Livestock Officer who previously granted a licence and now revokes it, and the individual should not be made to suffer on this account. These are not rules of fair game.

There is also a provision in the Bill about auctioning the bulls. Instead of auctioning them, the Government should keep in the Pinjrapoles. It is the Government's responsibility to maintain them.

Another provision in the Bill is about surrender of the licence. By all means if anything wrong happens, then I certainly agree that the licence must be surrendered, but when the bull has died and he has no existence then to insist that the surrender must be made in case of non-surrender of the licence, he should be visited by pecuniary punishment is injustice. There are reasonable grounds to believe that there can be delay in the surrender of the licence and for this delay the man should be visited by pecuniary punishment is not fair. There is no reason behind it. The reason may be and can be advanced that the Government wants to keep statistics of the bulls that are distributed as to how many are living

(श्री श्रीमानसिंह)

and how many have died. Sir, these statistics can be maintained if I as a villager or individual surrender my licence to the Panchayat and not to Livestock Officer.

So I am afraid this Bill may recoil disastrously on the agrarian economy and it may not even precipitate the imbalance that is already there in our agriculture economy. As I said that with all the deluge of our agrarian reform measures, we have not been able to improve our agrarian economy, we have not been able to feed our teeming millions and our existing population, then why this spate of legislation is continuing ? We say that farmer's condition is being improved, but the conditions have not improved. Therefore, there is danger, and that danger is also there in the Warehousing Bill, that the people might lose confidence in the capacity and powers of the Legislation to achieve or secure a desirable change.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह (दूदू) : I wish to elucidate some points. I may be permitted.

श्री सभापति : On this Bill ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : There are some mis-understandings, I want to elucidate some points.

श्री सभापति : The Hon. Member will see that this is not the proper stage. He can oppose the move to refer the Bill to the Select Committee, or he can support the move.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : I support to send the Bill to Select Committee and in five minutes I would like to elucidate some points which are raised here. I do not agree with my friend on all these points, so I shall elucidate my points.

श्री सभापति : So you are opposing his move ?

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : A bit.

श्री श्रीमानसिंह : The Hon. Member is supporting me while disagreeing with me.

श्री सभापति : So it is fifty-fifty.

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि यहां जो प्रश्न उठा है उसके बारे में मुझे दो तरह से तजुर्बा रहा है। एक तो शुरू से जानवरों के पालने के हिसाब से और दूसरा एग्रीकल्चर कॉलेज में एनीमल हस्बेन्ड्री विभाग के मुख्य प्रोप्राइटर की हैसियत से। इस संबन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बारे में मिस-अन्डर-स्टेंडिंग पैदा हो रही है कि दस रुपया जो दिया जायगा उससे सारा का सारा काम चलेगा, इसमें मेरा मतभेद है। राज्य की ओर से जो दस रुपया निर्धारित किया गया है उससे ज्यादा रकम राज्य दे नहीं सकता। यह माना जा सकता है कि आज की प्रणाली और पुरानी प्रणाली दोनों में कुछ डिफेक्ट रहा है। पहले का इन्डीजीनस तरीका था, राजपूतों और जाटों और काश्तकारों ने इस्तेमाल किया था। वह

(रावल श्री नरेन्द्रसिंह)

एक तरह से रिलीजियन और इकोनोमिक्स इन दोनों चीजों को साथ में लेकर चले थे वह तरीका बहुत लाभदायक था । उस समय क्या होता था, सांड़ों के पालन के वास्ते जिनके पास गायें होती थी वे उसके लिये प्रत्येक प्रकार के साधन जुटाया करते थे, वह सांड़ किसी के भी खेत में चर सकता था। जितने गायों के बच्चे होते थे प्रत्येक बच्चे के पीछे एक सेर घी हर ब्यानेवाली गाय के ऊपर मिलता था। राज्य अपनी ओर से जो प्रबन्ध कर रहा है वह इससे ज्यादा साधन जुटा नहीं सकता। आज के साधनों की अपेक्षा पुराने जो साधन काम में लिये जाते थे, वे कम्पेरिटिलली ज्यादा अच्छे थे। दस रुपया खर्च होकर के भी काम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

दूसरी बात यह है कि जो दूसरे सांडों का वीर्य इकट्ठा करके काम में लिया जायगा उसके लिये दो हजार सांड़ों की व्यवस्था है इस विचार को हृदयंगम रखना है। मैं इस चीज के कतई खिलाफ हूँ। साल भर दो साल के बाद में जो सांड़ों को बदलने की बात है, उसके लिये मेरा सुझाव यह है कि जहां एक दफा एक सांड को प्रयोग में लिया जाय उसको दो तीन साल बाद में पास के दूसरे गांवों में भेज दिया जाय, यही सब से अच्छा उपाय है। इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहेंगे तो इसमें बहुत सुधार होगा। इसके अलावा और भी छोटे-मोटे सुझाव हैं, उसके लिये समय आने पर कह दूंगा। यह स्थान और समय भी उसके लिये उपयुक्त नहीं। गवर्नमेन्ट ने जो दस रुपये निर्धारित किये हैं, वे ठीक हैं। गवर्नमेन्ट अकेली इसको पोपुलराइज करे उसके साथ साथ जनता को इसमें भाग लेना चाहिये, जनता को भी इसमें अपने आपको समाविष्ट करना चाहिये। मैं इससे डिसएग्री नहीं करता। जो कुछ भी सुझाव मैंने उपयुक्त समझे सदन के सामने आप महानुभावों के सामने रखे। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मैं मानता हूं कि सिर्फ कानून पास कर देने से ही जो चीज हम करना चाहते हैं, वह नहीं होती है। किसी भी कानून को पास करने से पहले उसके लिये पब्लिक ओपीनियन क्रीएट करनी चाहिये। इसके बिना कानून बना देना काफी नहीं है, क्योंकि आज हम देखते हैं कानून बना दिये जाते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेन्ट करने का पूरा इन्तजाम नहीं रहता और कानून कागजों में ही धरा रह जाता है।

यह जो बिल है उसमें कुछ प्रोविजन्स ऐसे हैं जो लोगों के रिलीजियस सेन्टीमेन्ट्स को भी इफेक्ट करते हैं। खास करके क्लॉज १७ जिसमें पब्लिक ऑक्शन से बचने का इन्तजाम रक्खा है, इस तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह इसमें इम्प्लाइड है कि यह जो ऑक्शन होगा वह उस सांड़ को जिन्दा रखने के लिये नहीं, पर दूसरे पर्पज़ के लिये होगा। क्योंकि सांड को जिन्दा रखने के लिये केस्ट्रेट करने का कानून बना दिया और दुबारा कानून में प्रोविजन रखते हैं कि या तो वह ओनर सांड को केस्ट्रेट करेगा और अगर नहीं करेगा तो बेच देगा या पिंजरा पोल में भेज देगा। तो यह जो बिक्री करने का प्रोविजन है वह किस पर्पज़ से होगा, किसी उद्देश्य को लिये हुए होगा, वह इम्प्लाइड है और यह लोगों के सेन्टीमेन्ट्स को असर कर सकता है।

(श्री पी० के० चौधरी)

दूसरी बात, जब कानून बना देते हैं कि लाइवस्टाक के इम्प्रूवमेन्ट के लिये अच्छे सांड पेडिग्री बुल का इस्तेमाल किया जावेगा। पर मैं पूछता हूँ कि क्या सरकार के पास इतना इन्तजाम है कि वह तमाम जगह पेडिग्री बुल सप्लाई कर सके ? कानून तो हमने बना दिया पास भी कर दिया और अगर इसको बराबर फोर्स किया तो क्या होगा ? सांडों की कमी पड़ जावेगी। एक तरफ तो आप पेडिग्री बुल सप्लाई नहीं कर पावेंगे और दूसरी तरफ से सांडों की कमी गांवों में पड़ती है तो उसको गांवों वाले किसी तरह से पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आप इस कानून से रोकते हैं। हमने देखा है कि कानून बन जाने पर सरकारी मशीनरी उस पर पूरी तरह अमल नहीं करती, पेडिग्री बुल को पापुलेराइज करने की जरूरत सरकार नहीं समझती। लोग चाहते हैं कि अच्छे सांड मिलें, पर जब नहीं मिलते हैं तो जो नॉन पेडिग्री बुल हैं, उनसे काम चलाते हैं। तो मेरी तो यह मान्यता है कि कानून बना देना काफी नहीं है। कानून से जो बातें और जो जरूरतें पैदा होती हैं, उनको पूरा करने का पहले इन्तजाम हमें करना चाहिये।

हमने अपने प्लान में पांच लाख रुपया तो काफ डिस्ट्रिब्युशन के लिये रक्खा है पांच साल के लिये और पांच लाख बुल-प्रीमियम का रक्खा है। यह दस लाख रुपया सारे प्लान में रक्खा है, जिसमें से एक-आध लाख रुपया काफ डिस्ट्रिब्युशन में और एक-आध लाख रुपया बुल-प्रीमियम में दिया है। बाकी पैसा ऐसे का ऐसा पड़ा है। पर सबका सब रुपया भी खर्च कर देंगे तो भी हमारे इस प्रदेश में जो पेडिग्री बुल की नीड है उसको हम पूरा नहीं कर पावेंगे। तो एक तरफ तो देखते हैं कि यह जो आज कास्टिरेशन को इम्प्लीमेन्ट करने का काम है उसे हम पूरा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो इससे नीड क्रीएट होती है, उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो फिर ऐसे कानून बनाने से फायदा क्या है ? इससे तो उल्टा लोगों में असन्तोष पैदा होगा। कुछ अव्यवस्था देश में फैलेगी।

दूसरी बात,....

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री): केवल अव्यवस्था फैलेगी, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। इससे क्या नुकसान होगा, स्पेसिफिक तौर से कह सकें तो मैं जवाब ठीक तौर से दे सकूंगा।

श्री पी. के. चौधरी : (जारी) मैंने साफ तो कहा है कि एक तरफ आप कानून बनाते हैं, दूसरी तरफ इससे जो नीड लोगों में होगी, उसको पूरा करने का इन्तजाम आप नहीं करते। अपनी नीड को किसी तरह से गांव वाले पूरा करते हैं तो वह भी आप उनको नहीं करने देते तो इससे असन्तोष और अव्यवस्था नहीं पैदा होगी तो क्या होगा ? इसको भी आप नहीं समझें तो कैसे समझाऊं ?

श्री सभापति : आप जारी रक्खें।

श्री नाथूराम मिर्धा : डिस्कन्टेन्टमेन्ट किस बात से होगा, अव्यवस्था किस काम से फैलेगी, यह स्पष्ट बताएं।

श्री पी. के. चौधरी : डिस्कन्टेन्टमेन्ट इस बात के लिये होगा कि आप पेडिग्री बुल की बात कहते हैं और इसका काम किसी तरह से गांव वाले चलाते हैं तो उनको आप रोकते हैं और दूसरी तरफ आप इन्तजाम नहीं करते हैं तो डिस्कन्टेन्टमेन्ट तो होगा ही। पेडिग्री बुल नहीं हैं तो क्या लोगों में असन्तोष

(श्री पी० के० चौधरी)

नहीं होगा ? अब समझ में आई आपके बात ? If there is a gap between the supply of pedigree bulls and the demand of the pedigree bulls, there will be discontentment;

यह तो लोजिकल कन्क्लूज़न है ।

दूसरी बात, जो पेडिग्री बुल है वह इन्ट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं । कुछ रिपोर्टें ऐसी भी आती हैं कि हमारे गाँवों में आज भी जो गायें हैं, not all cows are able to feed all the pedigree bulls.

कुछ पेडिग्री बुल ऐसे होते हैं, जिनको गाय पास नहीं पर पाती है । इसकी शिकायत भी आती है । तो कानून बनाने के साथ साथ बहुत से प्रोब्लम्स भी हमारे सामने आते हैं, उनको भी मीट करना है ।

आगे बात, जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि यह कास्टिरेशन का जिम्मा ओनर्स पर नहीं देना चाहिये । आपने प्रोविजन किया है कि नोटिस देने के बाद ओनर कास्टिरेशन नहीं कराता है तो गवर्नमेंट का ऑफिसर जाकर करायेगा । पर ऐसा करने से पहले वह उस पर फाइन भी करेगा और वह फाइन भी क्या है २५) रक्खा है । तो...

श्री गिरधारीलाल : ओन ए पोइन्ट आफ इन्फॉर्मेशन, सर, माननीय सभापति, कोरम नहीं है ।

(गण-पूरक घंटी के पश्चात्)

श्री पी. के. चौधरी : (जारी) तो दूसरी बात जो कह रहा था वह यह है कि केस्ट्रेशन का भार ओनर्स पर रख दिया गया है । लेकिन मैं मानता हूं कि अगर लाइव स्टॉक के इम्प्रूवमेन्ट को इफेक्टिव बनाना है तो जो नॉन स्टेन्डर्ड बुल्स हैं जिनका केस्ट्रेशन करना चाहिये तो इसका बोझा लाइव स्टॉक ऑफिसर पर होना चाहिये । फाइन करने के प्रोविजन को हटा दिया जाना चाहिये । अगर ओनर खुद नहीं करता है तो गवर्नमेन्ट की तरफ से, लाइव स्टॉक ऑफिसर की तरफ से करा दिया जाना चाहिये ।

दूसरी बात रक्खी है केस्ट्रेशन स्पेसिफाइड मैनर से करानी चाहिये, कोई इन्डिविज्युअल अगर कराता है तो मैं नहीं समझता कि यह स्पेसिफाइड मेनर क्या है ? मैं मानता हूँ कि जो विलेजर्स केस्ट्रेशन का काम करते हैं, वे आज की गवर्नमेन्ट के जो नये तरीके करने के हैं, उस तरह के साधन या ज्ञान नहीं रखते । वे साधन और ज्ञान उनके पास उपलब्ध नहीं हैं । इसलिये it should be entirely the State responsibility.

सिर्फ नोटिस देने का इन्तजाम करना चाहिये ओनर को और फिर अगर वह नहीं कराता है तो लाइव स्टॉक ऑफिसर स्वयं कराए, unless the owners have any objection.

यह प्रोविजन रहना चाहिये । इसमें जो यह उल्टा फाइन करने का प्रोविजन रक्खा है, वह नहीं रहना चाहिये । नोटिस देने के बाद वह नहीं करते हैं तो फिर आपने प्रोविज़न रखा है कि उसको आप फाइन कर देंगे २५ रुपये और उसके बाद में लाइव स्टॉक ऑफिसर खुद-ब-खुद उसको केस्टरेट कर देगा । तो मैं पूछता हूँ कि बीच में यह हेरेसमेन्ट क्यों रखते हैं ? आखिर में जब आपने फैसला कर लिया इस कानून को पास कर के कि नॉन स्टेन्डर्ड जितने भी

Page No.82

(श्री पी० के० चौधरी)

बुल्स हैं सब को आप केस्टरेट करेंगे तो फिर आप फाइन करने का प्रोविज़न क्यों रखते हैं ? क्योंकि इसमें लिखा है कि नोटिस देने के बाद आप फाइन कर देंगे । फिर लाइव स्टॉक ऑफिसर खुद जा करके केस्टरेट करेगा । तो अब मैं आपको यह सुझाव दूंगा कि आप जो भी कानून बनायें वह जितना सिम्पल बना सकें और जितना कम कॉम्प्लीकेटेड बनायें, उतना ही अच्छा है । इसलिए आप फाइन का प्रोविज़न तो बिलकुल ही उड़ा दीजिये । सिर्फ नोटिस का ही प्रोविज़न रखें । जिससे ओनर है वह नोटिस के जवाब में कोई ऑब्जेक्शन करे बुल्स के केस्ट्रेशन में तो उसके ऑब्जेक्शन को भी आप सुनिये । उसके ऑब्जेक्शन से आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप उसको केस्टरेट मत करिये, नहीं तो कर दीजिए । नहीं तो इस बिल से आपकी इन्टेन्शन साफ जाहिर होती है कि नोटिस देने के बाद आप केस्टरेट जरूर करेंगे, लेकिन जुर्माना करके । तो मैं कहूंगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है । आपकी स्टेट एक वैलफेयर स्टेट है, लोगों पर जुर्माना करना आपका पेशा नहीं है और न आपकी इन्टेन्शन ही है कि किसी को सजा दें । इसमें प्रोविज़न तो इतना ही होना चाहिये कि जैसे आप एपेडेमिक का इन्जेक्शन देते हैं तो उसको नोटिस देकर कि क्यों आपको इन्जेक्शन नहीं लगा और दूसरा आपका तरीका यह है कि जो डॉक्टर से इन्जेक्शन नहीं मिला, उस पर भी आप जुर्माना करते हैं । फाइन करने का प्रोविज़न अवश्य होना चाहिए, जो आपका लाइव स्टॉक ऑफिसर नोटिस के बाद केस्टरेट करने के लिए जाता है, उसको कोई रेसिस्ट करता है तो उसको फाइन होना चाहिए । लेकिन जिन्होंने केस्टरेट नहीं कराया, उन पर आप जुर्माना करें और उसके बाद में लाइव स्टॉक ऑफिसर जाकर के केस्टरेट करता है तो यह ठीक नहीं है ।

दूसरी बात जो क्लॉज १९ में है वह भी एक पीनल क्लॉज है, who resist the casteration. यानि उसमें भी आपने एक प्रोविज़न रख दिया कि किसी ने कोई सांड को केस्टरेट किया, "whoever casterates a bull in contravention of the provisions of Section 12 shall be punished with fine." यानि जिस तरीके से आपने केस्टरेट किया, उस तरीके को आपने जो प्रेस्काइब किया ऐसा नहीं करके किसी दूसरे तरीके से कर लेते हैं, आपने उसके ऊपर सजा फरमा दी । मैं कहता हूँ कि जो मेरा सुझाव है उसके माफिक सिलेक्ट कमेटी में इसको भेज कर, if you recast the whole legislation. it will be more simple. यह जो प्रोविज़न रखा है इसकी जरूरत नहीं है । बस इतना ही कह कर मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, अभी जो बिल हमारे सामने है उसको मैंने पढ़ा और मालूम हुआ कि जिस पर हम लोग बहस कर रहे हैं और उसमें जितनी बातों का प्रोविज़न मैंने देखा और इसका मैंने क्लॉज़ २६ भी पढ़ा तो यह मालूम हुआ कि जो इस बिल के बनाने वाले थे, जो लेजिस्लेशन के बनाने वाले थे और जिन्होंने इसे पेश किया है इसमें सारी की सारी बातें रूल्स पर डिपेन्ड करतीं हैं, आप इसके किसी भी क्लॉज़ को इन्डिपेन्डेन्टली पढ़ लें तो आपको यही मालूम होगा । प्रेस्काइब्ड कन्डीशन्स, टर्म्स एण्ड अदर थिंग्स को मैंने पढ़ा तो मुझे तो ऐसा हुआ कि सिर्फ एक ही

Page No.83

(श्री मूलचन्द डागा)

बात सामने रखकर लेजिस्लेशन बनाया गया है। इसका मैंने क्लॉज़ २६ पढ़ा तो there are prescribed certain conditions terms and other things.

Under clause 4, prescribing the powers and duties to be exercised and performed by a Live-stock Officer and the assignment of such powers or duties.

Under section 5, prescribing the age of a bull after which it shall not be kept without a licence.

Under Sec. 6, precribing the form of, the manner in which, the terms, conditions and restrictions on which a licence shall be granted, transferred or renewed.

Under Section 7, prescribing the conditions subject to which a licence may be revoked.

Under Section 7 and 11 prescribing the manner in which notice shall be served.

तो मुझे तो ऐसा मालूम हुआ कि अगर इस तरह का लेजिस्लेशन रखा जाये जिसके तहत सारे के सारे नियम बनाये जायेंगे। मैंने इसके कई सेक्शन्स पढ़े तो पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि लेजिस्लेशन के बनाने वालों के दिमाग में सिर्फ यह बात थी कि अच्छे सांड होने चाहिये, जिससे अच्छी नस्ल हो सके। इसके सिवाय उनके दिमाग में कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद में आगे क्या टर्म्स और कन्डीशन्स हैं, उसके लिए वे चुप हैं। तो यह मालूम हुआ कि जिस समय यह बिल पेश किया गया तो किसी ने यह गौर नहीं किया कि राजस्थान की जो जमीन है, राजस्थान जो हमारा स्टेट है, उसमें कितने अनपढ़े-लिखे लोग हैं और किस प्रकार का उनका धन्धा है। हमारे यहां कई लोग तो ऐसे हैं कि जो अपने पास अच्छे बैल रखते हैं और अपना एक सांड भी रखते हैं और हर एक आदमी कई सौ गायें रखता है। अब आप कहते हैं कि लाइव स्टॉक ऑफीसर है वह बड़ा एक्सपर्ट है। मैं कहता हूँ कि एक्सपर्ट की सारी ओपीनियन सही नहीं मानी जा सकती। लाइव स्टॉक ऑफीसर कहीं सही होता है तो कहीं गलती पर भी। मैं कहता हूँ कि एक आदमी जिसने अनुभव किया है उसके बाप-दादे और बड़े काम करते आये हैं और वह कहता है कि इस बैल की नस्ल अच्छी होगी और उधर आपका एक एक्सपर्ट जो बी० ए० पढ़ कर आया है वह फील्ड पर खड़े होकर कहता है, इसमें यह कमी है, तो मैं कहता हूँ कि वह जानता नहीं है इसलिए ही एविडेन्स एक्ट की धारा ४५ के अन्दर एक्सपर्ट ओपीनियन के लिये माना है कि उनको नहीं मानना चाहिये। जो आदमी रोज काम करता है, जो आदमी रोज डील करता है, वह ज्यादा एक्सपर्ट है बनिस्बत उन डिग्री वालों के जो पढ़ कर सीधे आते हैं। आपने जो 'लाइव स्टॉक ऑफीसर' वर्ड लिखा है क्या इसको किसी आई० सी० एस० ऑफीसर ने गढ़ दिया होगा। कई बार ऐसा होता है कि कई डॉक्टर किसी डिजीज को नहीं समझ पाते हैं और दूसरे लोग जानते हैं। इसी तरह जो गाय रखने वाले हैं वे जानते हैं कि इसकी नस्ल कैसी होगी।

तो यह जो आपने क्लॉज रहा है लाइव स्टॉक ऑफिसर के लिए तो मैं आपको नम्रतापूर्वक अर्ज करूं कि आपका यह

(श्री मूलचन्द डागा)

क्लॉज राजस्थान के अन्दर, जहाँ गाँवों के अन्दर जो बहुत से लोगों की जिन्दगी इस पर डिपेन्ड करती है और जो अपना जीवन सारे का सारा इन कामों में व्यतीत करते हैं, वे खुद जानते हैं कि कैसा बैल रखना है, किस नस्ल का सांड रखना चाहिये। जब आपने कानून बना दिया तो यह कानून डिफेक्टिव माना जाता है क्योंकि सारा कानून बना दिया है और कुछ मालूम नहीं होता है। रूल्स बनाये जायेंगे उसके तहत तो वे रूल्स बनाने वाले कौन होंगे ? रूल्स बनाये जायेंगे तो रूल्स में क्या है ? मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। मंत्री महोदय एग्री करेंगे कि इस प्रकार के लेजिस्लेशन लाने का मतलब यह होता है कि अच्छा कानून बनाया जायगा, अखबारों में दिया जायगा। आपका केवल मतलब यह है कि राजस्थान सरकार ने बड़े बड़े कानून बनाये हैं, नस्ल सुधारने के कानून बनाये हैं। आपका प्रचार हो कि राजस्थान सरकार ने ऐसे ऐसे कानून बनाये हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह का लेजिस्लेशन बनाना लाभप्रद नहीं होगा; मैं सेक्शन ५ को पढ़ता हूँ :

"No person shall keep a bull which has attained the prescribed age except under and in accordance with the terms, conditions and restrictions of a licence granted under section 6."

जब क्या एज है ? खत्म हो गया। प्रेस्क्राइब्ड एज के लिए रूल्स बाद में बनते रहेंगे। कौन बनायेगा यह पता नहीं। आज जिस चीज की जरूरत है वह खत्म है। मतलब क्लॉज ५ जो है वह पूरा नहीं है, अधूरा है। क्लॉज ५ (ए) को पढ़ें :

"Permission necessary for letting loose or dedicating the bull—

No person shall let loose or dedicate the bull except under and in accordance with the terms, conditions and restrictions of a permission granted in writing for the purpose by the Livestock Officer for the area... सारा एबसेन्ट है what are those conditions, what are those terms ?

कुछ भी मालूम नहीं है और बिल को पास कर रहे हैं। यह कहते हैं कि हाउस से आज ही पास होना चाहिए, आज ही पारित किया जायगा। terms, conditions and restrictions of a permission granted in writing for the purpose by the Live stock Officer the area in which thebull is so let loose, कन्डीशन्स क्या रखेगा ? यह हमें कोई मालूम नहीं है और हम एक बिल को पास कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं है कि क्या कन्डीशन्स हैं ? जो जरूरी चीज है, वह गायब हैं और जो बिना जरूरत की चीजें हैं वे मौजूद हैं अब उस आदमी से एक तरफ कहते हैं, यह बिल्कुल इसकी विरोधाभास चीजें हैं आपके पास में। एक तरफ आप कहते हैं कि हम नस्ल सुधारने के लिए ऐसे सांड़ों को जिन्हें धर्म के नाम पर या किसी ठाकुर के नाम पर छोड़ देते हैं, नहीं चाहते हैं। तो साफ कहें। एक तरफ कहते हैं उसके लिए कुछ कन्डीशन्स हैं, यानी दो बातें कहते हैं। किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुँचे। दूसरी तरफ आप यह भी चाहते हैं कि आर्थिक दृष्टि से पशुधन में सुधार हो। उसके लिए कानून बनाना चाहिए। दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती हैं। कोई ठाकुरजी का बैल है तो आपकी वहां पर प्रेस्क्राइब्ड टर्म्स और कन्डीशन्स-

(श्री मूलचन्द डागा)

क्या होंगी, यह एब्सेन्ट है। बिल पर बहस कर रहें। हम कह रहे हैं कि पारित किया जाय। मैं समझता हूँ कि ऐसे बिल को पास करने से पहले एक बार नहीं, दो बार सोचना चाहिए गहरा बैठ कर। राजस्थान की भूमि में. जहां सांड़ों को रखते हैं वे खुद जानते हैं। हमारे लाइव स्टॉक ऑफिसर ऐसा क्या काम करते हैं? हमारे यहां काम होता है कि जो हिन्दू धर्म के नाम पर अन्धविश्वास रखते हैं और बैल छोड़ते हैं तो म्युनिसिपल कमेटी, पंचायतें, धर्मपुरे या देवस्थान को बता दें। कानून साफ हो। जहां पर पंचायतों में या म्युनिसिपल कमेटी के एरिया में ऐसे सांड घूमते हैं; जैसे कि आपने कई अड्डे उठा दिये हैं रामगंज वगैरह के।

(हंसी)

उसी तरह से जिनकी तन्दुरुस्ती खराब हो, बीमार हों, उनको पिंजरापोल या देवस्थान में भेज दें।

आगे आपने क्या लिखा है : "No person shall let loose or dedicate the bull except..."

"एक्सेप्ट" क्यों मालूम हुआ? आपको डर है कि लोगों में हुल्लड़ हो जायगा, लोग कहेंगे कि राजस्थान गवर्नमेन्ट धर्म का अतिक्रमण करने लगी है। इसलिए "एक्सेप्ट" लगाया गया, क्योंकि गवर्नमेन्ट यह जानती है कि पब्लिक को खुश करना है तो काश्तकार क्या समझे कि सांड बेकार है। सांड पकड़ कर नहीं लाया जा सकता है, वह खड़ा किया जा सकता है। सांड पकड़ कर नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि वह बंधा नहीं होता है। आपने लिखा है कि लाइव स्टॉक ऑफिसर के सामने सांड पकड़ कर लाया जायगा। लाइव स्टॉक ऑफिसर के सामने सांड आयेगा तो उनके टोप वगैरह को देखकर भड़केगा तो उनका भी टोप कहीं जायगा।

(हंसी)

सांड को पकड़ कर लाने की कौन कोशिश करेगा? सांड को डोरी से बांध कर लाया जाय, यह असम्भव सी बात है, लेकिन आप कहते हैं कि :—

"except under and in accordance with the terms, conditions and restrictions of a permission granted in writing by the Live Stock Officer."

All these things are absurd.

अब उस बिल को पास कर रहे हैं। किस आधार पर आप धर्म के नाम पर छोड़े हुए बैलों को या सांडों को मुक्त कर सकते हैं? वे आधार इसमें नहीं मिल सकते हैं, तो फिर क्या है इसमें? वे तो सूरज के सांड कहलाते हैं। उनको तो भगवान् के भरोसे पर छोड़ा जाता है।

अब जो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई रूल्स प्रेस्क्राइब नहीं किये हैं, वे अलग से प्रेस्क्राइब होंगे। फिर मैं आगे पढ़ता हूँ :—"Whoever in contravention of this Act or any rule or order made under this Act or of any term, condition or restriction of a licence keeps a bull shall be punishable with fine. And in Clause 13 (a) within a reasonable time, on demand made by a Livestock Officer or any officer authorised by general or special order by the State Govern-

(श्री मूलचन्द डागा)

ment. फिर आपका यह क्लॉज है : "By general or special order by the State Government..." इसको डेफिनिट करना पड़ेगा। फिर आगे भी डेफिनिट नहीं है लेजिस्लेशन में That form is absurd, 'by general or special order in such form' that is absurd.—"For such period"—what period...... कोई डेफिनिट चीज नहीं है। किसी क्लॉज में कोई डेफिनिट चीज नहीं है। फिर आगे "For such period and subject to such terms, conditions and restrictions as may be prescribed..."

अब चलिये; हम पारित करने जा रहे हैं कानून और हर क्लॉज़ को पढ़ा जाय तो उसमें "प्रेस्क्राइब्ड"। तो राजस्थान सरकार जो लेजिस्लेशन निकालती है या जो निकालने वाली है, जिनकी लिस्ट पढ़ी है सेक्रेटरी साहब ने, उससे मालूम नहीं होता है कि क्या करना चाहते हैं, कन्डीशन्स रखना चाहते हैं तो क्या कन्डीशन्स हैं ?

अब आप आगे चलिये। क्लॉज ७ है उसमें है "Subject to the rule" आप कोई भी क्लॉज पढ़िये, "Subject to the rules, the Live Stock Officer, authorised to grant the licence may refuse to grant ot may revoke a licence, if in his opinion the bull appears to be of a defective or inferior conformation and likely to beget defective or inferior progeny" etc."

तो फिर इसमें "Permanently affected with any contagious disease" है। आगे "The Livestock Offcer may also revoke a licence..." आपने पहले भी एक दफा कहा है "ओपीनियन", तो फिर "ओपिनियन" किसकी मानी जाय? लाइव स्टॉक ऑफिसर कहे कि यह सांड ठीक है और दूसरा कहता है कि नहीं, यह गलत है। दोनों तरह की ओपीनियन हो सकती है। आप आगे कहते हैं कि रिविजन कर सकते हैं और रिविजन के पॉवर्स दिये हैं। अगर मान लिया जाय कि एक लाइव स्टॉक ऑफिसर कहता कि सांड काम का नहीं है। तो नोटिस सर्व करेगा और नोटिस सर्व करने के बाद रिविजन करेगा। रिविजन करेगा स्टेट गवर्नमेन्ट के पास। एक किसान मन्डावर का एक बैल चाहता है और लाइव स्टॉक ऑफिसर कहता है कि खराब है, तो फिर वह अपील लेकर जाता है, रिविजन, निगरानी लेकर काश्तकार कहां जायगा ? बहुत अच्छा सांड हैं या बैल है, इसकी जांच जितनी काश्तकार कर सकता है, उतनी आपका एक्स्पर्ट ओपीनियन देने वाला नहीं कर सकता है।

(४ म० प०)

यह आप मान लीजिये कई बार इस बात की जांच हो चुकी है। लॉ के अन्दर या कानून के अन्दर जितने एक्सपर्टस होते हैं उनकी ओपीनियन हर वक्त नई नहीं होती। एक्सपर्टस क्या करते हैं कि कुछ इस बिल में से लेते हैं, कुछ उसमें से लेते हैं और तैयार कर देते हैं। आप एक्सपर्टस पर रिलाई करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट टू दी रूल्स जब तक आपके सामने रूल्स नहीं हैं तो क्लॉज ७ को जिस प्रकार से रखना चाहते हैं वह किसी काम का नहीं। इससे यह बात होगी कि थोड़े दिनों तक कोई बैल काम आ गया उसके बाद यह बता दिया जायगा कि यह अब काम का नहीं है। यदि ऑफिसर को दूध नहीं मिला तो वह कह देगा कि इसको डिजीज है, क्या डिजीज है इसको हरेक आदमी

(श्री मूलचन्द डागा)

समझ नहीं सकेगा। जो रूल्स और रेगुलेशन्स लाने चाहिये, वे नहीं हैं। फिर आप इसमें पढ़ेंगे—"subject to the rules, the live-stock officer authorised to grant the licence may refuse orgrant a licence.' Then we go to Section 9, "A licence granted in respect of a bull shall remain in force until the period specified therein expires, or it is revoked under this Act or the bull dies or is casterated in the prescribed manner". अब आगे सारा का सारा इन्डेफिनेट है। दि पीरियड स्पेसिफाइड देअरइन, आपको यह भी मालूम नहीं कि लाइसेन्स कितने साल तक रह सकता है। एक सांड के लिए २० साल का लाइसेन्स होगा और दूसरे के लिए १० साल का या कम का, तो आपके पास पीरियड फिक्स्ड नहीं है। There is no fixed period here in. It should be specified.

जो कन्डीशन्स ले डाउन की हैं, क्लॉज ७ में आप कहते हैं रिवोक्ड, उसका डेफिनिट टाइम लिमिट नहीं किया, इसलिये ऐसा लिखना बेकार है। आपने आज लाइसेन्स लिया और कल सांड बिगड़ गया तो कल लाइसेन्स कैन्सिल हो गया। थोड़े दिनों बाद दवाई आदि के कारण वह ठीक हो गया, इन्जेक्शन आदि लगाने के बाद ठीक हो गया तो उसके लिए भी प्रोविज़न यह है वह फिर से लाइसेन्स ले।

अब इसके बाद १४ ए. है, इसमें भी....

श्री सभापति : सारे बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेंगे क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : क्लॉज बाई क्लॉज पर विचार कर लेना ठीक रहेगा।

श्री श्रीभानसिंह : The Honourable member is referring to the vagueness of the clauses, Sir.

श्री मूलचन्द डागा : (जारी) १४ ए. को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है :

"whoever let loose or dedicate a bull in..."

prescribed conditions and restrictions who ever let loose वे हैं ही नहीं और १४ (ए) को लागू कर रहे हैं।

Whoever let loose or dedicate a bull in contravention of provisions of Section 5 (A) or any of term, condition or restriction of a permissin granted thereunder..."

इसका मतलब यह हुआ कि हरेक को लाइसेन्स मिलेगा। जिसके पास बैल होगा, उसका अलग अलग लाइसेन्स होगा और उनमें से किसी की कंडीशन २ साल की, तो किसी की ४ साल की और किसी की ६ साल की होती है। अलग अलग लाइसेन्स की अलग अलग कंडीशन होती है, क्योंकि आपके रूल्स ऐसे ही बने हैं। यदि अजमेर का सांड है और गाय भी अजमेर की है तो वह सांड उसके लिये ठीक हो सकता है लेकिन और जगह की गाय है तो मुमकिन है, वह ठीक न हो।

"Until it is menifestly observed..."

५ ए. में आपकी कंडीशन है वह यदि क्लीयर नहीं है तो आपकी धारा १४ (ए) भी बेकार है, क्योंकि जो लाइसेन्स आप देना चाहते हैं उसकी कुछ कंडीशन आपके सामने

(श्री मूलचन्द डागा)

नहीं है, तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह बेकार है। आपने रिविज़न का भी प्रोविजन रखा है। मैंने रिविजन का प्रोविजन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पढ़ा था, इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें आप रिविजन का प्रोविजन रख रहे हैं। रिविजन का प्रोविजन वहां किया जाता है, जहां बहुत बड़ा डिफेक्ट हो। यहां तो लाइव स्टॉक ऑफिसर जो कुछ भी कहेगा वह सही है :

"The State Government. or an authority specified by it in this behalf"

लाइवस्टॉक ऑफिसर कैसे गलत लिखेगा, आपने लिखा है शब्द "रिवीजन" अब तो स्टेट गवर्नमेन्ट के पास काम यही रह गया है वह बैल देखा करे। "The State Government or an authority specified by it in this behalf may call for and examine the record of any order or the proceedings of any Live Stock Officer for the purpose of satisfying itself.." रेकॉर्ड आयेगा। रेकॉर्ड क्या बैल आयेंगे ? "as to the legality and propriety of any order passed and as to the regularity of the proceedings of such officer." वर्ड्स वहां पर बिल्कुल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के उटाकर रख दिये हैं। What is legality; it is outright rejected. रिविजन तब होता है जबकि गंभीर गलती हो, तभी रिविजन हो सकता है। ऑफिसर ऑर्डर दे देगा कि इसमें ये ये कमियां हैं। इसमें कोई टेक्निकल ऑब्जेक्शन नहीं चल सकता।

इसमें आपने वर्ड्स लिखे हैं" legality and propriety of any order" क्योंकि आप किसी और बात को नहीं मानते, आप रिविजन पर हैं तो रिविजन तभी होगा, जब ऐसी बातें हों। जिसको टीक बताना है उसके लिये दूसरे एक्सपर्ट को लाना होगा, आप उसकी बात मानें, न मानें लेकिन जब एक एक्सपर्ट दूसरे एक्सपर्ट की बात को कांट्राडिक्ट करे तो मैं अर्ज करूंगा कि यह ठीक नहीं है। इन बातों को देखते हुए हम यह नहीं मान सकते कि यह किसी भी तरह से प्रगतिशील बिल है। हम यह मानते हैं कि पशुधन का सुधार होना चाहिये। इसमें लिखा है कि दूसरे स्टेट्स में ऐसा बिल पास किया गया है, इसलिये हमारे राजस्थान में भी पास होना चाहिये। यह हम मानते हैं कि हमारे राजस्थान में तो कोई नया बिल बनता नहीं है। कभी यू० पी० का बिल मंगा लेते हैं तो कभी बम्बई का मंगा लेते हैं और सेक्रेटरी साहब कुछ इसमें से और कुछ उसमें से लेकर हमारे यहाँ भी बिल तैयार कर देते हैं। जो रूल्स बनाने जरूरी थे उनको एक्ट में लाते तो हम भी विचार करते अन्यथा मैं सभी से और मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बिल को वापिस सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय और इस पर फिर से विचार किया जाय, वरना लाइसेन्स लेने की बीमारी फैलेगी। आपके पास ट्रेन्ड लाइव स्टॉक ऑफिसर्स भी नहीं हैं और जो हैं वे मामूली पढ़े-लिखे हैं, कुछ बीकानेर से पढ़ कर आये हैं, ऐसे ऑफिसर आकर लोगों पर धौंस जमायेंगे और नई बातें पैदा करेंगे।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : सभापति महोदय, आज हमारे सामने जो पशु सुधार विधेयक लाया गया है उसके बारे में मैं संक्षेप में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, हालांकि मंत्रीजी इसमें इन्ट्रेस्टेड नहीं हैं, इसलिये वे उठकर हाउस से जा रहे हैं.......

Page No.89

(श्री अनूपसिंह)

(श्री नाथूराम मिर्धा द्वारा इशारे से श्री धारीवाल को वहां बैठा हुआ बताने पर)

श्री अनूपसिंह : (जारी) इनसे भी काम चला लेंगे ।

अर्ज करने का मतलब यह है कि जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने फरमाया; इसे वापिस प्रवर समिति को भेजा जाय, यह उनका अच्छा सुझाव था । यदि वे इस बात को मान लेते तो इतनी देर में हम दूसरा काम कर लेते । अब जरूरी क्यों हुआ इसे प्रवर समिति को भेजना, इसके बारे में मैं कुछ उदाहरण पेश करता हूँ । टू स्टार्ट विद् यह है लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेन्ट बिल, पशुसुधार बिल । पशुओं में कौन से पशु लेते हैं पशुसुधार के लिए ? बहुत से पशु हैं जो लोग गाँवों में रखते हैं, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, ऊंट रखते हैं, भेड़ बकरी भी रखते हैं । किस पशु के लिए इस बिल में बात की जा रही है, यह साफ नहीं है । सिर्फ डेफिनिशन में आया है, काऊ । आगे जाकर सेक्शन २६ या २७ में कह दिया है कि इस बिल की जो अच्छी बातें हैं वे भैंस और पाडे पर भी लगा दी जायंगी, यह भैंस और पाडे की खुशकिस्मती है । कैमल, भेड़, बकरी आदि इसमें से बाहर निकाल दी गई हैं । लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट बिल को इस लिहाज से देखें तो काश्तकारों के पास में बहुत से जानवर होते हैं; ऊंट, गाय, बैल आदि सब होते हैं । लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट का मतलब यह है कि किसानों के जितने पशु हैं उनका सुधार किस तरह से किया जाय और इस सुधार में यह कानून कहां तक मदद कर सकता है, उसके लिए लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट बिल है । मैं जहां तक समझता हूँ इसमें सिर्फ काऊ है और किसी ने थोड़ी हिम्मत कर ली है और बफेलो बुल्स और बफेलो काउज को मिला दिया है, बफेलो को इसमें शामिल कर लिया गया है ।

आगे जाकर लाइव स्टॉक ऑफिसर के लिए बताया है कि लाइव स्टॉक ऑफिसर एनी ऑफिसर और एनी पर्सन हो सकता है । एनी पर्सन का मायना यह हुआ कि रास्ता चलते किसी व्यक्ति को ऑफिसर मान लिया जाय, चाहे वह लाइव स्टॉक ऑफिसर बनने के लायक हो या नहीं । कोई भी गवर्नमेंट एड्वाइज़र हो सकता है, चाहे वह जाने कुछ नहीं । जैसे कोई भी आदमी एग्रीकल्चर एक्स्टेन्शन ऑफिसर हो सकता है जो यह कहे कि कि आम के पेड़ में तेल दिया जाना चाहिए क्यों दिया जाना चाहिए ? इसलिए दिया जाना चाहिए कि इससे चिकनाई आ जाती है । आम के पेड़ में तेल देने से फल में चिकनाई आ जाती है....

श्री श्रीभानसिंह : Was this an advise given by the latest appointed Officer ?

श्री अनूपसिंह : मैंने यहां पर्टीक्युलर नाम मेन्शन करने के लिए एतराज नहीं किया है । इस तरह का कोई रास्ते चलता आदमी किसी की विम पर आ जाता है तो उसको ले लेते हैं और उसे पॉवर्स दे दी जाती हैं । किसी आदमी को गवर्नमेंट समझ ले कि यह लाइव स्टॉक ऑफिसर बनने के लायक है, वह लाइव स्टॉक आफिसर बन जाता है । मैं किसी आदमी के लिए नहीं कहूँगा लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति लाइव स्टॉक ऑफिसर है तो आप समझ लें कि देहात में जो बैठे हैं, उनके दुर्दिन आ गये हैं । जो आदमी कुछ समझता नहीं है, जिसके पास वेटरनरी की कोई डिग्री नहीं

Page No.90

(श्री अनूपसिंह)

है, जो सर्टिफाइड आदमी नहीं है, टेक्निकल डिग्री नहीं रखता है, कैसे मान लें कि वह आदमी लाइव स्टॉक ऑफिसर बनने के लायक है। लाइव स्टॉक ऑफिसर वह व्यक्ति बन सकता है जिसके पास एक्सपीरियेन्स प्लस टेक्निकल डिग्री हो, डिप्लोमा हो, उस आदमी के लिए माना जा सकता है कि वह आदमी काम का हो सकता है। यदि कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेकर आया है तो माना जा सकता है कुछ काम कर सकता है। सिर्फ विम के ऊपर किसी को लाइव स्टॉक ऑफिसर बना दें, तो लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट में सिर्फ सोचने की बात रह जायगी।

पहले यह था, शायद यह धर्म का विश्वास हो, जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि हमारे यहां सूरज सांड निकाल दिये जाते थे और वे अपनी मर्जी के माफिक फिरा करते थे, उन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता था, उनकी किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती थी। इस कानून के अनुसार अब वापिस सूरज सांड नहीं निकाल सकते, मैं समझता हूँ यह गलत होगा। ५'(ए) धारा में इसे वापिस ले लिया गया है, मैं समझता हूँ कि उसकी जरूरत क्या थी। आपके पास ऑलरेडी अच्छे बुल मिल सकते हैं। मान लीजिये, आपको आगे के लिए जरूरत न हो तो उसको रेस्ट्रिक्ट करें। अगर कोई सूरज सांड निकाले तो उसको लाइव स्टॉक ऑफिसर की पर्मिशन लेनी होगी। मैं समझता हूँ, इससे एतराज नहीं होना चाहिए।

आगे, सभापति महोदय, अगर किसी का लाइसेन्स रिवोक हो जाय तो उसको किसी तरह का कम्पेन्सेशन नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से यह मुझसे पहले साफ हो चुका है। मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह विम में किसी भले आदमी को रख लें जो काम नहीं जानता हो और वह कह दे कि वह बुल ब्रीडिंग के लायक है तो उसे बुल बना दिया जाय और अगर उसकी विम में आ जाय कि यह बुल लायक नहीं है और गलती कर दे तो उसका कम्पेन्सेशन कौन देगा? अगर खर्च हुआ है रखने वाले का तो उसे कम्पेन्सेशन क्यों न दिया जाय? अगर वह साल भर रखता है और फिर लाइव स्टॉक ऑफिसर गलती कर दे तो उसने जो साल भर तक खर्च उठाया वह खर्चा कौन दे? अगर यह रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाय तो no person shall be entitled for any compensation under it. तब आप समझिये कि उसकी गलती न होते हुए भी वह नुकसान क्यों ले? लाइव स्टॉक ऑफिसर का सिर्फ यह कह देना ठीक नहीं है कि हमारी गलती से हुआ है। उसको गवर्नमेंट को कम्पेन्सेशन देना चाहिए, क्योंकि उसकी गलती से यह हुआ है। अगर उस व्यक्ति की गलती हो तो वह कम्पेन्सेशन का हकदार नहीं होता है, लेकिन यदि गवर्नमेंट की गलती होती है तो उसको कम्पेन्सेशन देना, सभापति महोदय, नाजायज़ या गलत चीज़ नहीं होगी।

एक और रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं :

"no bull shall be castrated except in such manner as may be prescribed."

कुछ प्रेसक्राइब्ड मेनर के अलावा केस्ट्रेशन कर देते हैं। हमारे यहां पहले से केस्ट्रेशन होता आया है, बाप-दादों के वक्त से केस्ट्रेशन होता आया है। यह केस्ट्रेशन पुराने जानने वाले करते हैं। हमारी तरफ केस्ट्रेशन करने वाली एक कास्ट होती है, जो यह काम करती है, वे बड़े एक्सपर्ट हैंड

(श्री अनूपसिंह)

से करते हैं, उनको मालूम है कि केस्ट्रेशन किस तरह करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर देता है और जो लाइव स्टॉक ऑफिसर के पीछे हुआ हो और अगर मान लीजिये कि उसकी जरूरत नहीं हो और केस्ट्रेशन कर दिया हो, तो क्या गुनाह कर दिया। उसने सिर्फ इतना किया कि लाइव स्टॉक ऑफिसर से पूछा नहीं। वह लाइव स्टॉक ऑफिसर के पास जाता, उसकी पर्मिशन लेता, उनके हैड क्वार्टर पर कुछ समय खराब करता और फिर पर्मिशन लेकर आता और फिर जब लाइव स्टॉक ऑफिसर साहब पधारते तब केस्ट्रेशन का काम होता। इसके अलावा अगर कोई इस काम को समझने वाला आदमी, जो पहले से इस केस्ट्रेशन के काम को करता आया है, उसको जाकर कर देता है तो क्या नुकसान है? लेकिन इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि कोई आदमी केस्ट्रेशन नहीं कर सकता, इस पर मैं एतराज करता हूँ।

इस कानून में बहुत सी चीजें है, जिनको अगर देखा जाय और पूरी तरह कमेटी की रिपोर्ट को देखा जाय तो यह आवश्यकता मालूम होगी कि इसको प्रवर समिति को दुबारा भेजा जाय। मैं समझता हूं यह गलत चीज नहीं होगी। यह एक अच्छा सुझाव है जिसको मानना गलत नहीं है।

आगे एक और प्रश्न है कि अगर किसी जानवर को ऑक्शन करना है तो उसको तय करने वाला लाइव स्टॉक ऑफिसर होगा। जानवर का लाइवस्टॉक ऑफिसर के पहुँचने पर ऑक्शन होगा, उसके सिवाय ऑक्शन नहीं कर सकता। अगर किसी जानवर पर कोई पजेशन नहीं बताता है और वह इधर-उधर फिरता रहता है और उसका कोई मालिक या ओनर नहीं मिलता है तो पंचायत उसे केटल पौंड में रख कर उसे नियमानुसार ऑक्शन कर देती है तो इसके लिए लाइव ऑफिसर को रखने की क्या जरूरत थी? पहले यह पंचायत के अधिकार में था कि नियमानुसार नोटिस देकर उस जानवर का ऑक्शन कर देते थे जिसका ओनर नहीं होता था। अगर वहां कोई बिना ओनर का सांड चला जाय तो पंचायत जैसा अब तक करती आई है, वह कर देगी। उसमें लाइव स्टॉक ऑफिसर की क्या जरूरत है, वह महसूस नहीं होती। अगर इस बिल को दुबारा प्रवर समिति को दे देंगे और इसे प्रवर समिति के सम्मुख रखते हे तो शायद ये गलतियां किसी के ध्यान में नहीं आई हैं, वे ठीक हो सकती है, यह कोई लम्बी-चौड़ी बात तो नहीं है।

सब से बड़ी बात जो मुझे इसमें दिखी, सभापति महोदय, जिसके लिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि वाकई इसे प्रवर समिति को भेजा जाय, आपने इसमें लिखा है कि लाइव स्टॉक ऑफिसर सब कुछ कर सकता है। अगर कोई आदमी गलती कर देता है, अगर कोई आदमी बुल नहीं दिखाता है, लाइसेन्स नहीं बताता है, बुल को कास्टरेट कर देता है, इस तरह से गलती कर देता है, तो हर आदमी के ऊपर सजा का क्लॉज है। फिर अगर कोई लाइव स्टॉक ऑफिसर गलती कर देता है तो उसके लिए क्या? रिविजन रखा गया है वह तो बहुत लम्बा-चौड़ा प्रोसेस है। मेरा कोई जानवर, मेरा बैल ३ साल का नहीं था, स्टॉक ऑफिसर कहता है कि ३ वर्ष का हो गया और इस प्रकार की एक्सपर्ट ओपीनियन के चक्कर में वह कहता है कि काम नहीं आता, मैं कहता

(श्री अनूपसिंह)

हूं कि काम में आता है, उन्होंने केस्टरेट कर दिया, इसकी अपील रिविजन तक जाकर की जाय, यह नामुमकिन है। उस लाइव स्टॉक ऑफिसर का जो इमिजियेट ऑफिसर है उस ही को जाकर शिकायत करने का प्रोविजन रखना चाहिए। केस्टरेट कर दिया गया जब कि केस्टरेट नहीं किया जाना चाहिये था। एक्सपर्ट की इस गलती को दूर करने के लिए उसके इमिजियेट ऑफिसर के पास जाना चाहिये। लम्बी चौड़ी अपीलें लेने से क्या फायदा, मुकदमा तो चलाना नहीं है। स्टॉक ऑफिसर प्रेज्युडिस होकर या और रीज़न्स से आज-कल बहुत से रीज़न्स होते हैं, अगर किसी ने गलती कर दी है तो उसके बॉस को ही इसकी सुनवाई के पॉवर्स होने चाहिए।

इन सब बातों को देखकर मैं निवेदन करूंगा कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो मन्त्री महोदय को इसमें खास एतराज नहीं होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : माननीय चेअरमैन महोदय, जिस बिल के बारे में, जो प्रवर समिति से गुजर कर आया है, जब दूसरा प्रस्ताव सदन में आया कि इसे दुबारा प्रवर समिति में भेज दिया जाना चाहिये, इसके समर्थन में इस सदन के ४ सदस्यों ने अपने कुछ रीज़न्स पेश किये, उनको मैंने गौर से सुना है। उनमें से एक माननीय सदस्य ने अपनी दलील के साथ में हमारे पशुधन के बारे में नस्लसुधार की क्या योजना है, इसके कुछ आंकड़े भी पेश किये और वे आंकड़े हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में थे और उन्होंने यह भी बताने की कोशिश की कि यह हमारे राजस्थान की काफी बड़ी समस्या है। मैं स्वयं यह महसूस करता हूँ कि राजस्थान में पशुधन काफी है, जमीन है वह धीरे धीरे कम हो रही है। आदमियों की आबादी भी काफी बड़ी है, इसलिये जैसे अभी मर्दुमशुमारी जानवरों की हुई, मुझे भी महसूस होता है हमारे पास जानवर बहुत ज्यादा तादाद में हैं पर अच्छी नस्ल के, अच्छी किस्म के नहीं हैं।

अगर हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के रहने वाले किसानों के, जिनकी आमदनी का एक बड़ा जरिया पशुधन है, उसका सुधार होना चाहिये तो हमें इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा। इसकी ओर हम ध्यान देते हैं तो कानून की भी आवश्यकता पड़ती है, इस कानून को लागू करना जरूरी हो जाता है, अगर इस दिशा में सुधार करना चाहते हैं।

कानून की कुछ धाराओं की ओर भी इशारा किया गया, वे जो महसूस करते हैं कि खामियां हैं, इसके बारे में तो डिटेल में चर्चा इस कानून की एक एक धारा पर विचार करेंगे, उसी समय कहा जा सकता है। अभी मैं उन आर्ग्युमेंट्स में जाना पसन्द नहीं करूंगा।

यह कहा गया कि किसानों की बड़ी समस्या है, ऑफिसर्स धाराओं का दुरुपयोग कर सकते हैं। दुरुपयोग भी कानून की धाराओं का कभी नहीं होगा, यह नहीं कहा जा सकता। धाराएं लागू करना इसलिये जरूरी है, कि हमने बहुत दिन देख लिया कि पशुधन बढ़ा हैं, पर अच्छी नस्ल का पशुधन नहीं बढ़ा है। पशुधन गाय, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और दूसरी प्रकार के पशु हैं, उनकी नस्ल का सुधार अवश्य होना चाहिये, कन्ट्रोल और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ब्रीडिंग होना चाहिये । इसके लिए एनिमल हस्बेन्डरी विभाग सक्रिय होकर योजना के अनुसार कदम उठाना चाहता है । मैं यह नहीं कहता कि इस कानून के पास होते ही सारी समस्याओं का हल हो जायगा । जिन देशों ने अपने यहां के पशुधन को सुधारने में कदम उठाये हैं उनकी तरफ आंख उटाकर देखें तो महसूस होगा कि इसका एक लम्बा प्रोग्राम होता है । इस लम्बे प्रोग्राम से पशुधन को सुधारने में सालों लग जाते हैं । चाहे गायों, भैंसों, ऊंटों में हो जहां नस्ल का सुधार करना चाहते है, प्रिलिमिनरी काम करना पड़ता है कि कितनी प्रकार की नस्ल के जानवर उस इलाके में हैं, ताकि राजस्थान की इस कमी को पूरा किया जा सके । यह प्रिलिमिनरी काम राजस्थान में किया जा चुका है । ८ प्रकार की गायों की नस्ल राजस्थान में है । वह किन किन इलाकों में पाई जाती हैं, वे सब इलाके बांटे जा चुके हैं । इसी प्रकार भेड़ों की भी ८ प्रकार की नस्ल राजस्थान में है, किन किन इलाकों में किस किस नस्ल की भेड़े हैं, इसके अनुसार इलाके बांटे जा चुके हैं । इसी प्रकार ऊंटों की तीन नस्लें राजस्थान में हैं और इनमें से कौन कौन सी जाति किस इलाके में पाई जाती है, इसका भी विभाजन हो चुका है ।

अब सवाल आता है, इस नस्लसुधार के लिये सबसे इम्पोर्टेन्ट काम है, अच्छे नर पशुओं को, जो अच्छे जानवरों का ब्रीड कर सकें, उनको उन उन इलाकों में सप्लाई करें । अलग अलग नस्लों के लिये अलग अलग योजनाओं में प्रोवीजन है । गायों के लिये अच्छे से अच्छे सांड गांवों में सप्लाई करें, रद्दी सांडों को कम किया जाय। अच्छे सांडों को देने में तरजीह देने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रोविजन किया है, वह किया है । राजस्थान में अच्छे सांडों की कमी है उस कमी को हम एक दम पूरा कर पायेंगे, यह नहीं कह सकते । सिलेक्शन के लिए रद्दी प्रकार के सांडों को हटाना चाहिये और उनकी जगह अच्छे सांड लाने चाहिये । एक दम सभी इलाकों में एक साथ अच्छे सांड सप्लाई नहीं कर सकते । इसके लिये कई योजनायें रखी हैं । जैसे बछड़ों के लिये हम देखते हैं कि आगे जाकर वे बछड़े अच्छे सांड बन सकते हैं, उन बछड़ों के मालिकों को, दूसरे एरिया में इस प्रकार के बछड़े पालने वाले लोगों को १० रुपया माहवार के हिसाब से हम सरकार की तरफ से बराबर देते रहेंगे, जब तक कि वह बछड़ा ढाई साल का नहीं हो जाता । जैसे इस प्रस्ताव के मूवर ने कहा कि अच्छे बछड़े के १०० रुपये छोड़ के १५० रुपये दिये जा सकते हैं, पर यह जो १० रुपया माहवार के हिसाब से जब तक वह बछड़ा ढाई साल का नहीं हो जाता, देते हैं वह मदद के तौर पर देते हैं, यह तो सरकार की तरफ से मदद है, जो आज तक नहीं दी जाती थी। उस प्रकार की मदद अब दी जा रही है । सरकार के पास साधन सीमित हैं, पर यह एक योजना है अच्छी नस्ल की कमी को पूरा करने के लिये ।

फिर हम अच्छी नस्ल के बछड़ों को खरीदते हैं और गांवों में मुफ्त में बांटते हैं । अच्छे अच्छे सांडों को गांवों वाले ले जाते हैं तो उसके पालन-पोषण का भार अपने ऊपर लेकर जाते हैं और पंचायती तरीके पर उसको पूरा करते हैं ।

यह एक दूसरा तरीका है जिसकी वजह से सांडों की कमी को पूरा करना चाहिए ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

तीसरा यह है कि अलग अलग हमारे फार्म हैं, उनमें बछड़े रहते हैं। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फार्म हैं। ८ स्थानों पर फार्म कायम कर चुके हैं, उनमें सरकारी अच्छे अच्छे सांड और गायें रख छोड़ी हैं। उन सांडों को हम मुफ्त में देते हैं। यह मैंने डिटेल्स में बछड़ों की और गायों की बात बताई है। इसी प्रकार से भेड़ों और ऊंटों की भी नस्ल-सुधार में मदद देने के लिए भी हमारी योजना है। तो यह सांडों की कमी को पूरा करने के लिए और ऊंटों की कमी को पूरा करने के लिए हमारी इस प्रकार की योजना है। इसी प्रकार से artificial insemination हमारे देश के लिये एक बिल्कुल नई चीज थी जो गायों और भेड़ों व दूसरे जानवरों पर प्रयोग होती हैं। हमने सबसे पहले उसको उन स्थानों पर लागू किया, जो लोग विज्ञान की बातों में विश्वास रखते हैं। इसके लिये renderpaste scheme centres कायम किये गये हैं, जो १०-१०, १२-१२ गांवों में अपना काम करते हैं। जब गाय या दूसरा कोई जानवर हीट में आता है तो उसका प्रयोग किया जाता है। इससे उनके बछड़े भी पैदा हुए हैं। पहली दफा तो लोगों को इससे ताज्जुब हुआ क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता था। यह भी एक बहुत इकोनोमिक तरीका है। जबकि हमारे देश में बुल्स और केमल्स की कमी है तो यह तरीका काम में लिया। जिस समय इस तरीके को काम में लिया तो मालूम हुआ कि नोरमल एक गाय को कवर करने में जितनी मात्रा उसके सीमन की खर्च होती है, उस मात्रा में ८० या १०० गायों को ग्याबिन कर सकता है। तो यह एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक तरीका है और इससे बहुत से देशों ने बहुत तरक्की की है। हमारे यहां पर उस मात्रा में तरक्की नहीं हो सकती क्योंकि जिस मात्रा में जिस चीज को काम में लाना चाहिए और उसको ठंडे हिस्से में रखना चाहिए और रोज सर्विस मिल जानी चाहिये, इसके लिए हमारे सामने कुछ डिफिकल्टीज़ हैं और उनकी वजह से ज्यादा कामयाब नहीं हो सके, फिर भी हमने सेन्टर कायम किये हैं।

इसके अलावा जो जानवर अच्छी नस्ल को पैदा नहीं कर सकते हैं उनको रोकना बहुत जरूरी है और इसके लिये उनका केस्टरेशन कराया जाना जरूरी है। इसके लिये बहुत बड़ी मशीनरी और समय की आवश्यकता है। इसमें भी हमने आज से महीना भर पहले Castration work को एक कोने से शुरू किया है और राजस्थान में ६ पार्टियाँ बनाई हैं। unscientific ways को हमें राजस्थान में दो वर्षों में हटाना है। इसके लिये हमको हर किसान के घर पर एप्रोच करना होगा। कुछ गांवों में काम चल रहा है और यह काम हमने एक माह पहले शुरू कर दिया है। हमारे लोग काम कर रहे हैं। उनकी जांच के साथ साथ केस्टरेशन का काम भी होता है। जो यूज़लेस जानवर होते है उनका केस्टरेशन करते हैं। मगर बहुत से लोग उनके केस्टरेशन से इन्कार भी करते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक प्रकार से मिशनरी प्रकार का काम है और अगर हम यह चाहते हैं कि यह काम अच्छी तरह से चले तो इसके लिये हमें लोगों के दिमाग में इस तरह की बात बिठानी होगी, पब्लिक के दिमाग में यह बात बिठानी होगी कि इस कार्य के लिये उनको भी सरकार को सहयोग देना चाहिये। किसानों में इस प्रकार की भावना फैलाने की जरूरत होगी कि यह काम हम लोगों की भलाई का काम है और हमें करना चाहिये। तो मैं आपको निवेदन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

करना चाहता था कि अगर १०० में से ५ आदमी ऐसे हों कि जो बहुत समझाने के बाद भी न मानें और ९५ आदमी मानते हैं कि केस्टरेशन हो जाना चाहिए तो इस कानून में यदि कोई धारा नहीं हो, कोई पॉवर्स नहीं हों उन लोगों को कि वे उन ५ आदमियों की मर्जी के खिलाफ कार्य कर सकें तो इस कार्य में प्रगति नहीं होगी। इसलिए कानून में उनको पॉवर्स होना अनिवार्य है।

एक भाई दलील देते हैं। हर धारा में कहने लगे कि रूल्स हैं, अनिश्चित धाराएं हैं। उन्होंने बड़ी दलीलें दीं कि आपका लाइव स्टॉक ऑफीसर किसानों के मुकाबले में कुछ नहीं समझता। मगर एक एक्सपर्ट, रात-दिन जिसको एक मिशनरी स्पिरिट से काम करना है और जिसको पैसे राज्य सरकार देती है उसको लोगों को इस सम्बन्ध में समझाना है, इस एक्सपर्ट में और किसानों के एक्सपर्ट में काफी अन्तर है।

श्री मूलचन्द डागा : यह मिशनरी वर्क चलेगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हाँ, चलेगा। वे एक मिशनरी की तरह से काम कर रहे हैं। ऐसी बात सही है कि वे लोग एग्रीकल्चरिस्ट जरूर हैं और अपने काम के मास्टर हैं, वे इस काम को पीढ़ियों से करते आये हैं और मैं उनकी दाद देता हूँ कि वे पढ़े-लिखे नहीं होते फिर भी अपनी परम्पराओं की बातों को जानते हैं। लेकिन फिर भी यह कहना कि सारी बातें हमारे किसान समझते हैं, यह उचित नहीं। अच्छे बैल कैसे होंगे इस बात को अच्छी तरह से लाइव स्टॉक ऑफिसर से ज्यादा समझते हों, इस बात को मानने के लिये मैं तैयार नहीं हूँ। वे खेती तो पीढ़ियों से करते हैं मगर निनान है उसको नहीं करने से उनको दो-तीन गुना नुकसान उठाना पड़ता है। मैं आपको कह सकता हूँ कि अभी तक कई ऐसे किसान हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं कि सीड़ कितना और कैसा डालना चाहिये और किस तरह का सीड डालना चाहिये, इसको अच्छी तरह से नहीं समझते। बीज वे खेत में डाल देते हैं। हल चलाते हैं मगर बहुत सी बातें ऐसी हैं कि वे नहीं जानते, बहुत से किसान निनान करना नहीं जानते। इसलिये अगर हम इसी तरह से किसानों का दृष्टिकोण बना देंगे कि वे सभी समझते हैं और उनको किसी चीज को सीखने की जरूरत नहीं है तो हम गाँवों का जितना उत्थान करना चाहते हैं नहीं होगा। यह एक गलत बात है। इस बात को भी मैं समझता हूँ कि किसान अच्छी बात को पकड़ सकते हैं। इसलिये मैं किसानों को जैसा वे कहें कि उनको किसी चीज की जानकारी की जरूरत नहीं, मानने को तैयार नहीं हूँ और न ऐसा मानने के लिए तैयार हूँ कि किसान कुछ नहीं जानते। इसलिए हमें सब दिशाओं में आगे जाना है, तरक्की की तरफ हमें बढ़ना है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो कानून बनाना है। जब धाराओं का मिसयूज होता है तो इसके लिये कन्ट्रोल है और काउन्टर चैक भी होता है। मगर हमारी भावना मिशनरी की रखी है। इसके अलावा मैं यह कहूँगा कि ये सारी बातें उन्होंने सिलेक्ट कमेटी में भी कह डाली थीं। उसके बाद में दूसरी सिलेक्ट कमेटी बनाना और उसके पास भेजना मैं समझता हूँ कि वृथा समय गंवाना होगा। इस कानून की आवश्यकता है। अभी तक इस कानून के नहीं होने से हमारे काम में

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दिक्कत आ रही है। इसलिए हमें इसको जल्दी पास करना चाहिए। इसलिए चैअरमैन महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो मोशन रखा है उसको मैं नहीं मानता हूँ और इसको विचारार्थ लिया जाना चाहिये।

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : माननीय चेअरमैन महोदय, एक दफा तो मेरा विचार था कि मैं अपने रिप्लाई देने के राइट को वेव कर दूँ। मगर जिस तरह से जवाब दिया गया है माननीय मंत्री द्वारा, उसके सम्बन्ध में कुछ कहना पड़ता है। वे कभी एनिमल डिज़िजेज़, कभी जानवरों के केस्ट्रेशन के सम्बन्ध में, कभी एक्सपर्ट्स के सम्बन्ध में बातें कह रहे हैं और जो बातें उन्होंने कहीं मुझे कोई तथ्य नहीं दिखता है। आपने एक्सपर्ट की बात कही तो उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि भरतपुर में केटल फेअर होता है वहां पर आपके एक्सपर्ट घोषाल जो रिटायर हो गये हैं, उनकी राय पर मैं वाइट लेग्होन खरीद कर ले गया था उसकी रसीद मेरे पास है, मगर क्या ? इसके अलावा परबतसर फेअर में कहां की गायों को कहाँ की गायें मान कर कई लोग इनाम ले गये। ये आपके एक्सपर्टों के इन्स्टान्सेज़ हैं और जो माननीय सदस्यों ने एक्सपर्टों के बारे में कहा है यह उसकी ताईद करता है। मैं यह कहूँगा कि जो ऑलरेडी इनडिस्क्रिमिनेबल बिल है उसको आप किस तरह से एलिमिनेट करते हैं।

अगर आप इस बिल को लागू करते हैं तो एग्ज़िस्टिंग बुल्स हैं उनको इल्युमिनेट कर दें, एग्जिस्टिंग ब्रीड है उसको डिटीरियोरेट करेंगे, ऐसा कानून में प्रोविजन नहीं। फिर भी इस कानून को लागू करते हैं एग्ज़िस्टिंग ब्रीड को इल्युमिनेट करने के लिये। आपके पास सीड बुल्स हैं क्या और काफी तादाद में हैं क्या ? आप उनको रिप्लेस कर सकेंगे। मेरा ऐसा ख्याल है कि आपने ए० आई० सेन्टर्स खोले हैं, उनकी सब की रिपोर्ट माननीय मंत्री महोदय के पास आ गयी होगी, सब जगह वे नाकामयाब रहे हैं; ऐसी ही रिपोर्ट आपके पास है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह आप गलत बता रहे हैं। ए० आई० सेन्टर्स से अच्छी रिपोर्ट मिली है।

श्री श्रीभानसिंह : मैं आपको उदाहरण दिये देता हूँ आप तसल्ली रखिये। मैं आपके सामने अपनी डिस्ट्रिक्ट का उदाहरण रखूंगा जहां आपके ये सेन्टर्स फैल्योर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक एग्ज़ाम्पल के आधार पर आप सबको जनरलाइज़ नहीं कर सकते।

श्री श्रीभानसिंह : मुझे टी० ए०, डी० ए० नहीं मिलता जो मैं सारे राजस्थान का टूर कर सकूँ और सब जगह जाकर देख सकूँ, I can say only about my constituency.

ए० आई० सेन्टर आपने नगर में खोला, कम्युनिटी प्रोजेक्ट आपने खोला, वहाँ पर डिप्टी डाइरेक्टर ने देख लिया कि जिस प्रयोजन के लिये हमने यह सेन्टर यहां खोला उसका युटिलाइजेशन नहीं हो पाया, इसलिये उन्होंने लिखा कि ए० आई० सेन्टर्स के लिये जितनी फेसिलिटीज़ चाहिये वे यहां उपलब्ध हैं और गवर्नमेन्ट उतनी फेसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती। नतीजा यह हुआ कि वहां चीज खराब हो गई। इस पर डिप्टी

(श्री श्रीभानसिंह)

डाइरेक्टर ने रिकमन्ड किया कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट को शिफ्ट करके भरतपुर प्रोपर में ले जाया जाय। यह इसलिये कि वहाँ के लोग पढ़े-लिखे हैं, शहर के लोग हैं इसका युटिलाइजेशन कर लेंगे। हमने पहली पंच-वर्षीय योजना में अट्ठाईस लाख रुपये एनिमल हस्बेन्डरी पर खर्च किये। अगर हम वर्तमान में जो एग्जिस्टिंग बुल्स हैं उनको ही रहने दें तो भी हमको १६ हजार सीड बुल्स की कमी पड़ती है। हम इस कार्य को प्रथम योजना में पूरा नहीं कर सके, सेकन्ड योजना में पूरा नहीं कर पायेंगे और मेरा तो यह ख्याल है कि हम तीसरी योजना में भी इसे पूरा नहीं कर पायेंगे। काम तो बढ़ता जा रहा है किन्तु उनकी जगह रिप्लेस करने के लिये हमारे पास बुल्स नहीं हैं। ब्रीडिंग सेन्टर भीलवाड़ा में हो सकता है जोधपुर में हो सकता है लेकिन सब जगह तो हो नहीं सकते। आप १० रुपये की सब्सिडी देते हैं ताकि लोग रीअर अप करें लेकिन इस बछड़े पर कम से कम पचास रुपये के एक्स्पेन्सेज के आते हैं वह कहाँ से लायगा। आज हमारे पास इतनी ज़मीन भी नहीं, जिससे कि हम उसके लिये एक एकड़ जमीन छोड़ सकें। आज हमारे यहां पर केपिटा तीन एकड़ जमीन आती है उसमें से हम एक एकड़ नहीं छोड़ सकते। अगर हमारे मंत्री महोदय ऐसी कोई मशीनरी इन्वेन्ट कर सकें जिससे लैन्ड का प्रोडक्शन बढ़ता जाय तो यह समस्या हल हो सकती है। लेकिन वैसी कोई मशीनरी नहीं है। लाइव स्टॉक का नाम अच्छा है, इसकी नेसे-सिटी भी है, इस बिल की नेसेसिटी है लेकिन जिस रूप में यह हमारे सामने आया है उससे वह मकसद हासिल नहीं हो सकता। दूसरी पंचवर्षीय योजना हम लागू कर चुके, अट्ठाईस लाख रुपया खर्च करके भी हम इस काम को पूरा नहीं कर सके, फिर आप किस स्कीम में किस स्टेज पर पूरा कर पायेंगे, वह स्कीम आप हमें बता दें तो मैं मानने को तैयार हूँ लेकिन इस प्रकार की कोई स्कीम नहीं है। बाहर की कन्ट्रीज़ की बातें की जाती हैं, बाहर की कन्ट्रीज़ में पहले वे उस आदमी को देखते हैं, वहां दस रुपये में तो पिग्ज़ भी नहीं मिलते, वहां पिग्ज़ की कोस्ट हजारों में पड़ती है। वहां सीड बुल्स की कीमत ६० हजार तक होती है। वे उन्हीं लोगों को डिस्ट्रिब्यूट करते हैं जिनके पास सीड बुल्स मेन्टेन करने की केपेसिटी हो, सब साधन हों, जिसके पास खेती हो, यार्ड हो, फीडिंग का प्रोविजन हो, निअरेस्ट एनिमल होस्पिटल हो, तभी उनको सीड बुल दिया जाता है। आप यहां का तरीका देख लीजिये, डिस्पेन्सरीज की व्यवस्था नहीं, मोबाइल डिस्पेन्सरी अजमेर में मिल जायगी लेकिन और दूसरी जगह वह भी नहीं। एक डिस्ट्रिक्ट में भी इस प्रकार की मोबाइल डिस्पेन्सरीज नहीं। हमारे यहां एक जीप मिलेगी वह दो जगह कवर करती है; धौलपुर और भरतपुर को। इन सब चीजों को देखते हुए मेरा यह कहना है कि हम जो भी कानून बनायें वे प्रगतिशील कानून होने चाहिये। हमारी वेलफेअर स्टेट है, समाजवादी ढाँचा हम यहां कायम करने जा रहे हैं, वहां हमारे इन कानूनों का क्या असर होता है, हमें देखना होगा। मैं यह नहीं कहता कि हम यहां प्रगतिशील कानून नहीं बना रहे हैं। हमने कई कानून बनाये हैं, लेकिन उनका अमल कहां तक हुआ, यह हमें देखना है। हमने लैंड युटिलाइजेशन एक्ट पास किया, वह हमने लागू कहां किया? आप

(श्री श्रीभानसिंह)

देखेंगे कि आज हम कई जगह कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट खोलते हैं और यह प्रचार करते हैं, यहां हम जापानी प्रणाली से कल्टिवेशन कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिये, आपको रिपोर्ट भी मिली होगी, जहां जापानी पद्धति से खेती की गई। यू० पी० में भी यह मेथड इन्ट्रोड्यूस किया, इस मेथड से ईल्ड वहां बहुत लो रहा है और इसी प्रकार हमारे यहां भी हुआ है। आप नयी स्कीम इन्ट्रोड्यूस कर तो देते हैं, लेकिन आप कभी यह देखते हैं क्या कि नयी स्कीम जो आप इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उससे आप क्या पहले से ज्यादा ईल्ड कर रहे हैं? यह कोई देखने की कोशिश नहीं करता। जापानी प्रणाली से जो खेती करना शुरू किया उससे ईल्ड लो रहा, पहले जो ऑलरेडी स्कीम थी उससे ईल्ड ज्यादा था। यह स्कीम का नाम अच्छा है, जापानी पद्धति है, आप अमेरिका या यू० एस० एस० आर० की स्कीम यहां लागू कर सकते हैं, किन्तु आपको यह देखना होगा कि यह यहाँ प्रेक्टिकेबल है भी या नहीं। यहां यह स्कीम लागू करते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स क्या होते हैं, उसको भी हमें देखना चाहिये। हमें उसके रिज़ल्ट्स से मतलब होना चाहिये, नाम से नहीं। हमने कॉन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्ज़ का एक्ट बनाया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? वह हम कहां तक लागू कर सके? इसी प्रकार बहुत से प्रगतिशील कानून बनाये, लेकिन उनके रिज़ल्ट क्या हुए? जिस प्रकार उन कानूनों का हाल हुआ, यही हाल इसका होने वाला है। आपके पास रुपयों की कमी है, एक्सपर्ट्स की कमी है, सीड बुल्स की कमी वैसी हालत में आपके पास है क्या चीज़, जिसके ज़रिये आप ब्रीड इम्प्रूव कर सकते हैं? वह क्या चीज़ है आपके पास?

जो सेन्टर आपने खोले वे धीरे धीरे दिन पर दिन क्लोज़ होते जा रहे हैं। मैंने इन्सटान्सेज़ दी। पैसा आपके पास नहीं, बुल्स नहीं, ब्रीडिंग सेन्टर नहीं, नेसेसिटी पूरी नहीं कर सकते। फिर आप किस तरह से काम चलाना चाहते हैं? तो ये सारी बातें देखकर बाद में कानून बनाना चाहिये राइट टाइम पर, जब हमारे पास साधन हों, जब हम इमीजिएटली उसको लागू कर सकें और लोगों को पूरा बेनिफिट हो। अगर कोई बेनिफिट लोगों को नहीं पहुचा और ढिंढोरा हमने पीट दिया तो लोगों में डिसअपोइन्टमेन्ट होता है। ठीक है, आपके पास स्कीमें हैं, पहली योजना थी, दूसरी योजना है और तीसरी भी बनेगी, पैसा भी खर्च होगा। पर हेव यू अचीव्ड दी टारगेट? अब तक आपने दो प्लान बनाई। आपने उनका एन्युअल टारगेट बनाया? काम को असेस तो किया जा सकता था। आपने फर्स्ट प्लान में टारगेट नहीं बनाया, हर साल का कि इस साल इतना करेंगे, अगले साल इतना करेंगे तो यह काम पूरा कर देंगे। वही सेकन्ड प्लान में हालत है। एन्युअल टारगेट ही इवेल्युएट नहीं किया। किसी स्टेटिस्टिशियन ने कह दिया कि १६ हजार का काम हुआ है, उसी को आपने मान लिया। पर किस बेसिस पर उसने यह कहा है और किस तरह से हमारा काम चले। स्टेटिस्टिक्स ठीक हों, इसकी कोई स्कीम नहीं है आपके पास। तो ये स्कीमें जो हैं देखने में बहुत अच्छी हैं। पर जब नतीजे देखते हैं तो निराशा होती है। यह बात भी देखने में अच्छी है, पर मकसद को हासिल कहां तक करेंगे, यह मुझको डाउट लगता है; क्योंकि मैंने पहले कहा था कि जब तक यह चीज एग्रीकल्चर इकोनोमी पर निर्भर है और जब तक इस इकोनोमी को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर

(श्री श्रीमानसिंह)

लेते तब तक इसको अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। And it is just like putting a cart before the horse.

श्री सभापति : आप अपना संशोधन वापिस लेते हैं ?

श्री श्रीमानसिंह : I beg leave of the House to withdraw my motion.

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि संशोधन प्रस्ताव जो श्री श्रीमानसिंह ने पेश किया है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री श्रीमानसिंह : I withdraw my motion.

श्री सभापति : मौशन विथड्रा हुआ। Clause 2, there is no amendment on clause 2

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज २ स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बना।

(विराम)

अब समय हो गया है, अतः सदन की कार्यवाही परसों प्रातःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ४.५५ बजे, परसों, दिनांक २७-१०-५८ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार, २५ अक्टूबर, १९५८)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर

सांभर में पानी की व्यवस्था।

दुर्गापुरा में टी. बी. अस्पताल।

अनाज के ऊंचे भाव।

समाज कल्याण केन्द्र।

भरतपुर में मेवों को विभाजन के पश्चात् दी गई भूमि।

आदर्श नगर को जाने वाली सड़क की मरम्मत।

खातेदारी हुकूक।

जयपुर शहर में मातृगृह।

समाज कल्याण विभाग द्वारा विद्यार्थियों को वजीफा।

डिस्ट्रिक्ट टौंक में जागीर

एडवाइज़री कमेटी।

पंचायत विभाग का फील्ड स्टाफ।

धौलपुर उपजिले में फसल को क्षति।

प्राथमिक अथवा बेसिक पाठशाला पर व्यय।

धौलपुर हॉस्पिटल विज़िटर्स कमेटी।

गोचर भूमि।

मलारना डूंगर में पंचायत की रकम में गड़बड़।

लगान की बाटे में वसूली

स्कम्भ

१३१ नगरपालिका आबूरोड

सिंध नेशनल टाइप फाउन्डरी से शीशे का क्रय

हेमावास बांध की कळार की जमीन के पट्टे।

कोटा में हाउस लोन।

नागनवट व रामगढ़ में वनविभाग द्वारा वन नर्सरी का निर्माण।

भरतपुर जिले में पंचायतों का निर्वाचन।

हरिजनों को रहने तथा खेती के हेतु मुफ्त जमीन वितरण।

पाली शहर में आयुर्वेदिक औषधालय।

लैंड रेकॉर्ड्स विभाग के कर्मचारियों का फिक्सेशन।

बिक्री कर से मुक्ति।

जागीरदारों को मुआवजा।

महिला कल्याण केन्द्र।

कोटा की गंदी बस्तियों का हटाना।

नगरपालिकाओं में हरिजनों तथा महिलाओं की नामजदगी।

ज़िला बोर्ड, जयपुर का स्पेशल ऑडिट।

स्कम्भ

सदन की मेज पर रखे गये पत्र २००

मोटर विहिकल्स टैक्सेशन एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत विज्ञप्ति–

(१) श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री, ने राजस्थान मोटर विहिकल्स टैक्सेशन एक्ट, १९५१ की धारा ३ (२) के अन्तर्गत गृह विभाग (ख) विज्ञप्ति संख्या डी० १७६१ एफ. १० (२) (१०) होम २।५४, दिनांक २६ मार्च, १९५८ को सदन की मेज पर रखा।

आमोदकर अधिनियम, १९५७ के अन्तर्गत विज्ञप्ति

(२) श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, ने आबकारी तथा कर विभाग विज्ञप्ति संख्या एफ. ७ (४) ई० एण्ड टी० ।५७।२, दिनांक १ अप्रेल, १९५८ को जिसके द्वारा राजस्थान एन्टरटेनमेन्ट टैक्स एक्ट, १९५७ की धारा ४ (१) के अन्तर्गत एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की दरें निर्धारित की गई हैं, सदन की मेज पर रखा।

राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५८ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन २०१

श्री पूनमचंद बिश्नोई, सभापति, प्रवर समिति, ने राजस्थान नगर सुधार विधेयक, १९५७ पर प्रवर समिति का प्रतिवेदन का उपस्थापन किया।

स्कम्भ

(क) प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५७ २०२

(विचार-विमर्श एवं पारित)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान गोदाम विधेयक, १९५७, जिसको विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव कल श्री नाथूराम मिर्धा, मंत्री, सहकारी विभाग ने प्रस्तुत किया था, उस पर आज श्री पी० के० चौधरी ने इस आशय का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि विधेयक को वापिस उसी समिति या अन्य प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए। राजस्व मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री चौधरी ने अपना संशोधन वापिस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। विधेयक पर खण्डशः विचार किया जाकर उसे सदन द्वारा पारित भी किया गया।

(ख) राजस्थान पशु-धन सुधार विधेयक, १९५७ २७५

(खण्डशः विचार-विमर्श)

उपरोक्त विधेयक, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित किया गया, को विचारार्थ लिए

जाने का प्रस्ताव श्री नाथूराम मिर्धा, कृषि मंत्री, द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर श्री श्रीमानसिंह ने यह संशोधन प्रस्ताव रखा कि विधेयक को पुनः प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए। बहस में सर्वश्री रावल नरेन्द्रसिंह, पी० के० चौधरी, मूलचन्द डागा एवं अनूपसिंह ने भाग लिया। कृषि मंत्री के उत्तर के पश्चात् श्री श्रीमानसिंह ने अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया तथा विधेयक को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया। खण्ड २ स्वीकृत हुआ।

सोमवार, २७ अक्टूबर, १९५८
की कार्यसूची

(१) राजस्थान पशु-धन सुधार विधेयक, १९५७
(पारित)

(२) राजस्थान फोरेस्ट (संशोधन) विधेयक, १९५८
(विचार स्थगित)

(३) राजस्थान पशुरोग विधेयक, १९५८ (विचार-विमर्श)

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ४६ का उत्तर देखिये)

राजस्थान के महत्वपूर्ण जिलों में मई-जून माह में गेहूँ, जौ आदि अनाजों के भावों का विवरण

नाम जिला	गेहूँ		जौ		चना	
	मई, १९५८	जून, १९५८	मई, १९५८	जून, १९५८	मई, १९५८	जून, १९५८
१. भरतपुर	लाल १४ रु० ६ आ० से १४ रु० १३ आ० ६ पा०	लाल १६ रु० से १६ रु० ८ आ०	१० रु० १४ आ० से ११ रु० ६ आ० ६ पा०	१२ रु० ४ आ० से १२ रु० १२ आ०	१० रु० ६ आ० से ११ रु० १ आ० ६ पा०	१२ रु० ५ आ० से १२ रु० १२ आ०
२. चित्तौड़गढ़	लाल १३ रु० प्रति मन	लाल १४ रु० से १४ रु० ४ आ० प्रति मन	—	—	—	—
२. जोधपुर	लाल १६ रु० प्रति मन	लाल १६ रु० से १७ रु० ८ आ०	—	—	—	—

४.	गंगानगर	सफेद १४ रु० ६ आ० से १५रु० १ आ० ६ पा० प्रति मन	सफेद १६ रु० ४ आ० से १७ रु० प्रति मन	१० रु० ३ आ० से १० रु० १० आ०	११ रु० से ११ रु० ८ आ० प्रति मन	१० रु० २ आ० ६ पा० से ११ रु० प्रति मन	११ रु० से ११ रु० ८ आ० प्रति मन
५.	जयपुर	—	—	१० रु० १ आ० ६ पा० से १० रु० ४ आ०	११ रु० २ आ० से १२ रु० प्रति मन	१० रु० ८ आ० से १० रु० १२ आ०	११ रु० ६ आ० से १२ रु० ४ आ०
६.	कोटा	लाल १२ रु० से १३ रु० ६ आ० प्रति मन	लाल १४ रु० ८ आ० ३ पा० से १४ रु० १० आ० ६ पा०	—	—	—	—
७.	अजमेर	लाल १४ रु० से १४ रु० ४ आ० ६ पा० प्रति मन	लाल १५ रु० २ आ० से १५ रु० ४ आ०	१० रु० से १० रु० २ आ० ६ पा० प्रति मन	११ रु० ११ आ० ६ पा० से ११ रु० १४ आ०	१० रु० १० आ० से १० रु० १५ आ०	१२ रु० ८ आ० से १२ रु० १३ आ०

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ५० का उत्तर देखिये)

क्रमसंख्या	योजना का नाम	केन्द्र का नाम	दिनांक, जिस दिन से केन्द्र चल रहा है
१.	समाज कल्याण खण्ड, मावली, उदयपुर.	१. मावली	१५-८-५५
		२. डबोक	१-८-५५
		३. घासा	१५-८-५५
		४. सालेरा	१५-८-५५
		५. भजनवास	१५-८-५५
२.	समाज कल्याण खण्ड, राजसमन्द, उदयपुर	१. सनवाड़	६-१०-५६
		२. केलवा	१-११-५६
		३. थमोही	६-१०-५६
		४. कंवारिया	१-१२-५६
		५. बेहिन्दा	१६-१२-५६
३.	समाज कल्याण खण्ड, श्रीनगर, अजमेर	१. कानपुरा	१-१२-५७
		२. बोर	१५-७-५५
		३. गगवाना	१५-७-५५
		४. उठंदा	१५-७-५५
		५. मोहानी	१५-७-५५
४.	समाज कल्याण खण्ड, रामसर, अजमेर	१. रामसर	१५-७-५५
		२. डबरेला	१५-७-५५
		३. डेराठू	१-१०-४६
		४. राजगढ़	८-११-५६
		५. नांदला	१५-४-५७
५.	समाज कल्याण खण्ड, जवाजा, अजमेर	१. जवाजा	१५-७-५५
		२. काबरा	१५-७-५५
		३. जालिया	१-१०-५६
		४. शिकरानी	४-५-५७
६.	समाज कल्याण खण्ड, केकड़ी, अजमेर	१. अखेरा	१५-७-५५
		२. ओगला	१५-७-५५

७.	समाज कल्याण खण्ड, हनुमानपुरा, झुंझुनू	१. हनुमानपुरा	१५-८-५५
		२. मौजासर	१-९-५५
		३. मारू	१-९-५५
		४. सोटवारा	१-१०-५५
		५. म्हारसिंहानी	१-१०-५५
८.	समाजकल्याण खण्ड सांगरिया, गंगानगर	१. ढाबा	१-९-५५
		२. दीनगढ़	१-१०-५५
		३. मीरजगढ	१-१०-५५
		४. नुकेरा	१-१०-५५
		५. छोलीपाल	१४-१२-५५
		६. हरिपुरा	६-६-५७
९.	समाज कल्याणखण्ड, भरतपुर	१. ऊरुवेन	२४-२-५६
		२. मोट	२४-२-५६
		३. कामा	२४-२-५६
		४. सेवर	२४-२-५६
		५. लुधावई	२४-२-५६
१०.	समाज कल्याण खण्ड, बूंदी	१. सथूर	१-१-५६
		२. बड़ोदिया	१-१-५६
		३. अलोद	१-१-५६
		४. आकोदा	१-१-५६
		५. हटीपुरा	१-१-५६
११.	समाज कल्याण खण्ड, जोधपुर	१. कैरू	१२-११-५६
		२. अकोलिया	१-१२-५६
		३. माल	१६-५-५७
		४. ओरानारा	१८-७-५७
		५. नगोरी बेड़ा मंदकोरी.	
१२.	समाज कल्याण केन्द्र, फागी, जयपुर.	१. फागी	मार्च, १९५७
		२. चितौड़ा	जुलाई, १९५७
		३. चकवाड़ा	जुलाई, १९५७
१३.	समाज कल्याण खण्ड, जयपुर	१. मानपुरा	अक्टूबर, ५५
		२. श्योपुर	अगस्त, ५५
		३. गैटोर	अगस्त ५५
		४. भांकरोटा	जुलाई ५७

१४.	समाज कल्याण खण्ड, पाली	१. हेमावास	६-८-५७
		२. गुंदोज	२-६-५७
		३. सरवा	२-६-५७
		४. लांबिया	१६-१०-५७
		५. टावाली	४-६-५७
१५.	समाज कल्याण खण्ड, सरदारशहर, चूरू	१. उड़सर	मार्च, ५५
		२. जेहगसर	अप्रेल, ५५
		३. थैलासर	अप्रेल, ५५
		४. मेहरासर	मई, ५५
		५. ऊड़ासर	अप्रेल, ५५
१६.	समाज कल्याण खण्ड, अलवर	१. रूपबास	अप्रेल, ५५
		२. दिवाकरी	अप्रेल, ५५
		३. बुर्जा	अप्रेल, ५५
		४. अकबरपुरा	अप्रेल, ५५
		५. उमरेन	जुलाई, ५५
१७.	समाज कल्याण खण्ड, छोटी खाटू, नागौर	१. छोटी खाटू	३-८-५५
		२. बड़ी खाटू	३-८-५५
		३. मन्डकरी	३-८-५५
		४. चिचोंवा	३-८-५५
		५. रानी गांव	३-८-५५
१८.	समाज कल्याण खण्ड, भीलवाड़ा	१. हमीरगढ़	८-१०-५५
		२. मंगरोल	८-१०-५५
		३. सांगानेर	१६-१०-५५
		४. स्वरूपगंज	१६-१०-५५
		५. भोली	१६-१०-५५
१६.	समाज कल्याण खण्ड, सुजानगढ़, चूरू	१. गोपालपुरा	२३-११-५६
		२. आवसर	२३-११-५६
		३. मलसीसर	२३-११-५६
		४. चरला	२३-११-५६

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ७४ का उत्तर देखिये)

"अ"

लिस्ट जिन पंचायतों के चुनाव नहीं हुए मय कारण

क्रम सं०	नाम पंचायत	तहसील	चुनाव अब तक नहीं होने का कारण
१.	खेड़ी देवीसिंह	नन्दवई	पहले चुनाव वर्षा की वजह से रुके हुए थे। बाद में गुप्त मतदान प्रणाली से निर्वाचन होना तय होने से निर्वाचन रोक दिया गया।
२.	मई	,,	,, ,, ,,
३.	थकाना	कामा	,, ,, ,,
४.	बरई	डीग	,, ,, ,,
५.	खोह	,,	,, ,, ,,
६.	बारेठा	धौलपुर	,, ,, ,,
७.	कुदीना	बाड़ी	,, ,, ,,
८.	पीपहेरा	सब सेपऊ	,, ,, ,,
९.	बोगेली	बसेड़ी	,, ,, ,,
१०.	मारली	,,	,, ,, ,,
११.	बसई घीयाराम	राजा खेड़ा	,, ,, ,,
१२.	मुमरिया	रूपवास	दो पंचायतें पृथक् २ बनने की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन होने से वेबाद में वर्षा की वजह से व अब गुप्त मतदान प्रणाली से चुनाव होना तय होने की वजह से निर्वाचन नहीं कराया गया।

"ब"

क्रम सं०	नाम पचायत	तहसील	चुनाव नहीं होने या रोके जाने का कारण
१.	सतवारा	धौलपुर	सरपंच व उपसरपंच का चुनाव शांति भंग होने की वजह से नहीं हो सका।
२.	कुदीना	बाड़ी	निरीक्षक द्वारा वार्ड प्राप्त हुए, वे अपूर्ण होने की वजह से वापस लौटा दिये गये थे। वे वापस नहीं आने से वार्ड स्वीकृत नहीं हो पाये और इसी वजह से पंचायत का चुनाव न हो सका।
३.	डुंमरिया	रूपवास	इस पंचायत की दो पंचायतें महलपुर चुवा व डुंमरिया बनने के प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन होने से चुनाव नहीं कराया गया।
४.	लसन	भरतपुर	शांति भंग होने से सरपंच व उपसरपंच एवं ५ पंचों का चुनाव नहीं हो सका था। अब चुनाव हो गया है।
५.	गुलपाडा	नगर	शांति भंग होने से सरपंच व उपसरपंच का चुनाव नहीं हो सका, जिसके लिये पुनः खण्ड विकास अधिकारी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसके समय पर मुकाम पर लौट कर न आने से चुनाव निश्चित दिन नहीं हो सका। अब हो गया है।
६.	मारली	बसेड़ी	निर्वाचन अधिकारी तहसीलदार साहब को नियुक्त किया गया था, जिनके अचानक किसी ट्रेनिंग में बुला लिये जाने से चुनाव निश्चित दिनांक को नहीं हो सका। अब चुनाव हो चुका है।
७.	जारगा	,,	,, ,,
८.	सलेमपुर	,,	,, ,,
९	सखावली	नगर	श्री नायब तहसीलदार साहब को निर्वाचनाधिकारी नियुक्त किया गया था, उनके समय पर कार्यभार न सम्भालने के कारण चुनाव निश्चित दिनांक को नहीं हो सके। अब चुनाव हो चुके हैं।

Page No.110

१०.	पालका	,,	निर्वाचित पंचों के निर्वाचन स्थान से चले जाने से उपसरपंच का चुनाव नहीं हुआ।
११	लावरी	,,	निर्वाचनाधिकारी के पास कलेक्टर के कार्यालय से चुनाव की सूचना देर से प्राप्त होने से सात दिन का नोटिस जारी नहीं होने के कारण चुनाव सम्पन्न नहीं हो सका। अब चुनाव हो चुका है।
१२.	चिरावलमाली	,,	उपरोक्त
१३.	बाजना	राजाखेड़ा	,, ,,
१३.	मदनपुर	बसेड़ी	,, ,,
१५.	बाजना	बयाना	,, ,,

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ८६ का उत्तर देखिये)

कृषि सम्बन्धी औजार जो बिक्री-कर से मुक्त हैं

१ हल
२ हल के फाल
३ फावड़ा
४ कुदाली
५ कड़वी काटने की मशीन (चेफ कटर)
६ खुरपी
७ कुल्हाड़ी
८ खंटा
९ अरट व उसके पुर्जे
१० बेलचा
११ गंडासा
१२ पटेला
१३ ट्रैक्टर, जो सिर्फ खेती के काम आवे।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक २५ अक्टूबर, १९५८)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१३२	अन्तिम से ५	proposed tos anction	proposed to sanction
१३४	१	(श्री वद्रीप्रसाद गुप्ता)	(श्री वद्रीप्रसाद गुप्ता)
१४२	शीर्ष	तारांक्ति प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
१४३	२२	to ether than	to other than
१४५	अन्तिम से ४	कदम उठ	कदम उठा।
१५०	८	सम्	सन्
१५९	२६	कब्जा	कब्जा
१६१	२३	स्वामत्त	स्वायत्त
१६१	२५	श्री मानसिंह	श्री श्रीमानसिंह
१६५	२९	पट्टे	पट्टे
१६६	१५	कौन्सीलियेशन	कन्सीलियेशन
१६७	२९	निम्न	निम्न
१७९	२	....	श्री मनोहर कोठारी
१९५	१६	स्थाना	स्थगन
२००	७	१९५७	१९५१
२०१	२	अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
२११	३५	cultvator	cultivator
२४३	२४–२५	नक्ल	नकल
२४८	३२	षि	कृषि
२४८	३६	एक्स्यज	एक्सक्यूज़
२५३	१४	क्कि	व्यक्ति
२६३	१२	सदर्यों	सदस्यों
२६५	५	डिक्सस	डिस्कस
२८०	२९	Tronsport	Transport
२८७	१६	कम्पेरिटिलली	कम्पेरिटिवली
२९२	२१	वरना	करना
३०१	२९	ot	or
३३८	२५	१८–७–५७	१८–१–५७

———